कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कथन

प्रिय हितधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन की ओर से, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईडीबीआई बैंक की कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है. यह रिपोर्ट उत्तरदायी कारोबारी आचरण के संबंध में राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) के नौ सिद्धांतों से निर्देशित उत्तरदायी बैंकिंग को सुनिश्चित करके अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के प्रति आपके बैंक की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित एवं दर्शाती है. वर्ष के दौरान बैंक ने संधारणीयता-संबद्ध अभिशासन और बेहतर प्रकटन पर अपना ध्यान केंद्रित रखा. पर्यावरणीय एवं सामाजिक कारकों को अपने परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए, बैंक ने अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में संधारणीयता संबंधी विचारों को उत्तरोत्तर एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया.

बैंक ने ग्राहक सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता, वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ कर्मचारियों की क्षमता के विकास के माध्यम से ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान देना जारी रखा, ताकि हितधारकों का विश्वास बनाये रखा जा सके और परिचालनगत क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन को बढ़ावा दिया जा सके. यह मानते हुए कि उत्तरदायी बैंकिंग पहुँच और समावेशन में ठोस परिणामों से प्रामाणित होती है, बैंक ने वंचित और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों को किफायती, सुलभ और प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से कई पहलकार्य किये जैसे आईडीबीआई समीप बैंकिंग आउटलेट की शुरुआत, माइक्रो-एटीएम सेवाओं का उपयोग, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), आदि.

बैंक के संधारणीयता दृष्टिकोण में अभिशासन केंद्रीय भूमिका निभाता है और ईएसजी से संबंधित विषयों की समर्पित बोर्ड स्तरीय एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तर की समितियों द्वारा निगरानी तथा आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है. वर्ष के दौरान, बोर्ड के सदस्यों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मिकों को उभरते ईएसजी विकास एवं विनियामकीय अपेक्षाओं के बारे में विशेष सत्रों के माध्यम से जागरूक किया गया, जिससे बेहतर जानकारी के साथ अभिशासन और निर्णय लेने में सहायता मिली. बैंक ने रिपोर्ट में ईएसजी से संबंधित प्रकटीकरणों की गहराई, एकरूपता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं एवं नियंत्रणों को और अधिक सुदृढ़ करना जारी रखा.

वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास व्यापक हितधारक सहभागिता एवं तथ्यात्मक आकलन (एसईएमए) का पूरा होना रहा. इस आकलन ने बैंक को अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं समाज पर उनके वास्तविक तथा संभावित प्रभावों के आधार पर ईएसजी विषयों की पहचान करने और प्राथमिकता निर्धारित करने में सक्षम बनाया, साथ ही बैंक के दीर्घकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर भी ध्यान दिया गया. संरचित मात्रात्मक सर्वेक्षण के माध्यम से आंतरिक तथा बाहरी हितधारकों से महत्वपूर्ण विषयों पर अंतर्दृष्टियाँ प्राप्त की गईं. इन अंतर्दृष्टियों ने संधारणीयता से जुड़े जोखिमों और अवसरों के प्रति बैंक की समझ को और गहरा करने में सहायता की है. बैंक अपनी कारोबारी रणनीति, जोखिम प्रबंधन ढांचा और अभिशासन प्रक्रियाओं में ईएसजी से जुड़े विचारों के अधिक लक्षित समावेशन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, बैंक ने संसाधनों के उपयोग को बेहतर बनाने और अपने परिचालन प्रभाव के प्रबंधन के लिए प्रणालियों को और सुदृढ़ करना जारी रखा. इसी के साथ, यह भी माना जा रहा है कि बैंकों के लिए जलवायु संबंधी प्रभाव मुख्य रूप से वित्तपोषण गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं. इस संदर्भ में, बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में जलवायु संबंधी जोखिमों एवं अवसरों के प्रति गहरी समझ विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं. इन प्रयासों को डेटा की उपलब्धता, आंतरिक क्षमता निर्माण और अभिशासन निगरानी में क्रमिक सुधारों का समर्थन प्राप्त है, और ये आने वाले समय में अधिक संरचित जलवायु जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए आधार बनेंगे.

विनियामकीय आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, बैंक की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बीआरएसआर रिपोर्ट में ईएसजी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया है और अपने परिचालनों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरूप बनाया है कि संधारणीयता इसकी रणनीनीतिक कार्ययोजना में सर्वोपरि बनी रहे. इसके अलावा, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, अर्थात् चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीआरएसआर कोर प्रकटीकरणों पर स्वतंत्र रूप से उचित आश्वासन दिया है, जो बैंक के विनियामकीय मानकों के अनुपालन तथा पारदर्शिता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. ईएसजी रिपोर्टिंग में पारदर्शिता एवं एकरूपता के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, बैंक प्रतिवर्ष एक ईएसजी डेटाबुक प्रकाशित करता है. यह डेटाबुक ईएसजी संकेतकों की विस्तृत श्रृंखला में सूक्ष्म और व्यापक डेटा प्रदान करती है, जिससे हितधारकों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के साथ-साथ गहन जानकारियां प्राप्त करने में सुविधा होती है. वास्तव में यह गर्व की बात है कि बैंक के सतत प्रयास एस एंड पी ग्लोबल के कॉरपोरेट संधारणीयता मूल्यांकन में इसके ईएसजी स्कोर में सुधार को दर्शाते हैं जो सीएसए 2024 में 42 से बढ़कर 55 हो गया है, यह ईएसजी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. बैंक ने अपने ईएसजी प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन मानकों के अंतर्गत अंक 2025 सीएसए में क्रमशः 17, 62 और 63 तक बढ़ गए, जबकि सीएसए 2024 में ये 10, 51 और 47 थे.

जैसे-जैसे बैंक सतत कारोबारी वृद्धि की दिशा में कोशिश कर रहा है, यह सुनिश्चित करता रहेगा कि इसकी दीर्घकालिक रणनीतिक दिशा संधारणीयता संबंधी विचारों पर आधारित रहे. बैंक अपनी ईएसजी पद्धतियों को इस ढंग से सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वे विवेकपूर्ण, पारदर्शी एवं एक वित्तीय संस्था के रूप में इसकी जिम्मेदारियों के अनुरूप हों, साथ ही सतत आर्थिक वृद्धि को सहयोग प्रदान करें.

भविष्य में, बैंक का इरादा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विनियामकीय मार्गदर्शन के अनुरूप डीकार्बोनाइजेशन के लिए स्पष्ट और व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में कार्य करना है. इसमें उधार और निवेश गतिविधियों से जुड़े उत्सर्जन का आकलन करने हेतु आंतरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना, ऋण मूल्यांकन और पोर्टफोलियो समीक्षा प्रक्रियाओं में जलवायु संबंधी पहलुओं को शामिल करना, तथा संक्रमण-संबद्ध चुनौतियों का सामना कर रहे क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के साथ जुड़ना शामिल है. बैंक यह मानता है कि इन पहलों के लिए मजबूत डाटा, क्षेत्र-विशिष्ट की समझ और सावधानीपूर्वक क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है और इसलिए चरणबद्ध और सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ने का प्रस्ताव है.

मैं विनियामकीय एवं सांविधिक प्राधिकरणों, शेयरधारकों, ग्राहकों तथा अन्य सभी हितधारकों की उनके निरंतर विश्वास एवं सहयोग के लिए तहेदिल से सराहना करता हूँ. मैं निदेशक मंडल के मार्गदर्शन और आपके बैंक के कर्मचारियों की वर्ष भर की प्रतिबद्धता तथा योगदान के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ.

शुभकामनाओं सहित,

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

भाग क : सामान्य प्रकटन

I. सूचीबद्ध संस्था का ब्योरा

क्रम संख्या.	विवरण	ब्योरा
1.	संस्था की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65190MH2004GOI148838
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आईडीबीआई बैंक लि.
3.	निगमन का वर्ष	27 सितंबर 2004
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
5.	कॉरपोरेट पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
6.	ई मेल:	idbiequity@idbi.co.in
7.	टेलीफोन	+91-22-66553355
8.	वेबसाइट	www.idbi.bank.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्ट की जा रही है	वित्तीय वर्ष 2025-26
10.	स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम जहां शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है	बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
11.	चुकता पूंजी (भारतीय रूपया)	₹ 1,07,52,40,21,750
12.	बीआरएसआर रिपोर्ट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता)	श्री मनीष पाल, महाप्रबंधक टेलिफोन सं. -+91-22-66553355 ईमेल - brsr@idbi.co.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरण एकल आधार (अर्थात केवल संस्था के लिए) पर किए गए हैं या समेकित आधार (अर्थात् संस्था तथा इसके समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सभी संस्थाओं को शामिल करते हुए) पर किए गए हैं.	एकल आधार पर
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कं. (बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक)
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	बीआरएसआर कोर प्रकटन के लिए उचित आश्वासन

II. उत्पाद और सेवाएं :

16. कारोबारी गतिविधियों का ब्योरा (टर्नओवर के 90% को शामिल करते हुए)

क्रम संख्या	प्रमुख गतिविधि का वर्णन	कारोबारी गतिविधि का विवरण	संस्था के टर्नओवर का प्रतिशत
1.	वित्तीय एवं बीमा गतिविधियां	बीमा एवं पेंशन निधीयन को छोड़कर वित्तीय सेवा गतिविधियाँ	100%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के टर्नओवर के 90% को शामिल करते हुए):

क्रम संख्या	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर में योगदान का प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंकों की गतिविधियां	641901	100%

III. परिचालन:

18. 31 मार्च 2026 को उन स्थानों की संख्या, जहां पर संस्था के संयंत्र और /या परिचालन / कार्यालय मौजूद हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	बैंकिंग आउटलेट - 2,243[@] कार्यालय - 283[#]	2,526[@]
अंतर्राष्ट्रीय	लागू नहीं	शाखा - 1[$]	1

**@ - 2,174 शाखाएँ तथा 69 आईडीबीआई समीप बैंकिंग आउटलेट और एक गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफ़एससी) बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) शामिल हैं.*

 # - इसमें अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालय, विशिष्ट परिचालन इकाइयाँ, प्रसंस्करण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र आदि शामिल हैं, किन्तु रिजर्व बैंक को प्रस्तुत शाखा एवं कार्यालय रिपोर्टिंग के अनुसार प्रधान कार्यालय शामिल नहीं है.

$ - इसमें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर, गुजरात में स्थित बैंक की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) शामिल है.

19. संस्था द्वारा सेवित बाज़ार:

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	36[@]
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1[$]

@ - 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.

$ - गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात

ख. संस्था के कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है ?

लागू नहीं

ग. ग्राहकों के प्रकारों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, एक पूर्ण-सेवा प्रदाता सार्वभौमिक बैंक है, जिसकी देशभर में 2,244 बैंकिंग आउटलेट और 1,600 से अधिक स्थानों पर 3,011 एटीएम के माध्यम से उपस्थिति है. बैंक व्यापक और विविध ग्राहक आधार को सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति, संस्थागत इकाइयाँ, कृषि समुदाय, मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु कारोबार, बड़े कॉरपोरेट तथा समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग शामिल हैं. बैंक अपने उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से इन ग्राहक वर्गों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति में सहयोग करने का प्रयास करता है. बैंक के ऑफर्स में उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है, जिसमें बचत एवं चालू खाते, सावधि जमा जैसे दैनिक बैंकिंग समाधान तथा आवास ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण जैसे विभिन्न खुदरा ऋण शामिल हैं, साथ ही मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा मध्यम एवं लघु किसानों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण भी शामिल हैं. कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो में निधि-आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण, लेन-देन बैंकिंग उत्पाद, कोषागार एवं पूंजी बाज़ार सेवाएँ, नकदी प्रबंधन सेवाएँ तथा कर संग्रह सुविधाएँ शामिल हैं, जिससे कॉरपोरेट संस्थाएँ अपने कारोबार का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं. समावेशी विकास की कार्ययोजना के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए, बैंक सार्थक पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर देता है. बैंक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में मौजूद अंतर को कम करने का प्रयास करता है, जिसके लिए वह सेवाओं से वंचित समुदायों तक पहुँच बनाता है और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भागीदारी के लिए सक्षम बनाता है. बैंक के उत्पादों और सेवाओं तथा की गई पहलों से संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

IV. कर्मचारी:

20. 31 मार्च 2026 का विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांग कर्मचारियों सहित):

क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग / क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	18,538	11,959	64.51%	6,579	35.49%
2.	स्थायी कर्मचारी से इतर (ङ)	1,585	861	54.32%	724	45.68%
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	**20,123**	**12,820**	**63.71%**	**7,303**	**36.29%**
	कामगार					
4.	स्थायी (च)	570	425	74.56%	145	25.44%
5.	स्थायी से इतर (छ)	0	0	-	0	-
6.	**कुल कामगार (च + छ)**	**570**	**425**	**74.56%**	**145**	**25.44%**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग / क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी कर्मचारी (घ)	645	477	73.95%	168	26.05%
2.	स्थायी कर्मचारी से इतर (ङ)	229	161	70.31%	68	29.69%
3.	**कुल कर्मचारी (घ+ङ)**	**874**	**638**	**73.00%**	**236**	**27.00%**
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (च)	10	8	80.00%	2	20.00%
5.	स्थायी से इतर (छ)	0	0	-	0	-
6.	**कुल कर्मचारी (च+छ)**	**10**	**8**	**80.00%**	**2**	**20.00%**

21. 31 मार्च 2026 को महिलाओं की सहभागिता / समावेश / प्रतिनिधित्व:

विवरण	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	प्रतिशत (ख/क)
निदेशक मंडल	11@	1	9.09%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5#	2	40.00%

@- बैंक के निदेशक मंडल के तीन सदस्य अर्थात् प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में शामिल हैं.

 # - मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में एमडी एवं सीईओ, दो डीएमडी, मुख्य वित्तीय आधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव शामिल हैं.

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की टर्नओवर दर@ :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	4.67%	5.09%	4.82%	5.63%	5.63%	5.63%	6.51	6.63%	6.55%
स्थायी कामगार	0.00%	1.27%	0.31%	0.55%	0.00%	0.42%	1.10%	2.08%	1.33%

@ - टर्नओवर दर की गणना इस अवधि के दौरान हुए स्वैच्छिक निकास की कुल संख्या को, अवधि के प्रारंभ में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अवधि के दौरान कार्यग्रहण किये नए कर्मचारियों की कुल संख्या के योग से भाग देकर की जाती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) को डेटा रिपोर्टिंग हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली के अनुरूप है.

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. 31 मार्च 2026 को धारक / सहायक/ सहयोगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम सं.	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियां / संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	दर्शायें कि क्या कंपनी धारक / सहायक / सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	कॉलम क में दर्शायी गयी संस्था सूचीबद्ध संस्था की कारोबारी दायित्व की पहलों में भाग लेती है?
1.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	सहायक	66.67%@	नहीं
2.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि.	सहायक	100.00%	नहीं
3.	आईडीबीआई इंटेक लि	सहायक	100.00%	नहीं
4.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	सहायक	54.70%	नहीं
5.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	सहायक	100.00%	नहीं
6.	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	सहयोगी	25.00%	नहीं
7.	बॉयोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लि.	सहयोगी	27.93%	नहीं

@ शेष 33.33% धारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के पास है.

VI. सीएसआर का ब्योरा

24.

(i)	क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है? (हाँ/नहीं)	हाँ
(ii)	टर्नओवर [₹ में]	₹ 35,743.53 करोड़
(iii)	निवल मालियत [₹ में]	₹ 55,748.93 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटन संबंधी अनुपालन:

25. उत्तरदायी कारोबारी आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (1 से 9 सिद्धांत) के बारे में शिकायत/परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं [हाँ / नहीं] (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां
समुदाय	हाँ, बैंक की सीएसआर नीति में शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें प्राप्त किसी भी शिकायत को शीघ्र ही बैंक को सूचित किया जाए और उसका उचित निवारण किया जाए. (https://www.idbi.bank.in/pdf/csr-Policy.pdf)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
शेयरधारक	हाँ, बैंक के पास शेयरधारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान हेतु एक बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र है, जिसके अंतर्गत शिकायतों का पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाता है (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-officials-for-shareholder-grievances.aspx)	2,468	01	मुख्यत: इसमें मूल लाभांश वारंट प्राप्त न होने/ लाभांश प्राप्त न होने/ लाभांश वारंट के पुन: मान्यकरण, प्रतिभूतियाँ प्राप्त न होने/ हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं.	2,153	0	मुख्यत: इसमें मूल लाभांश वारंट प्राप्त न होना/लाभांश प्राप्त न होना/लाभांश वारंट का पुन: मान्यकरण, प्रतिभूतियाँ प्राप्त न होना/हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं
निवेशक [शेयर धारकों से इतर]	-	-	-	'ग्राहक' शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉण्ड संबंधी शिकायतें शामिल हैं	-	-	'ग्राहक' शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉण्ड संबंधी शिकायतें शामिल हैं

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं [हाँ / नहीं] (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां
कर्मचारी एवं कामगार @	हाँ, आंतरिक रूप से, बैंक के कर्मचारी एक ऑनलाइन पोर्टल 'आई-हृदयो' पर शिकायत दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं. यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थापित यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) तंत्र के तहत किया जाता है. (https://www.idbi.bank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)	44	19	लागू नहीं	48	4	लागू नहीं
ग्राहक	हाँ, बैंक ने एक शिकायत निवारण नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत एक सुदृढ़ ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जो विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है. (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf)	66,538	795	फ्लेक्सीबॉण्ड शिकायतों सहित सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतें.	49,508	154	फ्लेक्सीबॉण्ड शिकायतों सहित सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतें.

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं [हाँ / नहीं] (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ, बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मापदंडों के अनुपालन में एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है, जिसके अंतर्गत जनता/अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है. (https://www.idbi.bank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx) इसके अतिरिक्त, निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक के प्रस्तावों हेतु बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता, यदि कोई विवाद/शिकायत हो, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मापदंडों के अनुपालन में बैंक द्वारा नियुक्त दो स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. (https://www.idbi.bank.in/pdf/New-IEMs-in-IDBI-Bank.pdf)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं [हाँ / नहीं] (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां
अन्य (केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तंत्र तथा बैंक के व्हिसल ब्लोअर समाधान (डब्ल्यूबीएस) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतें)	हाँ, बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शिकायतों, जिनमें सतर्कता संबंधी पहलू निहित होते हैं, की जाँच के लिए एक समर्पित सतर्कता विभाग स्थापित किया है. (https://www.idbi.bank.in/vigilance-mechanism.aspx) बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत बताये अनुसार नैतिक विषयों एवं अनुपालन संबंधी मुद्दों हेतु एक आंतरिक रिपोर्टिंग तंत्र के रूप में व्हिसल ब्लोअर समाधान (डब्ल्यूबीएस) भी स्थापित किया है. यह तंत्र बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से इसके मौजूदा कर्मचारी एवं निदेशक आंतरिक स्टाफ द्वारा की जाने वाली किसी भी अनुचित प्रथा या कदाचार की सूचना दे सकते हैं.	137	28	शिकायतों की कुल संख्या में सीवीसी शिकायत निवारण तंत्र के तहत प्राप्त 125 शिकायतें तथा डब्ल्यूबीएस के अंतर्गत प्राप्त 12 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से वर्ष के अंत में सीवीसी तंत्र के अंतर्गत 24 शिकायतें और डब्ल्यूबीएस के अंतर्गत 4 शिकायतें निस्तारण हेतु लंबित थीं.	128	26	शिकायतों की संख्या में सीवीसी शिकायत निवारण तंत्र के तहत प्राप्त 117 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से 26 वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित थीं और बैंक के व्हिसल ब्लोअर तंत्र के तहत प्राप्त 11 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से कोई भी वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित नहीं थी.

@- इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत शिकायतें शामिल हैं.

26. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारोबारी आचरण मुद्दों का विहंगावलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उन महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारोबारी आचरण एवं संधारणीयता संबंधी मुद्दों को इंगित करें, जो पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों से संबंधित हैं तथा आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं; साथ ही, उनकी पहचान का औचित्य, जोखिम के अनुकूलन अथवा न्यूनीकरण हेतु अपनाई गई रणनीति तथा उनसे संबंधित वित्तीय प्रभावों का विवरण प्रदान करें:

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
1	जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** जलवायु परिवर्तन तथा निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से भौतिक जोखिम तथा संक्रमण संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं, विशेषतः चरम मौसम घटनाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता, भारत की नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं के समर्थन में विकसित होती विनियामकीय एवं नीतिगत पहलों, तथा उत्सर्जन एवं संधारणीयता से संबंधित पहलों पर विनियामकों तथा अन्य हितधारकों द्वारा बढ़ती जांच के परिप्रेक्ष्य में। • **अवसर:** कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण के प्रयास ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायक होते हैं, परिचालन संधारणीयता को सुदृढ़ करते हैं तथा संधारणीय वित्तपोषण की दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं।	• बैंक के अपने परिचालनों में ऊर्जा संरक्षण रणनीति का मुख्य ध्यान ऊर्जा दक्षता में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि तथा सतत परिचालन प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है. प्रमुख पहलों में विद्युत एवं कूलिंग प्रणालियों का उन्नयन, तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर रूफटॉप सौर संयंत्रों का विस्तार, पावर फैक्टर एवं तापमान सेटिंग्स का अनुकूलन, तथा उपलब्ध ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहनों का उपयोग शामिल है. इन उपायों को नियमित ऊर्जा लेखापरीक्षण, सुदृढ़ निवारक देखभाल तथा कार्यबल के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है. • बैंक जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति अपने ऋण पोर्टफोलियो की दृढ़ता को रणनीतिक रूप से मजबूत करना चाहता है, साथ ही ऋण प्रदान करने की गतिविधियों को निम्नकार्बन अर्थव्यवस्था की उभरती परिवर्तन प्रक्रिया के अनुरूप बनाना है. इसके लिए बैंक ऋण मूल्यांकन, पोर्टफोलियो विश्लेषण तथा जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु संबंधी पहलुओं को समाहित करता है. यह जोखिम केंद्रित दृष्टिकोण पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाली गतिविधियों को ऋण प्रदान करने पर नीति आधारित प्रतिबंधों तथा पर्यावरणीय रूप से सतत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु पूंजी के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हरित जमा (ग्रीन डिपॉजिट) ढाँचे द्वारा समर्थित है.	• **नकारात्मक:** जलवायु से संबंधित जोखिम बैंक के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आस्ति गुणवत्ता पर दबाव उत्पन्न हो सकता है, ऋण लागत एवं संक्रमण-संबंधी व्यय में वृद्धि हो सकती है तथा पूंजी और चलनिधि पर संभावित दबाव पड़ सकता है. • **सकारात्मक:** जलवायु के अनुरूप रणनीतियाँ परिचालन लागतों के युक्तिकरण, पोर्टफोलियो की सुदृढ़ता में वृद्धि, नए राजस्व स्रोतों के सृजन, पूंजी की लागत में कमी, विकसित होते विनियामकीय रूपरेखाओं के साथ संरेखण तथा हितधारकों के विश्वास में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं, जिससे दीर्घकालीन व्यवसायिक वृद्धि और लाभप्रदता को समर्थन मिलता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
2.	कॉरपोरेट अभिशासन एवं नैतिकता	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** अप्रभावी अभिशासन तथा अनैतिक आचरण जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण तथा अनुपालन रूपरेखाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं. ऐसी कमियां वित्तीय हानियों, विनियामकीय उल्लंघनों तथा पर्यवेक्षी दंडात्मक कार्रवाइयों को जन्म देती हैं, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. • **अवसर:** सुदृढ़ अभिशासन एवं नैतिक आचरण विश्वास को सुदृढ़ करते हुए, जोखिम प्रबंधन में सुधार लाते हैं तथा हितधारकों के विश्वास को बढ़ाते हैं. इस प्रकार एक रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं और दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं.	• बैंक एक सुव्यवस्थित अभिशासन रूपरेखा के अनुरूप कॉरपोरेट अभिशासन तथा नैतिक आचरण के उच्च मानकों का पालन करता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही एवं अनुपालन सुनिश्चित करना है. बैंक विविध अनुभव वाले निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों के पर्यवेक्षण में संचालित होता है, जिससे विवेकपूर्ण निर्णय लेने, प्रभावी जोखिम प्रबंधन तथा विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है. स्पष्ट आचार संहिता, नैतिक नीतियाँ एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कर्मचारियों को दैनंदिन कार्यों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व बनाए रखने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती हैं. • बैंक ने संगठन के समस्त स्तरों पर नैतिक आचरण तथा विनियामकीय अनुपालन की संस्कृति को प्रोत्साहित एवं सुदृढ़ करने हेतु मुख्य नैतिक अधिकारी तथा अंचल स्तर पर नैतिक अधिकारी के पदों को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया है.	• **नकारात्मक:** अभिशासन तंत्र और नैतिक आचरण में विफलताओं के परिणामस्वरूप मूर्त वित्तीय हानियाँ हो सकती हैं, जो विनियामकीय दंड, संभावित वाद-विवाद, और व्यापार की हानि तथा हितधारकों के विश्वास में कमी के कारण आय में गिरावट के रूप में उत्पन्न होती है. • **सकारात्मक:** प्रभावी अभिशासन तथा नैतिक आचरण, वित्तीय हानि के जोखिमों को कम करके, अनुपालन लागत को घटाते हुए, दक्षता को सुदृढ़ करने तथा सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन को समर्थ बनाकर वित्तीय लचीलापन को सुदृढ़ करते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
3	ग्राहक गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** डिजिटल बैंकिंग चैनलों के तीव्र विस्तार तथा परस्पर संबद्ध भुगतान पारितंत्रों के कारण साइबर सुरक्षा एवं ग्राहक डेटा गोपनीयता जोखिमों के प्रति जोखिम-संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जो साइबर सुरक्षा प्रणालियों, विक्रेता जोखिम प्रबंधन, अभिगम नियंत्रण तथा/या पुरानी प्रणालियों में अंतराल के कारण उत्पन्न होती हैं. ऐसी कमियाँ संभावित रूप से ग्राहक डेटा तक अनधिकृत पहुंच, उल्लंघन अथवा दुरुपयोग का कारण बन सकती हैं. • **अवसर:** सुरक्षित प्रौद्योगिकी अवसंरचना को अपनाना, सभी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में गोपनीयता-आधारित डिजाइन सिद्धांतों का समावेश तथा उद्यम-स्तरीय डेटा अभिशासन रूपरेखा को सुदृढ़ करना डिजिटल युग में बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विभेदक के रूप में उभरा है. यह न केवल सुदृढ़ डेटा संरक्षण एवं ग्राहक जानकारी के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करके ग्राहक विश्वास को सुदृढ़ करता है, अपितु ग्राहक के विश्वास और दीर्घकालिक निष्ठा को भी बढ़ावा देता है.	• बैंक ने एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा ढांचा स्थापित किया है, जिसका नेतृत्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के अधीन कार्यरत सूचना सुरक्षा समूह द्वारा किया जाता है तथा जिसे व्यापक सूचना सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा नीतियों, साइबर संकट प्रबंधन योजना एवं नियमित उल्लंघन तैयारी अभ्यासों द्वारा संचालित किया जाता है. बैंक ने अपने आईटी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर सुरक्षा ढांचे को और सुदृढ़ किया है, जिसके अंतर्गत नवी मुंबई स्थित अपने डेटा केंद्र (डीसी) तथा चेन्नई स्थित आपदा प्रबंधन स्थल में 24X7 अत्याधुनिक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है, जिससे साइबर खतरों की केंद्रीकृत निगरानी एवं समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है. डेटा केंद्र (डीसी), आपदा प्रबंधन (डीआर) तथा नियरडीआर सुविधाएँ आईएसओ/आईईसी 27001:2022 से प्रमाणित हैं, तथा नियरडीआर सुविधाएँ महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करती हैं. बैंक की भुगतान अवसंरचना, जिसे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में नामित किया गया है, एक समर्पित समिति द्वारा पर्यवेक्षित की जाती है. कई उन्नत सुरक्षा समाधानों, सुदृढ़ क्लाउड सुरक्षा नियंत्रणों तथा व्यापक साइबर जोखिम बीमा उपायों के माध्यम से बैंक के समग्र साइबर लचीलेपन को सुदृढ़ किया गया है, जिससे सुरक्षित एवं संरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है.	• **नकारात्मक:** ग्राहक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित स्थापित मापदंडों के अननुपालन पर पर्यवेक्षी कार्यवाही, जुर्माना, विधिक दायित्व, ग्राहक असंतोष तथा साख (प्रतिष्ठा) में हानि जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन व्यय में वृद्धि तथा व्यवसाय की नुकसान की संभावना रहती है. • **सकारात्मक:** नैतिक डेटा उपयोग तथा सुदृढ़ ग्राहक डेटा संरक्षण से ग्राहक विश्वास का निर्माण होता है, जिससे उनकी सहभागिता एवं राजस्व में वृद्धि होती है. साथ ही, यह डेटा उल्लंघनों, विनियामकीय दंड तथा अक्षमताओं से जुड़े वित्तीय एवं परिचालन जोखिमों को कम करने में भी सहायक होता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
				• बैंक ने 15 अप्रैल 2025 से एक समर्पित डेटा संरक्षण कार्यालय स्थापित किया है, जिसका नेतृत्व नामित डेटा संरक्षण अधिकारी (डीपीओ) द्वारा किया जाता है, ताकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी) के अनुपालन हेतु स्पष्ट उत्तरदायित्व एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके. बैंक ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति (डीपीडीपी) तैयार की है, जो डीपीडीपीए के सिद्धांतों तथा लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप है. बैंक ने डीपीडीपीए अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु विक्रेता अनुबंधों तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में सुदृढ़ डेटा संरक्षण प्रावधान शामिल किए हैं तथा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए डेटा खोज (डेटा डिस्कवरी) प्रक्रिया पूर्ण की है, जिससे प्रभावी डेटा अभिशासन एवं जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके. इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने कार्यबल के लिए डेटा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, प्रमुख इकाइयों में कुशल गोपनीयता अभिकर्ता नामित किए हैं, जिन्हें डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के प्रमाणित डेटा संरक्षण अधिकारी (डीसीडीपीओ) प्रमाणन से लैस किया गया है, तथा पहचानी गई कमियों के समाधान और एक संपूर्ण डेटा गोपनीयता ढाँचे के कार्यान्वयन हेतु एक विशिष्ट परामर्शदाता को भी सूचीबद्ध किया गया है.	

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
4	ग्राहक शिक्षा एवं अनुभव	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** बैंकिंग उत्पादों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों तथा सुरक्षा प्रथाओं के संबंध में ग्राहकों की अपर्याप्त समझ धोखाधड़ी के प्रति बढ़ते जोखिम, सेवा विवादों, मिथ्या-विक्रय से संबंधित आरोपों तथा अनभिप्रेत भुगतान चूक की स्थितियों को जन्म दे सकती हैं. ग्राहक अनुभव में कमियाँ इस जोखिम को और बढ़ा सकती हैं, जिससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि, ग्राहकों का विच्छेदन, नकारात्मक धारणा का निर्माण तथा विनियामकीय प्राधिकरणों के समक्ष मामलों के बढ़ते प्रेषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. • **अवसर:** ग्राहक शिक्षा एवं अनुभव से ग्राहकों के साथ संपूर्ण जीवन-चक्र में लेन-देन केंद्रित अंतःक्रियाओं से मूल्य-आधारित सहभागिता की ओर रूपांतरण में सहायता मिल सकती है, जिससे सशक्त ग्राहक का निर्माण होता है.	• बैंक ने मल्टीचैनल पहुँच पहल, जिनमें डिजिटल मंच, शाखा संवाद तथा लक्षित जागरूकता अभियान शामिल हैं, के माध्यम से ग्राहकों को उत्पादों, सेवाओं, अधिकारों तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में स्पष्ट, समय पर तथा सहज रूप से समझ में आने वाली जानकारी प्रदान कर सशक्त बनाया है. बैंक नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है, संयोजित डिजिटल सामग्री प्रदान करता है तथा ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने और दीर्घकालिक वित्तीय आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता हेतु व्यक्तिगत सलाह उपलब्ध कराता है. साथ ही, बैंक ने प्रक्रिया सरलीकरण, पारदर्शी संचार, समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र तथा विभिन्न संपर्क बिंदुओं पर सुसंगत सेवा मानकों के माध्यम से समग्र रूप से निर्बाध ग्राहक अनुभव सुनिश्चित किया है. निरंतर प्रतिपुष्टि तंत्र तथा कार्मिक प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहकों से प्राप्त अंतर्दृष्टियों को बैंक के उत्पादों एवं सेवा मानकों में सार्थक सुधारों में रूपांतरित किया जाए.	• **नकारात्मक:** ग्राहक शिक्षा एवं अनुभव में कमियाँ अधिक धोखाधड़ी हानियों, सुधारात्मक कार्रवाइयों तथा शिकायत निवारण से संबंधित लागतों में वृद्धि, ग्राहकों के आधार में कमी के कारण राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव तथा संभावित विनियामकीय दंडों का कारण बन सकती हैं. • **सकारात्मक:** सक्रिय ग्राहक शिक्षा से डिजिटल सेवाओं को शीघ्र अपनाने में सहायता मिल सकती है, शाखाओं एवं ग्राहक सेवा केंद्रों पर निर्भरता में कमी आती है, सेवा लागत घटती है, तथा ग्राहक के विश्वास एवं निष्ठा के कारण क्रॉससेल एवं अपसेल के अवसर भी बढ़ते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
5	डिजिटलीकरण	जोखिम और अवसर	• **जोखिम**: बैंकिंग परिचालनों के तीव्र डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप साइबर खतरों, डेटा गोपनीयता उल्लंघनों, प्रणालीगत अवरोध, प्रौद्योगिकी के अप्रचलन तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लाउड अवसंरचना एवं थर्ड पार्टी फिनटेक भागीदारों पर बढ़ती निर्भरता के कारण उत्पन्न कमजोर नियंत्रणों, एकीकरण संबंधी विफलताओं एवं विनियामकीय अननुपालन से उत्पन्न कमजोरियों सहित विभिन्न जोखिमों में वृद्धि हो सकती है. • **अवसर**: डिजिटलीकरण बैंकों को दोहरा लाभ प्रदान करता है, जिसमें एक ओर ग्राहक अनुभव में सुधार होता है तथा दूसरी ओर परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है. स्वचालित एवं डेटा-आधारित प्रक्रियाएँ तेज सेवा प्रदाय एवं सुसंगत ग्राहक अंत:क्रियाओं को सक्षम बनाती हैं, जबकि डिजिटल स्व-सेवा चैनल परिचालन लागत तथा टर्नअराउंड समय को कम करने में सहायक होते हैं.	• बैंक ने ग्राहक डाटा एवं प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सशक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अभिशासन, आवधिक कमजोरी आकलन, प्रवेशण परीक्षण तथा सतत नेटवर्क निगरानी के माध्यम से अपनी साइबर सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ किया है. अनधिकृत अभिगम तथा साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु बहु-कारक प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल तथा उन्नत धोखाधड़ी निगरानी उपकरणों को लागू किया गया है. बैंक ने परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सशक्त डेटा गोपनीयता नियंत्रण, सूचना सुरक्षा नीतियाँ तथा आपदा पुनर्प्राप्ति और व्यवसाय निरंतरता योजनाएँ भी स्थापित की हैं. आवधिक सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा, नियमित कर्मचारी प्रशिक्षण, ग्राहक जागरूकता पहल तथा विनियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन, प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन में बैंक की तत्परता को और सुदृढ़ करता है.	• **नकारात्मक**: डिजिटलीकरण संबंधी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने में असफलता से परिचालन हानियाँ हो सकती हैं, अनुपालन लागत में वृद्धि हो सकती है, विनियामकीय दण्ड लग सकते हैं तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. • **सकारात्मक**: डिजिटलीकरण परिचालन लागतों में कमी, कार्यबल उत्पादकता में सुधार, ऋण मूल्यांकन को सुदृढ़ करने, धोखाधड़ी की पहचान की प्रक्रियाओं का स्वचालन तथा अनुपालन दक्षता में वृद्धि के माध्यम से सतत वित्तीय मूल्य सृजित कर सकता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
6	कर्मचारी विविधता एवं समावेशन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** कार्यबल में विविधता का अभाव बैंक में रणनीतिक एवं परिचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए आवश्यक विभिन्न दृष्टिकोणों, अनुभवों एवं महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों के दायरे को सीमित कर सकता है. समान प्रकृति वाली टीमें विविध ग्राहक आधार की आवश्यकताओं को समझने और प्रभावी रूप से उनका समाधान करने में अपेक्षाकृत कम सक्षम हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे उत्पाद, सेवाएं तथा सेवा प्रदाय मॉडल विकसित हो सकते हैं जो पर्याप्त रूप से समावेशी न हों या बाजार की मांग के अनुरूप न हों. समावेशी कार्य संस्कृति में कमियाँ, असमान व्यवहार अथवा भेदभाव की धारणाओं के कारण धीरे-धीरे कर्मचारी सहभागिता, विश्वास एवं सहयोग को कमजोर कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता एवं मनोबल में कमी आ सकती है. • **अवसर:** संतुलित, विविधतापूर्ण एवं कौशलयुक्त कार्यबल का निर्माण कर्मचारी सहभागिता को सुदृढ़ करता है, कर्मचारियों की स्थिरता में सुधार लाता है तथा आंतरिक क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करता है. इससे निर्णय लेने को सशक्तता, कार्यकुशलता में वृद्धि, विवेकपूर्ण परिचालन निगरानी को समर्थन प्राप्त होता है तथा सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार संभव हो पाता है.	• बैंक अपनी सभी मानव संसाधन नीतियों एवं प्रथाओं में समानता तथा निष्पक्षता के सिद्धांतों को समाहित करते हुए एक विविधतापूर्ण एवं समावेशी कार्यबल को प्रोत्साहित करता है. भर्ती, विकास तथा कैरियर उन्नति का मार्गदर्शन योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर किया जाता है, जिससे सभी कर्मचारियों को समान अवसर सुनिश्चित होते हैं. बैंक कर्मचारी सहभागिता पहलों, विभिन्न शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों तथा विविधता के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता के माध्यम से एक समावेशी कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करता है.	• **नकारात्मक:** विविधता एवं समावेशन से संबंधित अप्रभावी प्रथाएँ मानव पूंजी से संबंधित व्यय में वृद्धि, आचरण जोखिम लागतों में बढ़ोतरी तथा प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव का कारण बन सकती हैं. दीर्घकाल में, ये कारक आय की स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं, आंतरिक नियंत्रणों की लागत को बढ़ा सकते हैं तथा परिचालन दक्षता और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं. • **सकारात्मक:** कार्यबल में समतामूलक प्रतिनिधित्व कार्यबल उत्पादकता तथा कर्मचारी सहभागिता में वृद्धि, परित्याग संबंधी लागतों में कमी, और नवोन्मेषण तथा सतत दीर्घकालीन मूल्य सृजन को प्रोत्साहित कर वित्तीय परिणामों में सुधार ला सकता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
7	वित्तीय समावेशन	जोखिम एवं अवसर	• **जोखिम:** वित्तीय समावेशन पर अपर्याप्त ध्यान भविष्य में विकास के अवसरों की लाभ क्षमता को प्रभावित कर सकता है तथा सुदृढ़, विविधीकृत एवं वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद बाजारों तक पहुँच बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है. उत्पाद डिज़ाइन, जोखिम प्रबंधन ढांचे तथा ग्राहक शिक्षा पहल कार्यों में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने वाले पहलू, बाजार विस्तार को सीमित कर सकते हैं तथा ग्राहक जीवनकाल मूल्य में कमी ला सकते हैं. इसके अतिरिक्त, खराब ढंग से डिज़ाइन किए गए या अपर्याप्त रूप से अभिशासित समावेशन प्रयास, परिचालन त्रुटियों, साइबर जोखिमों, डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं तथा ग्राहक शिकायतों में वृद्धि जैसे जोखिम को बढ़ा सकते हैं. • **अवसर:** वित्तीय समावेशन, बिना बैंकिंग सुविधा वाले तथा आंशिक रूप से बैंकिंग सेवाओं से जुड़े वर्गों को सेवाएँ प्रदान करते हुए अप्रयुक्त बाजारों में विस्तार का अवसर प्रदान करता है तथा दीर्घकालिक रूप से सतत मूल्य सृजन में सहायक होता है, साथ ही, समावेशी आर्थिक विकास में सार्थक योगदान भी देता है.	• बैंक ने बैंकिंग एवं ऋण सेवाओं की उपलब्धता में मौजूद अंतराल को कम करते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया है. प्रौद्योगिकी, सरलीकृत प्रक्रियाओं तथा सामुदायिक स्तर पर पहुँच के माध्यम से बैंक ने बचत, ऋण तथा डिजिटल भुगतान समाधानों को व्यापक रूप से अपनाए जाने में सक्षम बनाया है. इन पहल कार्यों का उद्देश्य वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ाना तथा विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास को समर्थन प्रदान करना है.	• **नकारात्मक:** समावेशन का वित्तीय प्रभाव सामाजिक उद्देश्यों और व्यावसायिक व्यवहार्यता के बीच संतुलन स्थापित करने से उत्पन्न होता है. जहां समावेशी बैंकिंग दीर्घकालिक वृद्धि और विविधीकरण को समर्थन प्रदान करती है, वहीं खराब ढंग से डिज़ाइन की गई अथवा प्रभावी रूप से निगरानी न किये गए पहल कार्यों से आस्ति गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, व्यय में वृद्धि तथा अल्पकालिक प्रतिलाभ में कमी आ सकती है. • **सकारात्मक:** वित्तीय समावेशन से संबंधित पहल कार्य वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि ये स्थिर एवं कम लागत वाले जमा धन की वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं, ऋण आधार के विविधीकरण में योगदान देती हैं तथा प्रति-बिक्री अवसरों के माध्यम से शुल्क-आधारित आय में वृद्धि करती हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
8	मानव पूंजी प्रबंधन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** मानव पूंजी प्रबंधन में कमियाँ परिचालन त्रुटियों, नियंत्रण तंत्र में विफलताओं, विनियामकीय उल्लंघनों, धोखाधड़ी जोखिम में वृद्धि, कमजोर जोखिम अभिशासन, उत्पादकता में कमी तथा प्रतिष्ठागत क्षति का कारण बन सकती हैं. • **अवसर:** कार्यबल क्षमताओं का रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ समुचित संरेखण, उत्पादकता, लगातार कार्यनिष्पादन करने, कौशल अंतराल को पाटने, महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं में निरंतरता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को सुदृढ़ करता है.	• बैंक की मानव संसाधन नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ एक कुशल, संलग्न तथा कार्यनिष्पादन उन्मुख कार्यबल के निर्माण हेतु तैयार की गई हैं. बैंक सतत शिक्षण, नेतृत्व विकास एवं कैरियर प्रगति पर विशेष ध्यान देता है, जिसे निष्पक्ष एवं पारदर्शी मानव संसाधन प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित किया जाता है. कर्मचारियों के आचरण, नैतिकता एवं अनुपालन को निरंतर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है.	• **नकारात्मक:** मानव संसाधन प्रबंधन की कमजोर प्रथाएँ परिचालन तथा कार्यबल से संबंधित लागतों में वृद्धि का कारण बन सकती हैं जो विनियामकीय दंड को आकर्षित कर सकती हैं तथा हानि-जनित घटनाओं को जन्म दे सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता एवं दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. • **सकारात्मक:** लक्षित कौशल-विकास, भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा तथा कार्यनिष्पादन का सार्थक विभेदीकरण, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि, ग्राहकों के उत्कृष्ट परिणामों की प्राप्ति तथा दीर्घावधि में स्थायी लाभप्रदता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
9	मानवाधिकार	जोखिम और अवसर	• **जोखिम**: कार्यस्थल प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखला तथा हितधारक संबंधों से संबंधित मानवाधिकार जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु उपयुक्त तंत्र का अभाव अथवा अपर्याप्तता विधिक, वित्तीय, प्रतिष्ठागत तथा परिचालन संबंधी प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं. • **अवसर**: कार्यस्थल प्रथाओं के अंतर्गत मानवाधिकारों के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता बैंक की एक उत्तरदायी तथा मूल्य-आधारित नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठा को बढ़ाती है. सुरक्षित कार्य परिवेश, उचित कार्य अवधि, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन तथा कार्य-जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां नैतिक प्रदर्शन के अनुरूप एक कर्मचारी-केंद्रित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं. ये प्रथाएं प्रतिभा को आकर्षित करने एवं बनाए रखने में योगदान देती हैं, साथ ही कर्मचारी सहभागिता एवं विश्वास को सुदृढ़ करती हैं.	• बैंक ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की घोषणा के अनुरूप एक सुस्पष्ट मानवाधिकार नीति अपनाई है जो मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह नीति एक ऐसे सुरक्षित, स्वस्थ एवं उत्पीड़नमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसमें विविधता एवं समान अवसर को प्रोत्साहित किया जाता है, बाल श्रम एवं जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मानवीय गरिमा को बनाए रखा जाता है, न्यायसंगत एवं पारदर्शी पारिश्रमिक तथा संवैधानिक लाभ सुनिश्चित किए जाते हैं, नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया जाता है, संरचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाता है तथा कर्मचारियों को भेदभाव, उत्पीड़न एवं प्रतिशोध से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ लागू की जाती हैं.	• **नकारात्मक**: मानवाधिकार उल्लंघन लाभप्रदता और वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि इनके कारण विधिक एवं विनियामकीय कार्यवाहियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष वित्तीय लागतें बढ़ती हैं, साथ ही साख (प्रतिष्ठा) को नुकसान पहुँचने के कारण व्यवसाय की हानि जैसे परोक्ष प्रभाव भी सामने आते हैं. • **सकारात्मक**: न्यायपूर्ण एवं समावेशी कार्यस्थल प्रथाओं में निवेश से सकारात्मक वित्तीय लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि इससे कर्मचारी क्षरण (एट्रिशन) में कमी के कारण लागत में बचत होती है, कुशल एवं प्रेरित कार्यबल के माध्यम से उत्पादकता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तथा विधिक और साख संबंधी जोखिमों के प्रति एक्सपोजर भी कम होता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
10	उत्पाद एवं सेवा नवाचार	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** उत्पाद एवं सेवा नवाचार का अभाव अथवा अपर्याप्तता बहुआयामी गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है, जो परिचालन अक्षमताओं, बदलती ग्राहक अपेक्षाओं को पूरा करने की सीमित क्षमता, प्रतिस्पर्धी स्थिति में कमी तथा विनियामकीय एवं अनुपालन संबंधी जोखिमों में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है. • **अवसर:** नवाचारी उत्पाद प्रस्तावों तथा उन्नत सेवा प्रदाय से निरंतर बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा किया जा सकता है, जिससे ग्राहक अनुभव में सुधार होता है, ग्राहक निष्ठा सुदृढ़ होती है तथा दीर्घकालिक ग्राहक संबंधों का निर्माण होता है.	• बैंक की उत्पाद एवं सेवा नवाचार संबंधी रणनीति, डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से ग्राहक अनुभव तथा परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है, साथ ही विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करती है. उत्पाद एवं सेवा विभेदन के एक प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, बैंक एनालिटिक्स, ऑटोमेशन तथा क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर आधुनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रहा है. इसके अतिरिक्त, बैंक अपने मौजूदा उत्पादों एवं सेवाओं की निरंतर समीक्षा एवं अद्यतन करता है तथा बदलती ग्राहक आवश्यकताओं, बाजार प्रवृत्तियों एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप समय-समय पर नए ऑफर प्रस्तुत करता है, जिससे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता एवं प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके.	• **नकारात्मक:** नवाचार के अभाव से परिचालन लागत में वृद्धि, प्रक्रियाओं में अक्षम्यता, बाजार हिस्सेदारी में क्षरण तथा राजस्व स्रोतों के कमजोर होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. • **सकारात्मक:** उत्पाद एवं सेवा नवोन्मेष से ग्राहक अधिग्रहण एवं प्रतिधारण में सुधार, साथ ही ग्राहक के वॉलेट शेयर में वृद्धि होती है, जिसका बैंक के लाभ में योगदान होता है. साथ ही, यह डिजिटलीकरण/ स्वचालन के माध्यम से दक्षता में वृद्धि करते हुए परिचालन लागत को कम करने में भी सहायक होता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
11	विनियामक और कानूनी अनुपालन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** विकसित हो रही विनियामक आवश्यकताएं, सख्त प्रवर्तन तंत्र और खंडित दिशानिर्देश/मानदंड, परिचालन जटिलता और अनुपालन लागत को बढ़ा सकती हैं और अननुपालन के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, निर्णय लेने में बाधा डाल सकती हैं और चल रही पहलों को बाधित कर सकती हैं. • **अवसर:** मजबूत अनुपालन ढाँचे लचीलापन और विश्वसनीयता बढ़ाकर रणनीतिक अवसर पैदा करते हैं, जिससे विनियामक अपेक्षाओं के साथ सक्रिय तालमेल, बेहतर परिचालन अनुशासन और मजबूत हितधारक संबंधों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है.	• बैंक ने बोर्ड की निगरानी, अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं और एक समर्पित अनुपालन कार्य के द्वारा समर्थित एक मजबूत विनियामक और कानूनी अनुपालन ढांचा स्थापित किया है. बैंक आंतरिक नियंत्रण, प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी, समय-समय पर लेखापरीक्षा और समय पर विनियामक रिपोर्टिंग के माध्यम से लागू विनियामक और सांविधिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करता है. इसके अलावा, विनियामकों के साथ निरंतर जुड़ाव और कार्यबल के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता पहलों ने बैंक को अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद की है.	• **नकारात्मक:** विनियामक और कानूनी दायित्वों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप दंड/जुर्माना, मुकदमेबाजी लागत और व्यावसायिक प्रतिबंध हो सकते हैं, जो वित्तीय प्रदर्शन को काफी प्रभावित करते हैं. • **सकारात्मक:** मजबूत अनुपालन संस्कृति विनियामक जोखिमों को कम करके वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाती है, साथ ही हितधारकों के विश्वास और भरोसे पर आधारित स्थिर और निरंतर विकास को सक्षम बनाती है.
12	प्रतिष्ठा और ब्रांड प्रबंधन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** अपनी कार्रवाइयों के साथ-साथ बाहरी घटनाओं, सार्वजनिक धारणाओं और संबद्ध जोखिमों से उत्पन्न प्रतिष्ठा संबंधी क्षति के परिणामस्वरूप हितधारक के विश्वास का असमान क्षरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन और वित्तीय परिणामों पर कई गुना प्रभाव पड़ सकता है. • **अवसर:** एक सकारात्मक प्रतिष्ठा हितधारक के विश्वास को बढ़ाती है जबकि प्रभावी प्रतिष्ठा प्रबंधन प्रतिष्ठा जोखिम के बेहतर शमन को सक्षम बनाता है, प्रतिस्पर्धी लाभ और हितधारक विश्वास को मजबूत करता है.	• बैंक की प्रतिष्ठा और ब्रांड प्रबंधन रणनीति भौतिक, डिजिटल और संचार प्लेटफार्मों पर लगातार और बार-बार संदेश सुनिश्चित करके ब्रांड की पहचान को मजबूत करने पर केंद्रित है. ब्रांड उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बैंक सभी वितरण चैनलों में लेन-देन के टचप्वाइंट का लाभ उठाता है और ब्रांड तत्वों और संदेश संरचनाओं में निरंतरता बनाए रखने पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संज्ञानात्मक जुड़ाव के माध्यम से ब्रांड की पहचान का निर्माण करता है.	• **नकारात्मक:** प्रतिष्ठा को नुकसान उच्च ग्राहक टर्नओवर, बाजार हिस्सेदारी में कमी, उच्च विनियामक जांच हो सकती है, जिससे वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है. • **सकारात्मक:** मजबूत प्रतिष्ठा और ब्रांड प्रबंधन स्थिर जमा वृद्धि, निधियों की कम लागत, ग्राहक अधिग्रहण और सेवा लागत में कमी और लाभदायक क्रॉस-सेलिंग अवसरों को सक्षम करके ठोस वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
13	जोखिम प्रबंधन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** जोखिमों की अपर्याप्त पहचान, मूल्यांकन या शमन से वित्तीय अस्थिरता, चलनिधि दबाव, विनियामक अननुपालन, परिचालन व्यवधान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. • **अवसर:** मजबूत जोखिम संस्कृति और सक्रिय जोखिम प्रबंधन सक्रिय रूप से लाभदायक अवसरों की पहचान करने, नए बाजारों में विवेकपूर्ण विस्तार करने और स्थिर प्रदर्शन द्वारा समर्थित नवाचार को सक्षम बनाता है, साथ ही विनियामक अनुपालन, हितधारक विश्वास को बढ़ाता है, इस प्रकार एक प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है.	• बैंक ने विनियामक मानदंडों के अनुरूप एक व्यापक और एकीकृत जोखिम प्रबंधन रणनीति अपनाई है. बैंक का जोखिम प्रबंधन ढांचा स्पष्ट रूप से परिभाषित बोर्ड-अनुमोदित जोखिम सहनशीलता ढांचे द्वारा निर्देशित है और बोर्ड-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति सहित एक मजबूत अभिशासन संरचना के माध्यम से इसकी निगरानी की जाती है. ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालन जोखिम जैसी प्रमुख जोखिमों की पहचान की जाती है, मापा जाता है, निगरानी की जाती है और अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों, स्वतंत्र जोखिम कार्यों और मजबूत आंतरिक नियंत्रणों के माध्यम से कम किया जाता है.	• **नकारात्मक:** अपर्याप्त या कमजोर जोखिम प्रबंधन ढांचे के परिणामस्वरूप विनियामक दंड और वित्तीय नुकसान हो सकते हैं, जो परिचालन और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं. • **सकारात्मक:** प्रभावी जोखिम प्रबंधन नुकसान को न्यूनतम करके, पूंजी दक्षता को मजबूत करके, निरंतर व्यवसाय वृद्धि का समर्थन करके और अनुपालन लागत को कम करके वित्तीय प्रदर्शन को बढ़ाता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
14	सतत वित्त	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** जैसे-जैसे स्थिरता वित्तीय बाजारों को नया आकार देती है, बैंकों को रणनीतिक जोखिम का सामना करना पड़ता है यदि उनके व्यवसाय मॉडल विकसित हो रहे ग्राहकों की जरूरतों, निवेशक प्राथमिकताओं और विनियामक अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होते हैं. घटते उद्योगों के प्रति अत्यधिक एक्सपोजर या सतत वित्त क्षमताओं में कम निवेश भविष्य में विकास के अवसरों को सीमित कर सकता है और बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकता है. इसके विपरीत, पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन, डेटा गुणवत्ता या विशेषज्ञता के बिना सतत वित्त के प्रति बढ़ते एक्सपोजर के परिणामस्वरूप गलत मूल्य निर्धारण, अक्षम पूंजी आवंटन और जोखिम बढ़ सकता है. • **अवसर:** सतत वित्तपोषण की ओर बदलाव नवीकरणीय ऊर्जा, सतत बुनियादी ढांचे, एमएसएमई परिवर्तन वित्तपोषण और हरित आवास जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे पोर्टफोलियो का विविधीकरण, दीर्घकालिक जोखिम लचीलापन को मजबूत करना और विनियामक अपेक्षाओं के साथ संरेखण की अनुमति मिलती है.	• बदलती विनियामक अपेक्षाओं और राष्ट्रीय स्थिरता प्राथमिकताओं के अनुरूप, बैंक अपनी वित्तपोषण गतिविधियों में स्थिरता जोखिम विचारों को उत्तरोत्तर शामिल कर रहा है. बैंक ऋण देने के निर्णयों में पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों को शामिल करता है, विशेष रूप से पारिस्थितिक प्रभाव या विनियामक एक्सपोजर के प्रति उच्च संवेदनशीलता वाली परियोजनाओं के लिए. बैंक कार्बन-गहन और पर्यावरण के लिए हानिकारक क्षेत्रों को ऋण देने में सावधानी बरतता है, जबकि सतत बुनियादी ढांचे, एमएसएमई और विकास-उन्मुख गतिविधियों के लिए वित्तपोषण को प्रोत्साहित करता है.	• **नकारात्मक:** जलवायु परिवर्तन से वित्तीय निहितार्थ संक्रमण से संबंधित पोर्टफोलियो पुनः मूल्य निर्धारण और संपार्श्विक मूल्यों और उधारकर्ता नकदी प्रवाह को प्रभावित करने वाले भौतिक जोखिमों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं जो लंबी अवधि में आस्ति गुणवत्ता और ऋण बुक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं. • **सकारात्मक:** स्थायी वित्तपोषण कम जलवायु और विनियामक जोखिम वाली आस्तियों की ओर पूंजी को पुनर्निर्देशित करके दीर्घकालिक लाभप्रदता को बढ़ाता है, साथ ही ग्रीन बॉण्ड जैसे स्रोतों से स्थिर, दीर्घकालिक और अक्सर कम लागत वाली फंडिंग तक पहुंच के माध्यम से पूंजी दक्षता को बढ़ाता है.

भाग ख : प्रबंधन और प्रक्रिया का प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है:

क्र. सं.	प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.	**क) क्या आपकी संस्था की नीति / नीतियों में एनजीआरबीसी के हर सिद्धांत और इसके मूलभूत तत्वों को शामिल किया गया है? [हाँ / नहीं]**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख) क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? [हाँ / नहीं]	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग) इन नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हों	बैंक ने सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप और संबंधित हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद नीतियों एवं तंत्रों का एक व्यापक समूह स्थापित किया है. इन नीतियों में ऐसी प्रक्रियाएं और प्रथाएं भी स्थापित की गई हैं जो जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के सिद्धांतों के अनुरूप हैं. जहां इनमें से अधिकांश नीतियां और तंत्र बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/) पर पारदर्शिता और व्यापक हितधारक पहुंच के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट किए गए हैं, वहीं कुछ नीतियां और प्रक्रियाएं गोपनीयता, सूचना की संवेदनशीलता और/या व्यावसायिक विचारों के कारण आंतरिक दस्तावेजों के रूप में रखी जाती हैं और केवल आंतरिक हितधारकों के लिए सुलभ हैं. अधिक जानकारी के लिए कृपया **नोट** देखें.								
2.	**क्या संस्था ने अपनी नीति को क्रियाविधियों में परिवर्तित किया है ? [हाँ / नहीं]**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	**क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपकी मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं [हाँ/नहीं]**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	**आपकी संस्था द्वारा अपनाये गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणपत्र / लेबल / मानकों [जैसे फॉरेस्ट स्टूअर्ड्शिप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायन्स, ट्रस्टी] मानक [जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस] का नाम और अपने हर सिद्धांत के साथ उन्हें जोड़ लिया है.**	बैंक ने भारत सरकार, विभिन्न सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों, जिनमें कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय रिजर्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आदि शामिल हैं, द्वारा निर्धारित लागू कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों को अपनाया और उनका अनुपालन किया है.								
5.	**संस्था द्वारा सुपरिभाषित समय सीमा के साथ स्थापित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों**	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6.	**संस्था का विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर कार्यनिष्पादन तथा यदि इनमें से कोई पूरा नहीं हुआ है तो उसके कारण.**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी	
7.	**कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है) पर प्रकाश डाला गया हो**	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के बीआरएसआर खंड में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) द्वारा दिये गए कथन को देखें.
8.	**कारोबारी उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण.**	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
9.	**क्या संस्था में बोर्ड / निदेशक की ऐसी कोई निर्दिष्ट समिति है जो संधारणीयता से संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है?[हाँ / नहीं] यदि हाँ, तो विवरण दें.**	हाँ, बैंक का संधारणीयता के प्रति दृष्टिकोण इसकी पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) नीति में संस्थागत है, जो इसके परिचालन में जिम्मेदार और टिकाऊ प्रथाओं के लिए मार्गदर्शक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है. बोर्ड-स्तरीय सीएसआर और ईएसजी समिति बैंक की ईएसजी रणनीति को आकार देने और इसकी देखरेख करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो इसकी दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप दिशा और अभिशासन प्रदान करती है. इसके अलावा, समिति की संरचना, विचारार्थ विषय और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित समिति की बैठकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट अभिशासन अनुभाग में प्रकट किया गया है. प्रबंधन स्तर पर, दिन-प्रतिदिन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन सीएसआर, ईएसजी और प्रचार पर प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ नेतृत्व टीम के सदस्य शामिल होते हैं. नियमित समीक्षा और मूल्यांकन के माध्यम से, समिति ईएसजी पहलों के कार्यान्वयन और बैंक के स्थिरता लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति की निगरानी करती है.

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्योरा

समीक्षा के लिए विषय	यह दर्शाएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / अन्य किसी समिति द्वारा समीक्षा की गयी थी									आवृत्ति (वार्षिक / छ:माही / त्रैमासिक / अन्य कोई - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपर्युक्त नीतियों के संबंध में कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	मजबूत कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक प्रत्येक दस्तावेज़ में निर्दिष्ट समीक्षा चक्रों के अनुसार या अनुमोदन अधिकारियों द्वारा निर्देशित अनुसार अपनी नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करता है ताकि उनकी निरंतर प्रभावशीलता और प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सके. आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से, बैंक अपनी नीतिगत संरचनाओं को और मजबूत करने के अवसरों की पहचान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि यह विकसित हो रही विनियामक आवश्यकताओं, उभरती व्यावसायिक प्राथमिकताओं और अपने व्यापक स्थिरता उद्देश्यों के साथ संरेखित है. नीति के प्रदर्शन का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और विकसित हो रही विनियामक आवश्यकताओं, व्यावसायिक प्राथमिकताओं और बैंक के व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के साथ निरंतर संरेखण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार अद्यतन या संवर्द्धन शामिल किए जाते हैं.																	
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन और किसी भी अननुपालन में सुधार	बैंक संबंधित सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सभी लागू कानूनों/विनियमों का पालन करता है.																	

11.	**क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी से अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं.**	नहीं
12.	**प्रश्न**	**यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात् नीति में सभी सिद्धांत शामिल नहीं है, कारणों का उल्लेख किया जाए :**
संस्था सिद्धांतों को अपने कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हाँ/ नहीं)		**लागू नहीं**
संस्था ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बना सके और उनको कार्यान्वित कर सके (हाँ /नहीं)		
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय अथवा/ मानवीय एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)		
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)		
अन्य कोई कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)		

***नोट**: नौ सिद्धांतों के विभिन्न पहलुओं के तहत अभिशासन और नियंत्रण ढांचा प्रदान करने वाली बैंक की प्रमुख नीतियों और तंत्रों की सूची इस प्रकार है:*

सिद्धांत	नीतियां/तंत्र
सिद्धांत 1 *(सत्यनिष्ठा और जवाबदेही)*	• रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf) • ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता (https://www.idbi.bank.in/commitment-code.aspx) • गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए क्षतिपूर्ति नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Compensation_Policy.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है) • सामान्य आचार संहिता और नैतिकता (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) • इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आईडीबीआई बैंक की आचार संहिता (https://www.idbi.bank.in/pdf/investor/Prevention_of_Insider_Trading.pdf) aspx • आईडीबीआई बैंक की अनुपालन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है) • एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है.) • अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है.) • अधिकारी सेवा, आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है.) • घटना संबंधी सूचना की महत्ता के निर्धारण और प्रकटीकरण की नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-for-Determination-of-Materiality-Disclosure-of-Events.pdf)

सिद्धांत	नीतियां/तंत्र
	• निगरानी तंत्र पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf) • संबद्ध पार्टी लेनदेन (आरपीटी) नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Related-Party-Transactions.pdf) • बैंक की पारिश्रमिक नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF) • आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति के तहत दबाव परीक्षण (https://www.idbi.bank.in/pdf/basel/Pillar-III-Disclosures_December-25.pdf) • सतर्कता तंत्र (https://www.idbi.bank.in/vigilance-mechanism.aspx) • व्हिसल ब्लोअर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Whistle-Blower-Policy.pdf)
सिद्धांत 2 *(सतत और सुरक्षित उत्पाद)*	• नागरिक चार्टर (https://www.idbi.bank.in/pdf/Citizen-Charter.pdf) • डिजिटल डेटा संरक्षण नीति (डीपीडीपी) (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • सूचना सुरक्षा ढांचा (https://www.idbi.bank.in/information-security.aspx) • एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • आईटी नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/basel/Pillar-III-Disclosures-March-26.pdf)
सिद्धांत 3 *(कर्मचारी कल्याण)*	• समान अवसर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • सामान्य आचार संहिता और नैतिकता (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) • आईडीबीआई बैंक - व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंध (ओएसएचए) नीति (आई-ओएसएचए) (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • आई-हृदयो पोर्टल (यह पोर्टल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया है). • शिक्षण एवं कर्मचारी सहभागिता नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • अधिकारी सेवा, आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम (यह नियम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • निगरानी तंत्र पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf) • सुरक्षा नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है).
सिद्धांत 4 *(हितधारक जवाबदेही)*	• कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/CSR-Policy.pdf) • ग्राहक सेवा नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • आई-हृदयो पोर्टल (यह पोर्टल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया है). • निगरानी तंत्र पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf) • पीओएसएच अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न निवारण समितियां (https://www.idbi.bank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)

सिद्धांत	नीतियां/तंत्र
सिद्धांत 5 (मानवाधिकार संरक्षण)	• ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • मानवाधिकार नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf) • पीओएसएच अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न निवारण समितियां (https://www.idbi.bank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)
सिद्धांत 6 *(पर्यावरण संरक्षण)*	• व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/basel/bcm-disclosure.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf)
सिद्धांत 7 *(जिम्मेदार हिमायत)*	• ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • आईडीबीआई बैंक की अनुपालन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है).
सिद्धांत 8 *(समावेशी विकास)*	• कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/CSR-Policy.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf)
सिद्धांत 9 *(जिम्मेदार ग्राहक सहभागिता)*	• नागरिक चार्टर (https://www.idbi.bank.in/pdf/Citizen-Charter.pdf) • ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता (https://www.idbi.bank.in/commitment-code.aspx) • ग्राहक सेवा नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf) • ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf) • ग्राहक अधिकार नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf) • डिजिटल डेटा संरक्षण नीति (डीपीडीपी) (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • ईसीजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • उचित व्यवहार संहिता - सूक्ष्म-वित्त ऋण (https://www.idbi.bank.in/pdf/micro-loan-fpc.pdf) • ऋण देने के लिए उचित व्यवहार संहिता (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/FairPracticecodeforLending.pdf) • धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • शिकायत निवारण नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf) • सूचना सुरक्षा ढांचा (https://www.idbi.bank.in/information-security.aspx) • देय राशि के संग्रहण और प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/collection_of_dues_policy.pdf) • अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Unauthorised-Electronic-Banking-Transactions-Policy.pdf)

भाग ग : सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन का प्रकटीकरण

इस भाग का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है. मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है. जहां आवश्यक संकेतकों को प्रत्येक संस्था द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है जो इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य है, वहीं नेतृत्व संकेतकों को स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरण और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की आकांक्षा रखती हैं.

सिद्धांत 1: कारोबारों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से खुद का संचालन और नियंत्रण करना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का %
निदेशक मंडल@	7	• 24वां फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) - प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) का बाली में वार्षिक सम्मेलन • डिज़ाइन थिंकिंग: सतत व्यापार प्रभाव परिणाम • निदेशकों के लिए वित्तीय बुद्धिमत्ता • भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) - आईडीबीआई के निदेशकों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर आईडीबीआई का कार्यक्रम • स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन सेमिनार (एसआईबीओएस) 2025, फ्रैंकफर्ट • बोर्ड सदस्यों के लिए रणनीतिक अंतर्दृष्टि • बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वित्तीय संस्थानों (एफआई) के निदेशक मंडल के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन-शोधन-निवारण (एएमएल) पर वर्चुअल कार्यक्रम	100%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	49	• बाली में 24वां एफआईएमएमडीए-पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन • आरोहण सह लीड - महाप्रबंधकों के लिए नेतृत्व उत्कृष्टता और विकास कार्यक्रम • बैंकों, एफआई और एनबीएफसी के मुख्य वित्तीय अधिकारियों का सम्मेलन - नई चुनौतियाँ • नेतृत्वकर्ताओं द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गलतियाँ • डिज़ाइन थिंकिंग: सतत व्यापार प्रभाव परिणाम • डेलॉइट द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पर ऑनलाइन कार्यक्रम • दस्तावेज़ संभालने और प्रतिधारण नीति • आईडीबीआई साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत • आईडीबीआई के निदेशकों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर आईआईसीए-आईडीबीआई कार्यक्रम • भारत जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड (आईसीईडी) • केवाईसी एएमएल - मनी म्यूल्स और ग्राहक सम्यक तत्परता (सीडीडी) दिशानिर्देश	100%

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का %
		• आईडीबीआई बैंक के कार्यपालकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम - कार्यकारी निदेशक (ईडी) • बोर्ड रूम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों पर कार्यक्रम • एसआईबीओएस 2025, फ्रैंकफर्ट • बोर्ड सदस्यों के लिए रणनीतिक अंतर्दृष्टि • बैंकों, एनबीएफसी और एफआई के निदेशक मंडल के लिए केवाईसी/एएमएल पर वर्चुअल कार्यक्रम • आरोहण सह नेतृत्व उत्कृष्टता और विकास (एलईएडी) कार्यक्रम - महाप्रबंधकों (जीएम) के लिए • बैंक के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम-ओजेएएस में विनियामक और कार्यात्मक भूमिका आधारित ऑनलाइन मॉड्यूल • सचिवीय परिचालनों में एआई को शामिल करने पर वेबिनार • प्रभावी बोर्ड प्रबंधन और संप्रेषण की भूमिका पर वेबिनार • कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ऋण एवं उधार पर वेबिनार • आईपीएफ कानूनों को समझने के लिए वेबिनार • एमएसएमई पर वेबिनार: पेशेवरों के लिए अवसर • इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने वाले (पीआईटी) विनियमों और संरचित डेटाबेस के व्यावहारिक पहलुओं पर वेबिनार • सेबी (एलओडीआर) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2024 पर वेबिनार • भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा आयोजित प्रगतिशील, समावेशी और सतत भारत विषय पर कंपनी सचिवों का 53वां राष्ट्रीय सम्मेलन • सेबी द्वारा आयोजित इनसाइडर ट्रेडिंग पर चर्चा • संबद्ध पक्षकार लेनदेनों, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) और अन्य चुनौतियों पर पैनल चर्चा • बोर्ड द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर पैनल चर्चा	
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	2,868	• आरोहण: वीराइज़ आईडीबीआई • अनुपालन, नियंत्रण और नैतिकता • भूमिका आधारित/उन्नत भूमिका आधारित कार्यशाला • पहली बार बने शाखा प्रमुख कार्यक्रम • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों पर जागरूकता कार्यक्रम • ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम • नए भर्ती कार्मिकों के लिए परिचय कार्यक्रम सह भूमिका आधारित कार्यशालाएं • विशेष और अनुकूलित कार्यक्रम • प्रतिभा विकास कार्यक्रम • बाहरी शिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन • स्थान सुविधा कार्यक्रम • मेंटरशिप • ओजस के माध्यम से ई-लर्निंग	99%

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का %
कामगार	37	• आरोहणः वीराइज़ आईडीबीआई - कामगार कर्मचारियों के लिए एक व्यवहार विज्ञान और कल्याण कार्यक्रम • लिपिक स्टाफ के लिए भूमिका आधारित कार्यशाला • रिज़र्व बैंक के नोटों के विनिमय/वापसी संबंधी दिशानिर्देशों पर कार्यशाला • निरंतर समाशोधन और निपटान पर कार्यशाला • स्थान सुविधा कार्यक्रम • केवाईसी एएमएल - मनी म्यूल्स और सीडीडी दिशानिर्देश • प्राथमिकता और शेड्यूलिंग • पीओएसएच के कानूनी पहलू • आईडीबीआई साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत • फ़िशिंग ईमेल का पता लगाने और उनसे निपटने पर जागरूकता प्रशिक्षण • उद्देश्य के साथ जीवन जीना • फ़िशिंग ईमेल का पता लगाने और उनसे निपटने पर जागरूकता प्रशिक्षण • अन्य पक्ष जोखिम प्रबंधन (टीपीआरएम) - जोखिम विभाग द्वारा उपयोगकर्ता प्रशिक्षण	87%

@ - 31 मार्च 2026 को निदेशक मंडल और एमडी एवं सीईओ सहित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की कुल संख्या पर विचार किया गया है.

2. निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों की कार्यवाही में (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) भुगतान किया गया जुर्माना/दंड/सजा/फैसले/कंपाउंडिंग फीस/समझौता राशि का विवरण (नोट: संस्था को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट महत्वपूर्णता के आधार पर और संस्था की वेबसाइट पर प्रकट किए गए अनुसार प्रकटीकरण करना होगा):

मौद्रिक					
प्रकार	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम**	**राशि (₹ में)**	**मामले का संक्षिप्त सार**	**क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हाँ/नहीं)**
दंड / जुर्माना	सिद्धांत 1	भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक)	₹ 34,98,285/-	• गुप्त दौरे के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में लगाए गए जुर्माने (3 उदाहरण): ₹ 30,000/- • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में 3 लाख रुपये तक की स्वीकृत सीमा वाले किसानों को लागू उधार दर से अधिक ब्याज लेने के लिए वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में जुर्माना (1 उदाहरण) ₹ 31,80,000/-	नहीं

मौद्रिक					
प्रकार	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम	राशि (₹ में)	मामले का संक्षिप्त सार	क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हाँ/नहीं)
				• (i) गंदे नोट, (ii) नकदी की कमी, (iii) नकली नोट, (iv) अर्धवार्षिक सत्यापन न करने आदि के कारण करेंसी चेस्ट से संबंधित वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने (15 उदाहरण): ₹ 51,000/- • गुप्त दौरे के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में लगाए गए जुर्माने (2 उदाहरण) ₹ 20,000/- • (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) नकली नोट के कारण वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए जुर्माने (12 उदाहरण): ₹ 21,050/- • गुप्त दौरे के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में लगाए गए जुर्माने. (1 उदाहरण): ₹10,000/- • (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) नकली नोट के कारण वित्तीय वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए जुर्माने (12 उदाहरण): ₹ 46,900/- • गुप्त निरीक्षण के दौरान गंदे नोटों को स्वीकार करने/कमी पाए जाने पर वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने (9 उदाहरण): ₹ 1,00,000/-. • (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) नकली नोट (iv) नकदी सत्यापन (v) वॉल्ट में बाहरी विद्युत स्विच कनेक्शन के कारण वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों पर लगाए गए जुर्माने (12 उदाहरण) : ₹ 39,335/-	

मौद्रिक					
प्रकार	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम**	**राशि (₹ में)**	**मामले का संक्षिप्त सार**	**क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हाँ/नहीं)**
निपटान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
फैसला	सिद्धांत 1	ओआरबीआईओ	₹ 15,700/-	शिकायतकर्ता, जो दूसरे बैंक का ग्राहक है, दिनांक 11-05-2025 को नागपुर के सदर स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम से ₹ 5,000 निकालने का प्रयास किया. हालांकि राशि डेबिट हो गई थी लेकिन नकद राशि नहीं निकली. भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल कार्यालय (ओआरबीआईओ) ने बैंक को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजे सहित राशि वापस करने की सूचना दी. चूंकि बैंक ने लेनदेन की तारीख के बजाय शिकायत की तारीख से मुआवजा दिया, इसलिए ओआरबीआईओ ने लेनदेन की तारीख से मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया.	नहीं

गैर मौद्रिक				
प्रकार	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम**	**मामले का संक्षिप्त सार**	**क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हाँ/नहीं)**
कारावास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. **उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट की गयी जानकारी में से उन मामलों के ब्योरे जिनके मामले में अपील / संशोधन दर्ज किया गया है जहां मौद्रिक अथवा गैर- मौद्रिक कार्रवाई करने की अपील की गयी है.**

मामले का विवरण	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम
प्रश्न संख्या 2 में उल्लिखित मामलों के संबंध में, बैंक द्वारा कोई अपील/पुनर्विचार प्रस्तुत नहीं किया गया है.	

4. **क्या संस्था की कोई भ्रष्टाचार विरोधी अथवा रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त ब्योरा दें और यदि उपलब्ध हो, तो इस नीति से संबंधित वेब लिंक उपलब्ध कराएं.**

हां, बैंक के पास बोर्ड द्वारा स्वीकृत रिश्वत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति है जो ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक अभिशासन के साथ व्यवसाय का संचालन करने की इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है. यह नीति बैंक के सभी परिचालनों एवं हितधारकों के साथ परस्पर संवाद के दौरान रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति बैंक के शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है. यह नीति बैंक के आंतरिक कार्यबल को इंट्रानेट के माध्यम संप्रेषित की गई है तथा व्यापक प्रसार एवं जागरूकता के लिए बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf) पर सार्वजनिक डोमेन में भी रखा गया है.

5. **निदेशकों/केएमपी /कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत खोरी/भ्रष्टाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. **हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का ब्योरा:**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-
केएमपी के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाये गये दंड / जुमनि / की गयी कार्रवाई से संबंधित मामलों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो या की जा रही हो तो उसका विवरण प्रस्तुत करें**

लागू नहीं

8. **निम्नलिखित प्रारूप में देनदारी लेखों के दिनों की संख्या ((देनदारी लेखे x 365)/ खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
देनदारी लेखों के दिनों की संख्या@	30	32

@ - कारोबार मॉडल को ध्यान में रखते हुए, बैंक की देय खातों से सीधे संबंधित कोई देनदारी नहीं है. बैंक की देयताओं को "अन्य देयताओं" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इनकी निगरानी खाता स्वामियों द्वारा की जाती है.

9. व्यापार में पारदर्शिता

निम्नलिखित प्रारूप में ट्रेडिंग हाउस, डीलरों और संबद्ध पक्षकारों के साथ ऋण और अग्रिम एवं निवेश सहित खरीद और बिक्री संकेंद्रण का विवरण प्रदान करें:

मापदंड		मात्रक	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
खरीद संकेंद्रण	क)	कुल खरीद के % के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग कंपनी होने के नाते, बैंक पर खरीद एवं बिक्री के मापदंड लागू नहीं होते हैं. बैंक के पास जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं का एक व्यापक आधार है जिन्हें बैंक की नीतियों के अनुरूप जोड़ा जाता है. बैंक का किसी भी ट्रेडिंग हाउस/डीलर के साथ कोई लेन-देन नहीं है. संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी लेन-देन निष्पक्ष तरीके से किए जाते हैं. संबंधित चार श्रेणियों के शीर्ष 20 खातों के संबंध में जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए के संकेद्रण का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है.	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग कंपनी होने के नाते, बैंक पर खरीद एवं बिक्री के मापदंड लागू नहीं होते हैं. बैंक के पास जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं का एक व्यापक आधार है जिन्हें बैंक की नीतियों के अनुरूप जोड़ा जाता है. बैंक का किसी भी ट्रेडिंग हाउस/डीलर के साथ कोई लेन-देन नहीं है. संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी लेन-देन निष्पक्ष तरीके से किए जाते हैं. संबंधित चार श्रेणियों के शीर्ष 20 खातों के संबंध में जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए के संकेद्रण का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है.
	ख)	ट्रेडिंग हाउसों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है		
	ग)	ट्रेडिंग हाउसों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउसों से खरीदारी		
बिक्री संकेंद्रण	क)	कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री		
	ख)	डीलरों/ वितरकों की संख्या जिनको बिक्री की जाती है		
	ग)	डीलरों/ वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री		
में आरपीटी का हिस्सा	क)	खरीद (संबद्ध पक्षकारों से खरीद/कुल खरीद)	-	-
	ख)	बिक्री (संबद्ध पक्षकारों को की गई बिक्री/कुल बिक्री	-	-
	ग)	ऋण एवं अग्रिम (संबद्ध पक्षकारों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम/ कुल ऋण एवं अग्रिम)@	0.37%	0.42%
	घ)	निवेश (संबद्ध पक्षकारों में निवेश/ किया गया कुल निवेश)#	0.25%	0.28%

@ - संबद्ध पक्षकारों को दिए गए ऋण/बैंक के सकल अग्रिम

 # - संबद्ध पक्षकारों में निवेश / बैंक का कुल सकल निवेश

नेतृत्व संकेतक

1. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर चलाये गये जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित किये गये जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए (इन भागीदारों के साथ किए गए कारोबार मूल्य द्वारा) मूल्य श्रृंखला के भागीदारों का प्रतिशत
01	ईएसजी और बीआरएसआर का परिचय, उत्पाद, नीति और अनुपालन, ईएसजी की परिभाषा, ईएसजी के अंतर्गत फोकस क्षेत्र, ईएसजी पर राष्ट्रीय नीतियां और विनियमन, एनजीआरबीसी के नौ सिद्धांत, बीआरएसआर की प्रयोज्यता समयसीमा और बीआरएसआर कोर प्रकटीकरण का विवरण.	ईएसजी से संबंधित आवश्यकताओं के प्रति अपनी सभी मूल्य श्रृंखलाओं में जागरूकता एवं अनुपालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपने प्रमुख विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के बीच एक समर्पित प्रशिक्षण मॉड्यूल वितरित किया.

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों के हितों के टकराव को टालने के लिए /प्रबंधन करने के लिए कोई प्रक्रिया मौजूद है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण प्रस्तुत करें.

हां. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित एक व्यापक अभिशासन ढांचा स्थापित किया है जिसका उद्देश्य बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव की पहचान करना, उनका प्रबंधन करना और उनका निवारण करना है. बैंक की सामान्य आचार संहिता और नैतिकता, जो इसकी वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) पर उपलब्ध है, में नैतिक आचरण और हितों के टकराव की स्थितियों को नियंत्रित करने वाले व्यापक प्रावधान दिए गए हैं जिनमें निदेशकों पर लागू विशिष्ट मार्गदर्शन भी शामिल है. इस ढांचे के हिस्से के रूप में, बोर्ड के सभी सदस्यों को अपने हितों की आवधिक और वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत करनी होती हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली बोर्ड बैठक में बाहरी संस्थाओं में अपने हितों में किसी भी परिवर्तन का प्रकटन करना होता है और किसी भी परिवर्तन की स्थिति में उसके तुरंत बाद ऐसा करना होता है. हितों के टकराव की पहचान होने या संभावित टकराव की समीक्षा बैंक की अभिशासन प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है. यदि किसी निदेशक का विचाराधीन मामले में व्यक्तिगत हित हो, तो निदेशक को विचार-विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखना आवश्यक है; विचार-विमर्श और निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्वाग्रह रहित तरीके से लिये जाते हैं. हितों के टकराव के प्रबंधन की प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बैंक के व्यापक अभिशासन और नैतिकता ढांचे के हिस्से के रूप में बोर्ड स्तर की निगरानी के अधीन है.

सिद्धांत 2: कारोबारों को इस प्रकार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों.

आवश्यक संकेतक:

1. संस्था द्वारा कुल आर एंड डी तथा पूंजीगत व्यय निवेशों की तुलना में उत्पाद एवं प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में क्रमशः आर एंड डी और पूंजीगत व्यय (केपेक्स) निवेशों का प्रतिशत.

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधारों का विवरण
आर एंड डी	वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं है.		
केपेक्स			

2. क. क्या संस्था के पास सतत् सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हाँ/नहीं).

हाँ

ख. यदि हाँ, तो इनपुट के कितने प्रतिशत स्थायी स्रोतों से प्राप्त किए गए थे?

बैंक ने नवस्थापित शाखाओं और चुनिंदा कार्यालयों एवं आवासीय सुविधाओं में प्रमाणित ग्रीन प्लाईवुड और ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसे पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों को अपनाकर सतत संचालन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. ये पहलें बैंक के व्यापक सततता उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और अपनी परिचालन अवसंरचना में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना शामिल है. अपनी परिचालन

गतिविधियों से परे इस प्रतिबद्धता का विस्तार करते हुए, बैंक अपने विक्रेताओं और सेवा भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, सुदृढ़ श्रम प्रथाओं, मानवाधिकार संरक्षण और सुदृढ़ अभिशासन ढांचे को प्रोत्साहित करता है ताकि उनके ईएसजी प्रदर्शन को बढ़ाया जा सके. इसके अलावा, बैंक ने कई प्रस्तावों के लिए अनुरोधों (आरएफपी) में ईएसजी-विशिष्ट खंड शामिल किए हैं, जिनमें सांविधिक और विनियामक अनुपालन, नैतिक व्यावसायिक आचरण, हितों के टकराव से बचाव, डेटा सुरक्षा, सूचना सुरक्षा मानकों का पालन और उल्लंघनों के लिए क्षतिपूर्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं. अपनी खरीद प्रक्रियाओं को वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुरूप बनाने के लिए, बैंक जहां भी संभव हो, आईएसओ 14001 जैसे स्थापित पर्यावरण प्रबंधन ढांचों से प्रमाणित विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता देता है. बढ़ी हुई सुरक्षा और टिकाऊ परिचालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत बैंक अग्निरोधी पेंट, अग्निरोधी दरवाजे, अग्निरोधी प्लाईवुड और नाइट्राइल इन्सुलेशन जैसी कम/शून्य ज्वलनशील सामग्रियों की सोर्सिंग को प्राथमिकता दे रहा है.

3. **जीवनकाल की समाप्ति पर अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें:(क) प्लास्टिक (पैकिंग सामग्री सहित), (ख) ई-वेस्ट (ग) हानिकारक कचरा (घ) अन्य कचरा**

   वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.

4. **क्या संस्था की गतिविधियों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) लागू है ?(हाँ / नहीं). यदि हाँ, तो क्या कचरा उठाने की योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो उक्त के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें.**

   वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद के लिए (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी किसी भी सेवाओं के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उसका जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में उसका ब्योरा प्रस्तुत करें.**

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल टर्नओवर में योगदान %	जीवन चक्र परिदृश्य/ मूल्यांकन हेतु निर्धारित सीमा	क्या यह किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया था (हाँ/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो वेबलिंक प्रदान करें
वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.					

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिमें पैदा हो रही हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन (एलसीए) में या अन्य किसी माध्यम के जरिये पहचाना गया है, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें और उसे कम करने के लिए किये गये उपाय का भी उल्लेख करें.**

इनपुट सामग्री इंगित करें	जोखिम/ चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.		

3. **उत्पादन में (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा सेवा प्रदान करने के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उपयोग में लाई गई कुल सामग्री में से री-सायकल की गई या दोबारा उपयोग में लाई गई सामग्री का प्रतिशत.**

उत्पाद/सेवा का नाम	कुल सामग्री में री-सायकल की गई या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.		

4. निम्नलिखित प्रारूप में उत्पादों के जीवन चक्र के अंत में पुन: प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से पुन: उपयोग की गई, री-सायकल की गई और सुरक्षित रूप से नष्ट की गई मात्रा (मेट्रिक टन में) बताएं:

प्रकार	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	पुन: उपयोग की गई	री-सायकल की गई	सुरक्षित रूप से नष्ट की गई	पुन: उपयोग की गई	री-सायकल की गई	सुरक्षित रूप से नष्ट की गई
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.					
ई-कचरा						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुन:प्राप्त किये गये उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गये उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)

उत्पाद श्रेणी इंगित करें	संबंधित श्रेणी में कुल बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में पुन:प्राप्त किये गये उत्पाद एवं उनकी पैकेजिंग सामग्री
वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.	

सिद्धांत 3: कारोबारों को उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का ब्योरा:

श्रेणी	इनके अंतर्गत शामिल कर्मचारियों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा@		दुर्घटना बीमा		प्रसूति लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ /ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	11,959	11,959	100%	11,959	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	11,959	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	6,579	6,579	100%	6,579	100%	6,579	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**18,538**	**18,538**	**100%**	**18,538**	**100%**	**6,579**	**35.49%**	**11,959**	**64.51%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
स्थायी कर्मचारियों से इतर											
पुरुष	861	852	98.95%	861	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	724	723	99.86%	724	100%	724	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**1,585**	**1,575**	**99.37%**	**1,585**	**100%**	**724**	**45.68%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

@ - स्थायी कर्मचारी बैंक की इन-हाउस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आते हैं. प्रवेश स्तर के अधिकारी फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं.

ख. कामगारों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का ब्योरा

श्रेणी	कुल (ए)	इनके अंतर्गत शामिल कामगारों का %									
		स्वास्थ्य बीमा@		दुर्घटना बीमा		प्रसूति लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ /ए)
स्थायी कामगार											
पुरुष	425	425	100.00%	425	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	425	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	145	145	100.00%	145	100.00%	145	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	570	570	100.00%	570	100.00%	145	25.44%	425	74.56%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कामगारों से इतर											
पुरुष	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
महिला	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
कुल	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

@ - स्थायी कामगार बैंक की इन-हाउस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आते हैं.

ग. कर्मचारियों एवं कामगारों (स्थायी तथा अस्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण संबंधी उपायों पर उपगत लागत@	0.32%	0.32%

@ वित्तीय सहायता के उपाय के रूप में बैंक अपने दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित परिवारजन को अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर अनुग्रह राशि भी प्रदान करता है.

2. चालू वित्तीय वर्ष तथा पिछले वित्तीय वर्ष के सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण.

क्रम सं.	लाभ	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ/ नहीं/ लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
1.	भविष्य निधि (पीएफ)	2.08%	10.54%	हाँ	2.45%	11.49%	हाँ
2.	ग्रेच्युटी	100.00%	100.00%	हाँ	100.00%	100.00%	हाँ
3.	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई)	0.00%	0.00%	लागू नहीं	0.00%	0.00%	लागू नहीं
4.	अन्य - पेंशन एवं एनपीएस@	97.92%	89.46%	हाँ	97.55%	88.51%	हाँ

@ - उन कर्मचारियों को छोड़कर जिनका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) नहीं खोला गया है.

3. कार्यस्थलों की सुलभता

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार संस्था के परिसर / कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं ? यदि नहीं, तो क्या संस्था इस संबंध में कोई कदम उठा रही है.

बैंक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, दिव्यांगजनों सहित सभी आगंतुकों, कर्मचारियों एवं कामगारों के लिए बाधारहित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. काफी संख्या में शाखाएं पहले से ही निर्धारित सुलभता मानकों को पूरा करती हैं, जबकि कई अन्य आंशिक रूप से अनुपालन करती हैं और पूर्ण अनुरूपता प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन्नत की जा रही हैं. कुछ मामलों में, वैधानिक सीमाओं, स्थान की कमी, या संरचनात्मक और विनियामक स्थितियां जैसे स्थल-विशिष्ट कारकों से पूर्ण अनुपालन वर्तमान में बाधित है और ऐसे मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ताकि जब भी संभव हो सुधार किए जा सकें. पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए बैंक ने वैकल्पिक व्यवस्थाएँ शुरू की हैं जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ शामिल हैं और पहुँच संबंधी चिंताओं को दूर करने और आवश्यक सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शाखा में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं. 31 मार्च 2026 को कुल 2,174 शाखाओं (69 आईडीबीआई समीम बैंकिंग आउटलेट को छोड़कर) में से 1,078 शाखाओं में रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और 33 शाखाओं में रैंप लगाने का काम प्रगति पर है. इसके अतिरिक्त 293 शाखाओं को रैंप की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे समतल प्रवेश या लिफ्ट-आधारित पहुंच के माध्यम से सुलभ हैं. शेष 770 शाखाएँ ऊपरी मंजिलों पर स्थित हैं जिसके कारण रैंप लगाना अव्यवहार्य है. समावेशी कार्यस्थल के महत्व को पहचानते हुए, 97 क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों में से 66 में सुलभता संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई हैं. बैंक इन सुविधाओं को अन्य कार्यालयों तक विस्तारित करने के विकल्पों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है, जहां भी यह संभव हो. इसके अतिरिक्त, दृष्टिबाधित कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में स्वतंत्र रूप से आने-जाने में सहायता करने के लिए चुनिंदा कार्यालयों में आवाज-सक्षम लिफ्ट सिस्टम भी स्थापित किए गए हैं.

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति मौजूद है? यदि हाँ, तो उक्त नीति की वेब लिंक उपलब्ध कराएं.

हाँ. बैंक अपनी समान अवसर नीति के माध्यम से समानता, विविधता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का पालन करता है. यह नीति बैंक की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह सभी कर्मचारियों और योग्य नौकरी आवेदकों को उनकी जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, अक्षमता और अन्य कारकों पर ध्यान दिये बिना समान अवसर प्रदान करेगा. नीति के प्रावधानों का उद्देश्य योग्यता-आधारित व्यावसायिक विकास द्वारा परिभाषित एक विविध और समावेशी कार्य संस्कृति सुनिश्चित करना है, साथ ही लागू श्रम कानूनों और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करना है. हितधारकों के बीच व्यापक प्रसार के लिए यह नीति बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf) पर उपलब्ध है.

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में पितृत्व/ मातृत्व छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी एवं काम पर बने रहने की दर

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर लौटने की दर@	बने रहने की दर#	काम पर लौटने की दर@	बने रहने की दर#
पुरुष	99.78%	91.85%	100%	100%
महिला	79.33%	87.40%	50%	100%
कुल	**90.66%**	**89.95%**	**85.71%**	**100%**

@ - काम पर लौटने की दर के लिए, उन अधिकारियों को शामिल किया गया है जिन्होंने पितृत्व/मातृत्व छुट्टी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 मार्च 2026 तक) के दौरान समाप्त अवधि में ली है और जो 31 मार्च 2026 को सेवा में थे.

 # - बने रहने की दर के लिए, उन अधिकारियों को शामिल किया गया है जिन्होंने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान पितृत्व/मातृत्व छुट्टी ली थी और 12 महीने बाद सेवा में बने रहे और 31 मार्च 2026 को सेवा में थे.

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों की शिकायतें सुनने का और उनका निवारण करने का कोई तंत्र मौजूद है ? यदि हाँ, तो उस तंत्र का ब्योरा संक्षिप्त में दीजिए.

श्रेणी	हाँ/नहीं	संक्षिप्त में तंत्र का ब्योरा
स्थायी कामगार	हाँ	हाँ, बैंक के पास आई-हृदयो नामक एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध है और जिसके माध्यम से कर्मचारी एवं कामगार अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के अंतर्गत अंतर्निहित अपीलीय तंत्र भी स्थापित किए हैं.
स्थायी कामगारों से इतर	हाँ	
स्थायी कर्मचारी	हाँ	
स्थायी कर्मचारियों से इतर	हाँ	

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यताप्राप्त संघ (घों) अथवा यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ए)@	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ(घों))अथवा यूनियनों के हिस्से हैं (बी)#	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी /कामगार (सी)@	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ(घों))अथवा यूनियनों के हिस्से हैं (डी)#	% (डी/सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	**20,123**	**11,304**	**56.17%**	**19,087**	**10,968**	**57.46%**
- पुरुष	12,820	7,770	60.61%	12,333	7,708	62.50%
- महिला	7,303	3,534	48.39%	6,754	3,260	48.27%
कुल स्थायी कामगार	**570**	**502**	**88.07%**	**644**	**584**	**90.68%**
- पुरुष	425	386	90.82%	487	457	93.84%
- महिला	145	116	80.00%	157	127	80.89%

** - डेटा में संविदा पर कर्मचारी शामिल हैं.*

 # - हालांकि किसी भी यूनियन/संघ को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा नहीं दिया गया है, उपर्युक्त बैंक में संचालित प्रमुख यूनियनों /संघों की संभावित सदस्यता स्थिति है.

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गये प्रशिक्षण का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26					वित्तीय वर्ष 2024-25				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (ई)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
पुरुष	12,820	12,536	97.78%	12,731	99.31%	12,333	11,617	94.19%	12,155	98.56%
महिला	7,303	7,075	96.88%	7,195	98.52%	6,754	6,221	92.11%	6,609	97.85%
कुल	**20,123**	**19,611**	**97.46%**	**19,926**	**99.02%**	**19,087**	**17,838**	**93.46%**	**18,764**	**98.31%**
कामगार										
पुरुष	425	351	82.59%	351	82.59%	487	394	80.90%	397	81.52%
महिला	145	131	90.34%	131	90.34%	157	145	92.36%	145	92.36%
कुल	**570**	**482**	**84.56%**	**482**	**84.56%**	**644**	**539**	**83.70%**	**542**	**84.16%**

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्यनिष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)@	संख्या (बी)#	% (बी/ए)	कुल (सी)@	संख्या (डी)#	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	12,844	12,317	95.90%	11,147	10,764	96.56%
महिला	7,315	6,624	90.55%	5,802	5,208	89.76%
कुल	**20,159**	**18,941**	**93.96%**	**16,949**	**15,972**	**94.24%**
कामगार						
पुरुष	458	457	99.78%	525	524	99.81%
महिला	155	154	99.35%	165	165	100.00%
कुल	**613**	**611**	**99.67%**	**690**	**689**	**99.86%**

@ - कुल कर्मचारियों में वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यरत कर्मचारी और साथ ही सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/मृत कर्मचारी शामिल हैं जिनका कार्यनिष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है.

 # - कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जिनका कार्यनिष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है.

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

क. क्या संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ /नहीं) यदि हाँ, ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

हां, बैंक ने अपने परिसरों में कार्यरत सभी कर्मचारियों और ऑफ-रोल स्टाफ को सुरक्षित, स्वस्थ और संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए एकीकृत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और आश्वासन (i-OSHA) नीति को अपनाया है. यह नीति कार्यस्थल पर लागू व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विनियमों के अनुपालन में सुरक्षा प्रथाओं की निरंतर निगरानी और सुधार के माध्यम से सक्रिय रूप से जोखिम की पहचान और रोकथाम पर केंद्रित है. बैंक की सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने और इसके परिचालनों में कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और घटना रिपोर्टिंग तंत्र को नीति का अभिन्न अंग बनाया गया है. बैंक की सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने और इसके सभी कार्यों में कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और घटना रिपोर्टिंग तंत्र को नीति का अभिन्न अंग बनाया गया है. बैंक ने अपने सभी कार्यालयों और शाखाओं में व्यापक सुरक्षा उपाय भी किए हैं, जिनमें अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाना, क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी के लिए प्रणाली लगाना, एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई बैठने की व्यवस्था करना और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना शामिल है. बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर देता है, जिसके तहत प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों और प्रशिक्षण कॉलेज सहित प्रमुख स्थानों पर बैंक चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) की नियुक्ति की जाती है और समय-समय पर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. बैंक द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच भी कराई जाती है, जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी चिकित्सा नीति और लागू स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अनुसार व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है ताकि कर्मचारियों को उनके चिकित्सा संबंधी व्यय को पूरा करने में सहायता मिल सके.

ख. संस्था द्वारा कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

बैंक समय -समय पर अग्नि मॉक ड्रिल आयोजित करके और सभी उपकरणों का नियमित निवारक रखरखाव करके सुरक्षा और परिचालन निरंतरता के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है ताकि कर्मचारियों की तैयारी और निरंतर परिचालन दक्षता सुनिश्चित हो सके. कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सभी कामगारों को हेलमेट, दस्ताने और सुरक्षा जूते जैसे आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), कार्य परमिट और उचित साइनेज सुनिश्चित किए जाते हैं. कार्यस्थलों

का दैनिक निरीक्षण किया जाता है और संभावित जोखिमों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए आवधिक रूप से दुर्घटनाओं के इतिहास की समीक्षा की जाती है. बैंक अपने परिसरों का नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा ऑडिट भी करता है और पहचाने गए जोखिमों को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करता है. बैंक की नीति के अनुसार, सभी सुरक्षा, ऑडिट और रखरखाव संबंधी जानकारी को आपदा और व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन आईटी सिस्टम (आई-डीएबी) में व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है, निगरानी और अद्यतन किया जाता है. बैंक परिसर में फर्श की सफाई के दौरान, गीले फर्श की स्थिति के बारे में सूचित करने और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए उचित साइनेज और भौतिक बैरिकेड्स लगाए जाते हैं.

ग. क्या आपके पास कामगारों द्वारा काम से संबंधित खतरों को रिपोर्ट करने तथा उन्हें स्वयं को ऐसे जोखिमों से हटाने की प्रणाली मौजूद है? (हाँ / नहीं)?

हाँ. बैंक अपने प्रधान कार्यालय में कार्यस्थल पर होने वाली घटनाओं और खतरों को दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल शॉक रजिस्टर सहित संबंधित रजिस्टर और लॉगबुक रखता है. इसके अतिरिक्त, मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) निवारक उपायों और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को बल मिलता है.

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/ कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध है ? (हाँ/ नहीं)?

कर्मचारी कल्याण संबंधी पहलों के अंतर्गत, बैंक अपनी चिकित्सा योजना के तहत सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा कवरेज सुनिश्चित करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक के कनिष्ठ कर्मचारियों को फ्लोटर ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है, जिससे सभी कर्मचारी श्रेणियों को पर्याप्त चिकित्सा कवरेज प्राप्त होता है. बैंक के प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, लिवर फंक्शन, नेत्र स्वास्थ्य और हृदय स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन शामिल हैं. वर्ष के दौरान बैंक ने कैंसर जागरूकता, महिला स्वास्थ्य और आहार एवं पोषण पर केंद्रित कई स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए हैं जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सतत कर्मचारी कल्याण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं.

11. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का निम्नलिखित प्रारूप में ब्योरा :

सुरक्षा से संबंधित घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
लॉस्ट टाइम इंज्युरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति एक मिलियन-व्यक्ति घंटे के काम)	कर्मचारी	वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बैंक का कोई भी कर्मचारी/ कामगार ऐसा नहीं था जिसे कार्य संबंधी चोट/अस्वास्थ्यता/अपमृत्यु का सामना करना पड़ा हो.	
	कामगार		
काम-काज से जुड़ी दर्ज करने योग्य कुल चोटें	कर्मचारी		
	कामगार		
मृतकों की संख्या	कर्मचारी		
	कामगार		
कार्य से जुड़ी चोट के भारी परिणाम अथवा अस्वास्थ्य (मृतकों को छोड़कर)	कर्मचारी		
	कामगार		

** संविदा कार्यबल सहित*

12. संस्था द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल को सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों का वर्णन करें.

बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित तथा स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए, बैंक ने आईडीबीआई बैंक - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आश्वासन (आई-ओशा) नीति को अपनाया है, जो आईएसओ 45001:2018, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 तथा अन्य राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, बैंक के समस्त परिसरों में एक व्यापक कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ढांचा स्थापित करती है. यह नीति, सक्रिय जोखिम पहचान, कार्यस्थल खतरों की रोकथाम, लागू व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विनियमों के अनुपालन, तथा सुरक्षा प्रथाओं की निरंतर निगरानी एवं सुधार पर केंद्रित है. यह नीति बैंक, कर्मचारियों तथा संविदाकारों की जिम्मेदारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, अग्नि, विद्युत, एर्गोनॉमिक्स तथा आंतरिक वायु गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुपालन को अनिवार्य बनाती है, आपातकालीन प्रत्युत्तर योजनाओं, अभ्यासों, लेखापरीक्षाओं एवं प्रशिक्षण के माध्यम से तत्परता को सुदृढ़ करती है तथा सुरक्षा संबंधी विचारों को व्यवसाय निरंतरता

और ईएसजी प्रतिबद्धताओं के साथ समन्वित करती है. यह खतरों की पहचान एवं जोखिम आकलन (एचआईआरएसी), परिचालन नियंत्रण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा लाभ, कल्याणकारी पहल, घटना रिपोर्टिंग तंत्र, कार्य-निष्पादन की निगरानी तथा संरचित कार्ययोजनाओं एवं आवधिक प्रबंधकीय समीक्षा के माध्यम से सतत सुधार को समाहित करती है, जिससे बैंक के समस्त परिसरों में कर्मचारियों, आगंतुकों तथा आउटसोर्स कार्मिकों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ एवं सुदृढ़ परिचालन सुनिश्चित हो सके.

एक आरामदायक कार्य परिवेश सुनिश्चित करने तथा वातानुकूलन इकाइयों के अत्यधिक तापग्रस्त होने के जोखिम को न्यूनतम करने हेतु, बैंक आंतरिक वातानुकूलन तापमान को 25°C-26°C के उपयुक्त स्तर पर बनाए रखता है. इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल जोखिमों के सक्रिय प्रबंधन तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, बैंक ने संरचित सुरक्षा एवं चिकित्सीय तत्परता उपायों को लागू किया है. आपातकालीन तत्परता को सुदृढ़ करने के लिए, मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय तथा सभी अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समय-समय पर अग्निशमन अभ्यास प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं. सभी कार्यालय स्थानों में प्राथमिक उपचार किट, फायर अलार्म तथा अग्निशामक यंत्र सहित सुरक्षा अवसंरचना का रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है. कर्मचारियों एवं आगंतुकों को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा अग्नि या आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी को सुगम बनाने के उद्देश्य से, बैंक के समस्त परिसरों में प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट सुरक्षा संकेतक, निकास चिह्न, अग्निशामक यंत्रों की अवस्थिति तथा लेआउट मानचित्र स्थापित किए गए हैं.

बैंक निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए समग्र स्वास्थ्य परीक्षण पैकेजों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य प्रबंधन भी सुनिश्चित करता है. प्रधान कार्यालय, चयनित अंचल कार्यालयों तथा मुंबई स्थित कुछ स्टाफ क्वार्टर्स में समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने हेतु बैंक चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके अतिरिक्त, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने प्रमुख अस्पतालों एवं चिकित्सालयों के साथ टाई-अप किया है, जिससे कर्मचारियों को अनुमोदित स्वास्थ्य संस्थानों में नकदरहित उपचार सुविधाओं के माध्यम से सर्वोत्तम स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने तथा तत्काल वित्तीय भार को कम करने में सहायता प्राप्त होती है.

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के बारे में की गई शिकायतों की संख्या

विषय	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत समाधान	टिप्पणी
कामकाज की स्थिति	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

14. वर्ष का मूल्यांकन:

विषय	आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रथाएं	कर्मचारी स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की अपनी सक्रिय पहल के तहत, बैंक ने अपने सभी परिसरों में विद्युत सुरक्षा एवं सांविधिक अनुपालन मूल्यांकन का एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया. निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु, कुल 2,145 कार्यालयों एवं शाखाओं का मूल्यांकन योग्य विद्युत लेखा-परीक्षकों द्वारा किया गया. इसके अतिरिक्त, जोखिम न्यूनीकरण के अपने निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में नियमित एवं निवारक निरीक्षण भी किए. इनमें अधिकृत लिफ्ट निरीक्षकों द्वारा लिफ्टों का निरीक्षण, अनुमोदित एजेंसियों द्वारा अग्नि पहचान एवं दमन प्रणालियों का सत्यापन, निर्माता द्वारा पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता जांच तथा अधिकृत एजेंसियों द्वारा डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों का प्रदूषण परीक्षण शामिल था. ये उपाय अपने कर्मचारियों, ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों के लिए सुरक्षित, अनुपालनीय तथा सतत कार्य परिवेश बनाए रखने के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.
कामकाज की स्थितियाँ	

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण जोखिमों /चिंताओं का विवरण प्रदान करें.

बैंक सुरक्षित एवं स्वस्थ कामकाज की स्थितियों को सुनिश्चित करता है तथा निवारक रखरखाव अनुसूचियों, स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) एवं निर्धारित 'क्या करें और क्या न करें' का कड़ाई से अनुपालन करते हुए किसी भी अप्रिय घटना की जोखिम को कम करता है.

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या संस्था (क) किसी कर्मचारी (हाँ/नहीं) (ख) किसी कामगार (हाँ/नहीं) की मृत्यु होने की स्थिति में कोई जीवन बीमा अथवा कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है ?**

   हाँ, बैंक अपने कर्मचारियों और कामगारों को कर्मचारी कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी समग्र प्रतिबद्धता के तहत व्यापक जीवन बीमा सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करता है. इन उपायों का उद्देश्य न केवल कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना भी है.

2. **यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का विवरण दें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा सांविधिक देय राशियों की कटौती की गई है और जमा की गई है.**

   बैंक अपनी समस्त मूल्य श्रृंखला में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य करता है तथा वेंडरों से अपेक्षा करता है कि वे सभी लागू सांविधिक दायित्वों का पालन करें, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, उपदान, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य अनिवार्य देयों की समय पर कटौती एवं भुगतान शामिल हैं. अनुपालन के प्रमाण के रूप में वेंडरों को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है. साथ ही, नकदी वितरण, पिकअप एवं नकदी छंटाई सेवाओं में संलग्न वेंडरों को केंद्रीय श्रम कानूनों के अनुरूप मासिक अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ-साथ भुगतान रसीदें भी प्रस्तुत करनी होती हैं. इन अपेक्षाओं की समीक्षा वार्षिक वेंडर लेखा-परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है. जवाबदेही को सुदृढ़ करने हेतु, विभिन्न प्रस्ताव अनुरोधों में सांविधिक एवं विनियामकीय अनुपालन संबंधी खंडों को समाहित किया गया है, जो विधिसम्मत, नैतिक एवं उत्तरदायी मूल्य श्रृंखला संलग्नता के प्रति बैंक की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

3. **उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें काम से संबंधित अत्यधिक गंभीर चोट / अवस्थ्यता / मृत्यु हुई है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्र. 11 में रिपोर्ट किया गया है), और जिनका पुनर्वसन किया गया है और उन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है :**

श्रेणी	प्रभावित कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों /कामगारों की संख्या, जिनका पुनर्वसन किया गया है और जिन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है या परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कर्मचारी	लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बैंक का कोई भी कर्मचारी/कामगार ऐसा नहीं था जिसे कार्य-संबंधी गंभीर चोट/अवस्थ्यता/मृत्यु का सामना करना पड़ा हो.			
कामगार				

4. **क्या संस्था निरंतर रोजगार क्षमता को सुगम बनाने और सेवानिवृत्ति या रोजगार समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन के लिए संक्रमणकालीन सहायता कार्यक्रम चलाती है (हां/ नहीं).**

   बैंक कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति एवं सेवा पश्चात जीवन के लिए तैयार करने हेतु संरचित बदलाव-सहायता पहल प्रदान करता है. बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, आईडीबीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईसीबीएफ), हैदराबाद में समर्पित सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. ये कार्यक्रम वित्तीय योजना, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, मनोवैज्ञानिक तत्परता, स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण पर सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे सुगम एवं सुविचारित बदलाव सुनिश्चित किया जा सके. कार्यक्रम व्यापक रूप से स्वस्थ वृद्धावस्था, जीवनशैली प्रबंधन, आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी आचार, योग एवं ध्यान, जीवन दर्शन जिसमें आध्यात्मिक पहलू शामिल हैं, द्वितीय कैरियर एवं उत्पादक वृद्धावस्था, सामाजिक सहभागिता, मनोवैज्ञानिक तत्परता, वित्त एवं निवेश प्रबंधन, सेवानिवृत्ति योजना एवं कर संबंधी पहलू, वसीयत निर्माण, नामांकन प्रक्रियाएं तथा अधिवर्षिता लाभ कवर करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक का सुदृढ़ शिक्षण एवं विकास तंत्र. जिसमे कौशल संवर्द्धन, पुनःकौशल विकास, नेतृत्व विकास तथा भूमिका-आधारित कार्यक्रम शामिल है. कर्मचारियों के संपूर्ण कैरियर चक्र में सहायक होता है, उन्हें आत्मविश्वास एवं तत्परता के साथ बदलावों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है.

5. **मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा:**

ब्योरा	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार का मूल्य) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	अपने सभी परिचालनों में धारणीय प्रथाओं के समावेशन में अपनी मूल्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, बैंक पर्यावरणीय मानदंडों, श्रम कानूनों, मानवाधिकार अपेक्षाओं तथा सुरक्षित, स्वस्थ एवं उत्पीड़नमुक्त कार्य वातावरण के प्रावधान के प्रति मूल्य श्रृंखला भागीदारों के अनुपालन के आकलन हेतु एक संरचित मूल्यांकन ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 134 प्रमुख वेंडरों/सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वघोषणाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें लागू पर्यावरणीय विनियमों, श्रम कानूनों तथा मानवाधिकार मानकों के प्रति उनके अनुपालन की पुष्टि की गई. यह मूल्यांकन बैंक की अपनी मूल्य श्रृंखला में उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं को सुदृढ़ करने के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
कार्य स्थितियां	

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों की स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन तथा कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

वेंडरों/ सेवा प्रदाताओं की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कार्य की स्थितियों के मूल्यांकन के दौरान कोई विशिष्ट जोखिम/चिंता नहीं देखी गई. तथापि, बैंक अपने वेंडरों/सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय रूप से संलग्न रहने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्यस्थल मानकों के अनुपालन हेतु संवेदनशील बनाया जा सके तथा निरंतर सुधार को प्रोत्साहित किया जा सके.

सिद्धांत 4: कारोबारों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों का पता लगाने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया का वर्णन करें:

बैंक समावेशी तरीके से धारणीय एवं दीर्घकालिक मूल्य सृजन को सक्षम बनाने के लिए अपने हितधारकों की आवश्यकताओं और चिंताओं को अपनी रणनीति के केंद्र में रखने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों की पहचान एवं आकलन हेतु एक संरचित एवं सुदृढ़ ढांचे का अनुसरण करता है, जिसमें अपने परिचालनों के प्रभाव के साथ-साथ हितधारकों द्वारा बैंक के कार्यनिष्पादन एवं प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है. इस प्रक्रिया के माध्यम से, बैंक ने प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान की है, जिनमें निदेशक मंडल, ग्राहक, कर्मचारी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं के क्रियान्वयन भागीदार, उद्योग निकाय, मीडिया भागीदार, शेयरधारक, विनियामकीय निकाय, स्वयं-नियामक संगठन (एसआरओ), अन्य बाज़ार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) तथा वेंडर/ सेवा प्रदाता शामिल हैं.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान हेतु संरचित सर्वेक्षण प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यापक हितधारक जुड़ाव तथा प्रभाव महत्व मूल्यांकन किया गया. सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया, ताकि हितधारकों के लिए उनकी प्रासंगिकता तथा बैंक के परिचालनों एवं दीर्घकालिक संधारणीयता उद्देश्यों पर उनके संभावित प्रभाव के आधार पर प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दी जा सके एवं उनकी पहचान की जा सके. बैंक द्वारा अपने सभी हितधारकों के साथ जुड़ाव इसकी प्रक्रियाओं का एक सतत एवं अभिन्न अंग है. बैंक विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से अपने हितधारकों के साथ निरंतर एवं रचनात्मक रूप से संलग्न रहता है, ताकि वह हितधारकों की बदलती अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बना रहे, साथ ही विश्वास, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करता रहे. इन सतत हितधारक सहभागिता प्रयासों के माध्यम से, बैंक समावेशी एवं उत्तरदायी विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हितधारक के दृष्टिकोणों को इसके निर्णय लेने तथा दीर्घकालिक रणनीति में सार्थक रूप से समाहित किया जाए.

2. अपनी संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं.

स्टेक धारक समूह	क्या उसे कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ / नहीं)	संप्रेषण के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/तिमाही/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित ऐसी जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
निदेशक मंडल	नहीं	• बोर्ड की बैठकें • बोर्ड स्तर की समिति की बैठकें • सूचना • ईमेल • निवेशक प्रस्तुतियां	• अन्य - सतत	• कॉरपोरेट अभिशासन • रणनीति • वित्तीय एवं परिचालनगत कार्य निष्पादन • जोखिम प्रबंधन • ईएसजी एवं संधारणीयता से संबंधित विषय

स्टेक धारक समूह	क्या उसे कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ / नहीं)	संप्रेषण के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/तिमाही/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित ऐसी जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
ग्राहक	हाँ	• टेलीफोन कॉल • ईमेल • कॉल सेंटर • वेबसाइट • शाखा स्तर पर संवाद • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म • विज्ञापन • सर्वेक्षण	• अन्य - सतत	• उत्पाद एवं सेवा संबंधी जानकारी एवं अपडेट • ग्राहक अनुभव • संपर्क प्रबंधन • शिकायत निवारण
कर्मचारी	नहीं	• आंतरिक पोर्टल • ईमेल • बैठकें • प्रशिक्षण कार्यक्रम • कार्य-निष्पादन मूल्यांकन • कर्मचारी सहभागिता पहल • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म • सर्वेक्षण	• अन्य - सतत	• मानव पूंजी प्रबंधन नीतियां • कर्मचारी कल्याण एवं कार्यस्थल सुरक्षा • प्रशिक्षण एवं विकास • कैरियर प्रगति • समावेशी कार्य संस्कृति
सीएसआर परियोजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसियां	हाँ	• बैठकें • ईमेल • टेलीफोन कॉल • फील्ड दौरे • रिपोर्टें	• अन्य - सतत और आवश्यकता आधारित	• सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन • सामाजिक-आर्थिक प्रभाव • सीएसआर उद्देश्यों के साथ संरेखण
मीडिया एजेंसियां	नहीं	• प्रेस विज्ञप्तियां • प्रेस कोंफ्रेंस • मीडिया ब्रीफिंग	• अन्य - आवधिक और आवश्यकता आधारित	• ब्रांड एवं प्रतिष्ठा प्रबंधन • सार्वजनिक सूचना का प्रसार
विनियामकीय निकाय, एसआरओ एवं एमआईआई	नहीं	• विनियामकीय रिपोर्टिंग • बैठकें • टेलीफोन कॉल • ईमेल	• अन्य - सतत	• विनियामकीय अनुपालन • विनियामकीय अनुमोदन • आवश्यक बैंकिंग एवं वित्तीय बाज़ार परिचालन • अभिशासन मानक
शेयरधारक	नहीं	• वार्षिक रिपोर्ट • वार्षिक महासभा • शेयरधारक बैठक • स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्स • वेबसाइट प्रकटीकरण • प्रेस विज्ञप्तियां • ईमेल • टेलीफोन कॉल	• अन्य - आवधिक और आवश्यकता आधारित	• रणनीति संबंधी अपडेट • वित्तीय एवं परिचालनगत कार्य-निष्पादन • विनियामकीय एवं सांविधिक प्रकटीकरण • कॉरपोरेट कार्रवाई • शेयरधारक संरक्षण पहल
वेंडर/ सेवा प्रदाता	नहीं	• टेलीफोन कॉल • आमने-सामने एवं आभासी बैठकें • ईमेल • सूचनाएं	• अन्य - सतत और आवश्यकता आधारित	• परियोजना कार्यान्वयन • समीक्षा/ अपडेट • आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का प्रदाय • विनियामकीय एवं सांविधिक अनुपालन

नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक,पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें अथवा यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान हेतु हितधारकों के लिए उनकी प्रासंगिकता तथा बैंक के परिचालनों एवं दीर्घकालिक संधारणीयता उद्देश्यों पर उनके संभावित प्रभाव के आधार पर एक संरचित हितधारक सहभागिता और महत्व का मूल्यांकन (एसईएमए) का अभ्यास किया. यह पहल समावेशी निर्णय लेने के लिए हितधारक सहभागिता तथा पारदर्शी एवं उत्तरदायी कारोबार संचालन पर बैंक के निरंतर ध्यान को दर्शाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के महत्वपूर्ण मुद्दे हितधारकों की अपेक्षाओं एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों.

एसईएमए प्रक्रिया को निम्नानुसार एक संरचित, बहुचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित किया गया:

- **हितधारक मैपिंग:** बैंक ने अपने प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान हेतु एक सुव्यवस्थित मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई, जिसमें निदेशक मंडल, ग्राहक, कर्मचारी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं के कार्यान्वयन भागीदार, उद्योग निकाय, मीडिया भागीदार, शेयरधारक, विनियामकीय निकाय, स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ), अन्य बाज़ार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) तथा वेंडर/सेवा प्रदाता शामिल हैं. यह मैपिंग प्रत्येक हितधारक समूह के बैंक पर प्रभाव के स्वरूप एवं परिमाण, बैंक के परिचालनों का उन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा बैंक और इसके हितधारकों के मध्य पारस्परिक निर्भरता एवं उत्तरदायित्व की सीमा का आकलन करके किया गया.

- **हितधारकों के साथ बातचीत:** विविध दृष्टिकोणों को समाहित करने के उद्देश्य से, बैंक एक संरचित मात्रात्मक सर्वे के माध्यम से हितधारकों से जुड़ा, जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारक समूहों की संधारणीयता संबंधी अपेक्षाओं के साथ-साथ ईएसजी से संबंधित उनकी चिंताओं एवं बैंक की प्रथाओं के प्रति उनकी धारणा से संबंधित अंतर्दृष्टि प्राप्त करना था.

- **महत्वपूर्ण विषयों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण:** विभिन्न हितधारक समूहों के 3,000 से अधिक उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर उन ईएसजी विषयों की पहचान की गई, जो बैंक के व्यवसाय तथा उसके हितधारकों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक हैं. इन विषयों की सापेक्ष महत्ता के आकलन के लिए हितधारक की प्राथमिकता तथा बैंक के परिचालनों, जोखिम प्रोफ़ाइल एवं दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर संभावित प्रभाव के आधार पर एक भौतिकता ढ़ाचा अपनाया गया. एसईएमए के निष्कर्षों, अर्थात् चयनित महत्वपूर्ण मुद्दों की वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गई तथा उन्हें बैंक की ईएसजी अभिशासन प्रक्रिया के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

- **रणनीतिक संरेखण एवं फोकस क्षेत्र:** हितधारक समूहों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं ने बैंक के समक्ष विद्यमान चुनौतियों, उभरते जोखिमों तथा संभावित अवसरों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है. इन अंतर्दृष्टियों ने बैंक के संधारणीयता फोकस क्षेत्रों के संदर्भ में चल रहे विचार-विमर्श एवं पहलों को दिशा प्रदान की है तथा व्यवसायिक उद्देश्यों एवं रणनीतिक आयोजना के अंतर्गत ईएसजी मुद्दों के व्यापक विचारों के लिए प्रासंगिक दृष्टिकोण प्रदान किया है.

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान करने और प्रबंधन के लिए हितधारक परामर्श की सहायता ली जाती है? (हाँ /नहीं) यदि हाँ, तो इस बात का ब्योरा प्रस्तुत करें कि किस प्रकार हितधारकों से इन विषयों पर प्राप्त जानकारी को संस्था की नीतियों एवं गतिविधियों में शामिल किया गया?

हाँ, हितधारक परामर्श बैंक द्वारा प्रमुख पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं की पहचान करने, प्राथमिकता निर्धारण तथा निराकरण हेतु अपनाये गये दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है. भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से, बैंक ने उन ईएसजी मुद्दों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ प्राप्त की हैं, जो इसके हितधारकों तथा बैंक के व्यवसाय दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण या आवश्यक हैं.

हितधारकों से प्राप्त इनपुट ने ईएसजी संबंधित मुद्दों पर हितधारकों के दृष्टिकोण की व्यापक समझ में योगदान दिया है तथा बैंक के संधारणीयता के प्रति दृष्टिकोण को समझने में सहायता प्रदान की है.

संरचित प्रभाव भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक हितधारकों की पहचान एवं सहभागिता के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक परिदृश्य में परिवर्तन, विनियामक घटनाक्रमों तथा बदलती हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक समीक्षा की जाती है. यह निरंतर पुनर्मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि बैंक के संधारणीयता संबंधी प्रयास प्रासंगिक, प्रत्युत्तरशील तथा उभरते हुए जोखिमों एवं अवसरों के अनुरूप बने रहें.

3. कमजोर /सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं का निवारण करने के लिए किये गये प्रयासों और की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

बैंक उत्पादों, सेवाओं एवं वितरण चैनलों की व्यापक श्रृंखला का लाभ उठाते हुए ग्राहकों विशेषकर समाज के वंचित वर्गों की वित्तीय सुरक्षा तथा समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय कार्य-निष्पादन को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ रणनीतिक रूप से एकीकृत करता है. यह दृष्टिकोण साझा मूल्य सृजन के उद्देश्य से प्रेरित है तथा समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को प्रेरित करता है. बैंक के वित्तीय समावेशन संबंधी पहलकार्य तथा सीएसआर कार्यक्रम समाज के अल्पसेवित वर्गों तक पहुँच बनाने और ठोस सामाजिक-आर्थिक प्रभाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

बैंक का व्यापक एवं सुव्यवस्थित रूप से एकीकृत भौतिक, डिजिटल तथा सम्पर्क-आधारित चैनलों का नेटवर्क केवल पहुँच एवं सुविधा प्रदान करने के लिए ही नहीं है, बल्कि सतत सहभागिता, प्रतिक्रिया तथा शिकायतों या चिंताओं को सुनने में सक्षम बनाने के लिए भी है. पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बनाए रखने हेतु, बैंक ने परिभाषित नीतियों तथा समर्पित पहुँच चैनलों द्वारा समर्थित एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है. ये तंत्र ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों तथा सीएसआर लाभार्थियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के समय पर एवं न्यायसंगत निवारण को सुगम बनाते हैं. मूल्य श्रृंखला भागीदारों तथा अन्य हाशिए पर स्थित अथवा बाह्य समूहों से प्राप्त शिकायतों एवं प्रतिक्रियाओं का निवारण, बैंक की आचार संहिता के अनुरूप, प्रकरण-विशिष्ट आधार पर किया जाता है.

सिद्धांत 5: कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे कर्मचारियों और कामगारों का विवरण दें जिन्हें संस्था के मानवाधिकार मुद्दों और नीति(यों) के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (बी))	% (बी /ए)	कुल (सी)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (डी)	% (डी /सी)
कर्मचारी						
स्थायी	18,538	17,922	96.68%	16,911	16,447	97.26%
स्थायी से इतर	1,585	1,418	89.46%	2,176	1,955	89.84%
कुल कर्मचारी	**20,123**	**19,340**	**96.11%**	**19,087**	**18,402**	**96.41%**
कामगार						
स्थायी	570	482	84.56%	644	537	83.39%
स्थायी से इतर	0	0	-	0	0	-
कुल कामगार	**570**	**482**	**84.56%**	**644**	**537**	**83.39%**

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को अदा की गयी न्यूनतम मजदूरी का ब्योरा :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26					वित्तीय वर्ष 2024-25				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ़/डी)
स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	11,959	0	-	11,959	100.00%	11,123	0	-	11,123	100.00%
महिला	6,579	0	-	6,579	100.00%	5,788	0	-	5,788	100.00%
स्थायी कर्मचारियों से इतर										
पुरुष	861	0	-	861	100.00%	1,210	0	-	1,210	100.00%
महिला	724	0	-	724	100.00%	966	0	-	966	100.00%

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26					वित्तीय वर्ष 2024-25				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ़/डी)
स्थायी कामगार										
पुरुष	425	0	-	425	100.00%	487	0	-	487	100.00%
महिला	145	0	-	145	100.00%	157	0	-	157	100.00%
स्थायी कामगार से इतर										
पुरुष	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
महिला	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-

3. पारिश्रमिक /वेतन /मजदूरी का ब्योरा:

क. माध्यिका पारिश्रमिक / मजदूरी:

श्रेणी	पुरुष		महिला	
	संख्या@	संबंधित श्रेणी की माध्यिका पारिश्रमिक/ वेतन / मजदूरी	संख्या@	संबंधित श्रेणी की माध्यिका पारिश्रमिक/ वेतन / मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)#	9	₹ 32,60,000	1$	₹ 37,40,000
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	3	₹ 1,67,97,944	2	₹ 57,28,150
बीओडी और केएमपी को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	13,815	₹ 20,12,801	7,958	₹ 15,12,613
कामगार	481	₹ 10,79,510	157	₹ 11,32,520

@ - माध्यिका पारिश्रमिक की गणना के लिए विचार किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या में मार्च 2026 के अंत में वेतन प्राप्त करने के लिए पात्र सभी कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी (जो सेवानिवृत्ति/इस्तीफा/मृत्यु/सेवा से हटाए जाने के कारण बैंक छोड़ चुके हैं) शामिल हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वेतन का भुगतान किया गया था.

 # - निदेशक मंडल के विवरण में एमडी एवं सीईओ और दो डीएमडी के विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उनका विवरण मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक में शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है लेकिन बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है और बैठक शुल्क का विवरण प्रदान किया गया है. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क प्राप्त नहीं होता है और इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया गया है. निदेशकों की कुल संख्या में श्री टी. एन. मनोहरन, श्री राज कुमार तथा श्री बी. बी. जोशी को भी शामिल किया गया है, जो क्रमशः 30.07.2025, 18.05.2025 एवं 08.10.2025 से निदेशक नहीं हैं, तथा उन्हें भुगतान किए गए बैठक शुल्क को माध्यिका की गणना में शामिल किया गया है. गणना में निम्न की ओर से बैठक में उपस्थिति पर एलआईसी को भुगतान की गई बैठक शुल्क शामिल नहीं है:

i. श्री सत पाल भानू 31.12.2025 तक (श्री सत पाल भानू 31.12.2025 से एलआईसी के प्रबंध निदेशक नहीं रहे और 01.01.2026 से बैठक की फीस सीधे उन्हें भुगतान की गई जो कि माध्यिका में शामिल है) एवं

ii श्री आर दोरईस्वामी 19.05.2025 से 24.09.2025 तक.

$ माध्यिका की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि निदेशक मंडल में एक महिला प्रतिनिधि है.

ख. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	30.96%	30.82%

4. **क्या आपके पास कोई ऐसा केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो कारोबार द्वारा उत्पन्न या उसमें योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां /नहीं).**

बैंक ने एक व्यापक मानवाधिकार नीति बनायी है, जो कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों पर लागू होती है तथा मान्यता प्राप्त मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप है. यह नीति कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना, कार्यबल में विविधता को प्रोत्साहित करना, बाल श्रम एवं जबरन श्रम को निषेध करना, उत्पीड़न-मुक्त कार्य वातावरण बनाए रखना, मानव गरिमा को बनाए रखना, न्यूनतम मजदूरी एवं सांविधिक लाभ प्रदान करना तथा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया एवं शिकायत निवारण हेतु सुलभ चैनल सक्षम कराना जैसे प्रमुख पहलुओं को कवर करती है. इसके अतिरिक्त, यह बैंक की नैतिक व्यावसायिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है. इन सिद्धांतों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आचरण नियमों, आंतरिक दिशानिर्देशों तथा कर्मचारी-संबंधित नीतियों में शामिल किया गया है.

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें.**

बैंक उस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है जो बेहतर भविष्य के लिए मानवाधिकारों के दीर्घकालिक संरक्षण में कारोबार निभा सकते हैं. मूलभूत सिद्धांतों के प्रति यह प्रतिबद्धता इसकी नीतियों और हितधारकों के प्रति कार्यों में परिलक्षित होती है. बैंक ने कर्मचारियों के लिए शिकायतें दर्ज करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल आई-हृदयो चालू किया है और भेदभाव तथा उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) गठित की है. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है. इसके अलावा बैंक ने मानवाधिकार नीति लागू की है.

6. **निम्नलिखित के बारे में कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गयी शिकायतों की संख्या :**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ
यौन उत्पीड़न	14	5	-	12	4	-
कार्यस्थल पर भेद भाव	4	0	-	4	1	-
बाल श्रमिक	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम / अनिच्छुक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मजदूरी	शून्य	शून्य	-	1	शून्य	-
मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मामले	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

7. **निम्नलिखित प्रारूप में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज की गई शिकायतें: :**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के तहत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें	14	12
महिला कर्मचारी/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पॉश शिकायतें	0.20%	0.18%
पॉश शिकायतें सही पाई गईं	1	2

8. **भेदभाव और उत्पीड़न मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए तंत्र.**

शिकायतकर्ता अपनी चिंताओं या शिकायतों को एक अलग पोर्टल (आई-हृदयो) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, जिस तक केवल अधिकृत कर्मियों की ही पहुंच हो सकती है. आई-हृदयो, जीआरसी या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों को देखने वाले प्राधिकृत कर्मी शिकायत की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं और शिकायतकर्ता की पहचान की सुरक्षा करते हैं. बैंक ने यौन उत्पीड़न रोकथाम (पॉश) के लिए दिशानिर्देश भी लागू किए हैं. इसके अलावा, बैंक की मानवाधिकार नीति मानवाधिकारों की रक्षा और उत्पीड़न मुक्त कार्य वातावरण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

9. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके कारोबारी करारों और संविदाओं का हिस्सा होती हैं? (हाँ/नहीं)

हां, बैंक अपने संविदात्मक ढांचे में सांविधिक अनुपालन और मानवाधिकार सुरक्षा उपायों को शामिल करता है. प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) और विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं के साथ कारोबारी संविदाओं में समय-समय पर जारी किए गए सभी लागू श्रम, औद्योगिक और सुरक्षा कानूनों, नियमों, विनियमों और सांविधिक अधिसूचनाओं का अनुपालन अनिवार्य है. विक्रेताओं को अनुबंध निष्पादन के दौरान सभी निर्धारित सुरक्षा उपायों को लागू करना, कर्मियों, कार्य और सुविधाओं की सुरक्षा करना तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है. इसी प्रकार, ऋण समझौतों के तहत उधारकर्ताओं को यह पुष्टि करनी होती है कि उन पर कोई सांविधिक या श्रम-संबंधी देनदारी बकाया नहीं है, जिसमें भविष्य निधि और श्रम देनदारियाँ शामिल हैं, जिससे जिम्मेदार कारोबारी आचरण और मानवाधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है.

10. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मूल्यांकन::

विवरण	आपके प्लांट और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
बाल श्रमिक	100%
जबरन /अनैच्छिक श्रमिक	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्य स्थल पर भेद भाव	100%
मजदूरी	100%
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें.

मूल्यांकनों से कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता उत्पन्न नहीं हुई.

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी परिवेदनाओं/शिकायतों के निवारण के परिणामस्वरूप संशोधित की जा रही / शुरू की गई कारोबारी प्रक्रिया का ब्योरा.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक को किसी भी ऐसी घटना या घटनाक्रम की पहचान नहीं हुई या उसका सामना नहीं करना पड़ा है जिसके लिए इसकी मौजूदा पेशकशों या प्रक्रियाओं में बदलाव की आवश्यकता हो, जो इसके आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन और अभिशासन तंत्र की मजबूती को दर्शाता है. हालांकि मानवाधिकारों से संबंधित कोई परिवेदना या शिकायत दर्ज नहीं की गई, फिर भी बैंक मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप अपनी नीतियों और कारोबारी परिचालनों की समीक्षा और निगरानी करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि नैतिक और जिम्मेदार आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के अपने उद्देश्य के अनुरूप किसी भी संभावित उल्लंघन से बचाव किया जा सके.

2. किसी मानवाधिकार मामले में की गई सम्यक तत्परता का दायरा और व्याप्ति संबंधी विवरण दें

बैंक ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मानवाधिकार संबंधी कोई औपचारिक सम्यक तत्परता नहीं की है. तथापि, मानवाधिकार संबंधी पहलुओं को मौजूदा नीतियों, संविदात्मक सुरक्षा उपायों और अनुपालन तंत्रों के माध्यम से संबोधित किया गया है.

3. क्या संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

बैंक, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 और लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने परिसरों में बाधा रहित पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. अधिकतर शाखाएँ निर्धारित अभिगम्यता मानकों का पूर्णतः अनुपालन करती हैं, जबकि अन्य शाखाएं आंशिक रूप से अनुपालन करती हैं और पूर्ण अनुरूपता प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे उन्नत की जा रही हैं. 31 मार्च 2026 को, बैंक की 2,174 शाखाएं थीं (69 आईडीबीआई समीम बैंकिंग आउटलेट को छोड़कर). जिनमें से 1,078 शाखाओं में रैंप की सुविधा है और अन्य 33 शाखाओं में रैंप सुविधाओं का निर्माण कार्य चल रहा है.

जबकि 293 शाखाओं में रैंप सुविधा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन शाखाओं का समतल प्रवेश द्वार या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. 770 शाखाएं ऊपरी मंजिल पर स्थित हैं जहां रैंप की सुविधा प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है. पहुँच को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने पूरक उपाय अपनाए हैं, जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं और पहुँच संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शाखा में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है.

समावेशी कार्यस्थल के महत्व को समझते हुए, 97 क्षेत्रीय और अंचल कार्यालयों में से 66 में सुलभता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. बैंक इन सुविधाओं को अन्य कार्यालयों, जहां भी यह संभव हो, तक भी विस्तारित करने के विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है. इसके अतिरिक्त, दृष्टिबाधित कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में स्वतंत्र रूप से आने-जाने में सहायता करने के लिए चुनिंदा कार्यालयों में आवाज-आधारित लिफ्ट प्रणाली भी स्थापित की गई है.

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा:

श्रेणी	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार के मूल्य के रूप में) जिनका मूल्यांकन किया गया है
बाल श्रमिक	बैंक अपने सभी परिचालनों में सतत प्रथाओं को शामिल करने में अपनी मूल्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, पर्यावरण मानदंडों, श्रम कानूनों, मानवाधिकार आवश्यकताओं और सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पीड़न-मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के संबंध में मूल्य श्रृंखला भागीदारों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित मूल्यांकन ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 134 प्रमुख विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं द्वारा स्व-घोषणाएं प्रस्तुत की गईं, जिसमें उन्होंने लागू पर्यावरण विनियमों, श्रम कानूनों और मानवाधिकार मानकों के अनुपालन की पुष्टि की. यह मूल्यांकन बैंक की अपनी मूल्य श्रृंखला में जिम्मेदार कारोबार प्रथाओं को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
जबरन / अनैच्छिक श्रमिक	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

हालांकि मूल्यांकन के दौरान कोई महत्वपूर्ण जोखिम या चिंता की पहचान नहीं की गई, फिर भी बैंक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अपने विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ जुड़कर और उन्हें संवेदनशील बनाकर मानवाधिकार संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखता है.

सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा तथा पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित फॉर्मेट में ऊर्जा की कुल खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता का ब्योरा:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
नवीकरणीय स्रोतों से			
बिजली की कुल खपत (ए)	जीजे	-	लागू नहीं
ईंधन की कुल खपत (बी)	जीजे	-	लागू नहीं
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	जीजे	-	लागू नहीं
नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (ए+बी+सी)	**जीजे**	**-**	**लागू नहीं**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से			
बिजली की कुल खपत (डी)	जीजे	2,84,783.42	2,86,034.83
ईंधन की कुल खपत (ई)	जीजे	27,543.64	24,539.11
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ़)	जीजे	-	0
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (डी+ई+एफ़)	**जीजे**	**3,12,327.06**	**3,10,573.94**
ऊर्जा की कुल खपत (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़)@	**जीजे**	**3,12,327.06**	**3,10,573.94**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
प्रत्येक रुपया टर्नओवर के प्रति ऊर्जा तीव्रता (ऊर्जा की कुल खपत/ परिचालनों से राजस्व)	**जीजे प्रति करोड भारतीय रुपया**	8.74	9.18
क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित प्रत्येक रुपया के टर्नओवर के प्रति ऊर्जा की तीव्रता (पीपीपी) (ऊर्जा की कुल खपत/ पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	**जीजे प्रति मिलियन यूएसडी**	17.77	18.97
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता (उर्जा की कुल खपत/ पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	**जीजे प्रति एफटीई**	9.77	10.01

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऊर्जा आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने अपनी सभी 2,244 शाखाओं एवं 283 कार्यालयों की ऊर्जा खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऊर्जा आंकड़ों में निम्नलिखित स्थानों पर वास्तविक उपभोग से प्राप्त डेटा को शामिल किया गया है, जैसे बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, आईडीबीआई बैंकिंग एवं वित्त उत्कृष्टता केंद्र (आईसीबीएफ), आईडीबीआई शिक्षण केंद्र (आईएलसी) तथा सभी महानगरीय शाखाएँ और अन्य सभी शाखाओं एवं कार्यालयों के लिए सेबी द्वारा अधिसूचित व्यय आधारित पद्धति के आधार पर गणित अनुमानित आंकड़े हैं. विद्युत से ऊर्जा की गणना हेतु सीईए द्वारा प्रकाशित नवीनतम वर्ष 2025 की विद्युत दर को व्यय आधारित पद्धति के आधार पर किया गया है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना हेतु परिचालनों से राजस्व ब्याज आय एवं अन्य आय का योग है, जिसमें भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/(हानि) (निवल), जैसा एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, को शामिल नहीं किया गया है. आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रूपांतरण फैक्टर 20.34/अमरीकी डॉलर (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अप्रैल 2026) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) का उपयोग क्रय शक्ति समता (पीपीपी) समायोजित तीव्रता की गणना के लिए प्रयुक्त किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीव्रता का प्रकटन भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) के आधार पर किया गया है.

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार के कार्यनिष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है. यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गयी सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जानकारी प्रदान करें.

लागू नहीं.

3. निम्नलिखित फॉर्मेट में जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का ब्यौरा प्रस्तुत करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
(i) भूपृष्ठीय जल	केएल	-	0
(ii) भूजल	केएल	-	0
(iii) अन्य पक्ष जल	केएल	5,40,151.13	3,33,091.94
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	केएल	-	0
(v) अन्य	केएल	-	0
जल निकासी की कुल मात्रा (i+ ii+ iii+ iv+ v)	**केएल**	5,40,151.13	3,33,091.94
जल की खपत की कुल मात्रा	केएल	5,40,151.13	3,33,091.94
प्रति रुपया टर्नओवर के प्रति जल की तीव्रता (जल की कुल खपत/ परिचालनों से राजस्व)	किलो लीटर्स प्रति करोड़ भारतीय रुपये	15.11	9.85
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर के प्रति जल की तीव्रता (जल की कुल खपत/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	केएल प्रति मिलियन यूएसडी	30.73	20.34
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता(जल की कुल खपत/ पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	केएल प्रति एफटीई	16.89	10.74

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - वित्तीय वर्ष 2025-26 के जल उपभोग के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने अपनी सभी 2,244 शाखाओं एवं 283 कार्यालयों के जल उपभोग को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय पक्ष जल में बैंक के प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, आईसीबीएफ, आईडीबीआई शिक्षण केन्द्र तथा महानगरीय शाखाओं हेतु बोतलबंद/पैकेज्ड जल तथा नौ राज्यों में स्थित ऐसे कार्यालयों में स्थानीय निकायों द्वारा घरेलू जल आपूर्ति को शामिल किया है. शेष 20 राज्यों में स्थित उन कार्यालयों के लिए, जहाँ घरेलू जल उपभोग का डेटा उपलब्ध नहीं है, जल उपभोग का अनुमान निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया गया है: (20 लीटर x कर्मचारियों, कामगारों एवं संविदा स्टाफ के कार्य दिवस). अन्य स्थानों, अर्थात् 2,243 शाखाओं एवं 238 कार्यालयों, जहाँ जल बिल उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए सेबी द्वारा अधिसूचित पद्धति के आधार पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार जल उपभोग का अनुमान किया गया है: (45 लीटर x कर्मचारियों, कामगारों एवं संविदा स्टाफ के कार्य दिवस). कर्मचारियों एवं कामगारों के मामले में, कार्य दिवसों की संख्या उनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर निर्धारित की गई है. संविदा स्टाफ के मामले में, जहाँ वास्तविक उपस्थिति उपलब्ध नहीं है, कार्य दिवसों की संख्या वर्ष के 365 दिनों में से राज्य वार अवकाशों को घटाकर निर्धारित की गई है. जल उपभोग के अनुमान में विपणन सेवाओं हेतु नियुक्त संविदा स्टाफ को शामिल नहीं किया गया है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना हेतु परिचालनों से राजस्व, ब्याज आय एवं अन्य आय का योग है, जिसमें भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/(हानि) (निवल), जैसा एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, को शामिल नहीं किया गया है. आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रूपांतरण फैक्टर 20.34/अमरीकी डॉलर (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अप्रैल 2026) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) का उपयोग क्रय शक्ति समता (पीपीपी) समायोजित तीव्रता की गणना के लिए प्रयुक्त किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीव्रता का प्रकटन भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) के आधार पर किया गया है.

4. जल छोड़ने से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
गंतव्य और उपचार स्तर के आधार पर जल निकासी			
(i) भूपृष्ठीय जल		बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय, बेलापुर कार्यालय और आईसीबीएफ, हैदराबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए हैं. उपचारित जल का उपयोग प्रधान कार्यालय और बेलापुर कार्यालय में एयर कंडीशनिंग प्लांट में किया जाता है. आईसीबीएफ में उपचारित जल का उपयोग बागवानी के लिए किया जाता है. ये उपाय जल संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और सतत परिचालनों में योगदान देते हैं.	
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
(ii) भूजल			
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
(iii) समुद्री जल			
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया			
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
(v) अन्य			
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
जल की कुल निकासी (किलो लीटर्स में)	केएल		

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - जिन स्थानों पर एसटीपी उपलब्ध है, वहां ताजे पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए उपचारित पानी का पुनः उपयोग किया जाता है. बैंक के प्रधान कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी कार्यालयों/शाखाओं में प्रवाह मीटरों की अनुपलब्धता के कारण जल निकासी का मापन नहीं किया जाता है और इस संबंध में कोई डेटा नहीं रखा जाता है. इसके अलावा, जल निकासी का अनुमान लगाने के लिए कोई मानकीकृत दिशानिर्देश न होने के कारण, बैंक जल निकासी का अनुमान लगाने में असमर्थ है. अपशिष्ट जल को संबंधित स्थानों पर नगरपालिका सीवरों के माध्यम से छोड़ा जाता है.

5. क्या संस्था ने शून्य तरल छोड़ने के लिए कोई तंत्र लागू किया है ? यदि हां, तो इसकी व्याप्ति और कार्यान्वयन का विवरण दें.

पर्यावरण संरक्षण के अपने उपायों के हिस्से के रूप में, बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय और हैदराबाद स्थित आईसीबीएफ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए हैं. उपचारित जल का उपयोग प्रधान कार्यालय और बेलापुर कार्यालय के एयर कंडीशनिंग संयंत्रों में किया जाता है, जबकि हैदराबाद स्थित आईसीबीएफ में इसका उपयोग बागवानी के लिए किया जाता है. ये पहलें जल संरक्षण को बढ़ावा देती हैं और बैंक के सतत एवं जिम्मेदार परिचालनों के प्रयासों में योगदान देती हैं.

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
एनओएक्स	एमजी/एनएम^3	1,154.71	लागू नहीं
एसओएक्स	एमजी/एनएम^3	336.48	लागू नहीं
कणिका तत्व (पीएम)	एमजी/एनएम^3	294.71	लागू नहीं
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हालांकि वायु उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के अलावा) के लिए कोई अलग आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन लागू विनियमों और मानकों के अनुसार डीजल-आधारित जनरेटर सेटों के स्टैक उत्सर्जन के परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर इसकी जानकारी दी गई है.

7. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
क्षेत्र 1 का कुल उत्सर्जन (सीओ2 में जीएचजी, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो)	टीसीओ2ई	4,518.16	2,360.87
क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (सीओ2 में जीएचजी, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो)	टीसीओ2ई	56,165.62	57,763.14
क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन@	टीसीओ2ई	60,683.78	60,124.01
प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और 2 का कुल जीएचजी उत्सर्जन / परिचालनों से राजस्व)	टीसीओ2ई प्रति करोड भारतीय रुपया	1.70	1.78
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और 2 का कुल जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	टीसीओ2ई प्रति मिलियन यूएसडी	3.45	3.67
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन की तीव्रता (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल जीएजजी उत्सर्जन / पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	टीसीओ2ई प्रति मिलियन एफटीई	1.90	1.94

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - वित्तीय वर्ष 2025-26 के जीएचजी उत्सर्जन के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने अपनी सभी 2,243 शाखाओं एवं 283 कार्यालयों की ऊर्जा खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएचजी उत्सर्जन - क्षेत्र 1 में सभी स्थानों पर क्रय किए गए ईंधन (स्वामित्व वाले वाहन एवं डीजल जनरेटर) से उत्सर्जन, 31 शाखाओं एवं कार्यालयों के अग्निशामक यंत्रों से फ्यूगिटिव उत्सर्जन तथा 55 शाखाओं एवं कार्यालयों की एसी से गैस रिसाव को शामिल किया गया है. जीएचजी उत्सर्जन - क्षेत्र 2 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक की 2,243 शाखाओं एवं 283 कार्यालयों में क्रय की गई

विद्युत से होने वाले उत्सर्जन को शामिल किया गया है. डीजल एवं पेट्रोल के लिए उत्सर्जन फैक्टर सेबी द्वारा जारी उद्योग मानक संबंधी परिपत्र से लिया गया है. क्रय की गई विद्युत के लिए उत्सर्जन फैक्टर, सीईए द्वारा प्रकाशित भारतीय विद्युत क्षेत्र हेतु सीओ, बेसलाइन डेटाबेस - दिसंबर 2025' से लिया गया है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना हेतु परिचालनों से राजस्व, ब्याज आय एवं अन्य आय का योग है, जिसमें भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/(हानि) (निवल), जैसा एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, को शामिल नहीं किया गया है. आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रूपांतरण फैक्टर 20.34/अमरीकी डॉलर (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अप्रैल 2026) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) का उपयोग क्रय शक्ति समता (पीपीपी) समायोजित तीव्रता की गणना के लिए प्रयुक्त किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीव्रता का प्रकटन भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) के आधार पर किया गया है.

8. क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ''हाँ'', तो विवरण दें.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ऊर्जा खपत को कम करने, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को न्यूनतम करने और जलवायु जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए परिचालन, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण संबंधी कई पहलें कीं. परिचालन स्तर पर, कार्यालयों और शाखाओं में ऊर्जा दक्षता उपायों को सुदृढ़ करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग, पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को ऊर्जा-कुशल एलईडी उपकरणों से बदलना, सेंट्रल, डक्ट, स्प्लिट और विंडो यूनिट एयर कंडीशनिंग में तापमान को 25ºC से 26ºC पर मानकीकृत करना, केबिन और बैक-ऑफिस की लाइटों को नियमित रूप से बंद करना, लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर डेस्कटॉप और पीसी को बंद करना तथा टेलीविजन, फोटोकॉपी मशीन और श्रेडर जैसे कार्यालय उपकरणों को उपयोग में न होने पर बंद करना सुनिश्चित किया गया. इष्टतम ऊर्जा दक्षता बनाए रखने के लिए उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंधों (एएमसी) का समय पर नवीनीकरण भी सुनिश्चित किया गया.

बैंक ने वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करना जारी रखा. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में 40 किलोवाट-पीक (केडब्ल्युपी) और कोल्हापुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 20 किलोवाट-पीक क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है. नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में 40 केडब्ल्युपी का सौर ऊर्जा संयंत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में पूरा होने के करीब था. इसके अतिरिक्त, हैदराबाद और चंडीगढ़ कार्यालयों में क्रमशः 65 केडब्ल्युपी और 60 केडब्ल्युपी के सौर संयंत्रों का निर्माण भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है. बैंक ने तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर अन्य स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना जारी रखा है.

डिजिटलीकरण की पहलों ने उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड ज्ञापन की आवाजाही के डिजिटलीकरण से 3.60 टीसीओ2ई और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के डिजिटलीकरण से अतिरिक्त 5.40 टीसीओ2ई कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है.

वर्ष के दौरान सतत बुनियादी संरचना विकास में भी प्रगति हुई, जिसमें आईसीबीएफ में नए परिसर विकास परियोजना का निर्माण इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के हरित भवन मानकों के अनुसार किया जा रहा है और यह कार्य प्रगति पर है, जो कि दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है. वित्तपोषण के दृष्टिकोण से, बैंक की ऋण नीति ने व्यापक ग्रीनहाउस गैस न्यूनीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए सतत वित्त को प्राथमिकता देना जारी रखा. विशिष्ट उधार और निवेश गतिविधियों से जुड़े उत्सर्जन के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने हेतु एक नमूना ऋण पोर्टफोलियो के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन का आकलन किया गया. जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के तहत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने जलवायु जोखिम न्यूज़लेटर के त्रैमासिक संस्करण प्रकाशित किए, जिनमें जलवायु परिवर्तन के जोखिमों, शमन रणनीतियों और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियामक घटनाक्रमों पर लेख शामिल थे.

बैंक ने सतत ऋण देने संबंधी निर्णयों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक समीक्षा भी की, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और वायु) पोर्टफोलियो और स्मार्ट मीटर पोर्टफोलियो की समीक्षा पर उद्योग से संबंधित पेपर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित पेपर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के समक्ष और स्मार्ट मीटर से संबंधित पेपर कार्यपालक समिति (ईसी) के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं. इसके अलावा, ईएसजी स्कोरकार्ड को अंतिम रूप देने का काम उन्नत चरण में है और सितंबर 2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद है. वर्ष के दौरान, बैंक ने वसुंधरा ग्रीन डिपॉजिट योजना के तहत ₹ 8.33 करोड़ जुटाए और 31 दिसंबर 2025 को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 675.20 करोड़ का बकाया ऋण बनाए रखा, जिसमें सौर और वायु ऊर्जा उत्पादन कंपनियां, मूल्य-श्रृंखला प्रतिभागी और खुदरा उधारकर्ता शामिल हैं. कुल मिलाकर, ये पहलें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने, उत्सर्जन में कमी, सतत वित्त और जलवायु जोखिम प्रबंधन के प्रति बैंक के एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाती हैं.

9. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26[@]	वित्तीय वर्ष 2024-25
उत्पन्न कुल कचरा			
प्लास्टिक (ए)	एमटी	8.54	4.30
ई-कचरा (बी)	एमटी	58.70	38.22
जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)	एमटी	0	0
निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा(डी)	एमटी	144.89	69.00

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
बैटरी कचरा (ई)	एमटी	86.86	90.62
रेडियोएक्टिव कचरा (एफ)	एमटी	0	0
अन्य हानिकारक कचरा, यदि कोई हो, कृपया निर्दिष्ट करें (जी)	एमटी	0	0
उत्पन्न हुआ अन्य गैर हानिकारक कचरा (एच) यदि कोई हो तो, कृपया निर्दिष्ट करें. (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार ब्योरा)	**एमटी**	301.37	206.57
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)@	**एमटी**	600.36	408.71
प्रति रुपए टर्नओवर पर कचरा तीव्रता (उपभोग किया गया कुल कचरा/परिचालन से राजस्व)	**एमटी प्रति करोड भारतीय रुपया**	0.02	0.01
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर पर कचरे की तीव्रता (उपभोग किया गया कुल कचरा/ पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	**एमटी प्रति मिलियन यूएसडी**	0.03	0.02
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कचरे की तीव्रता (उत्पन्न कुल कचरा / पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	**एमटी प्रति मिलियन एफटीई**	0.02	0.01
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: प्लास्टिक कचरा (ए)			
(i) रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii) पुनःउपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: प्लास्टिक कचरा (ए)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	8.54	4.30
कुल	**एमटी**	**8.54**	**4.30**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: ई- कचरा (बी)			
(i) रिसाइकल	एमटी	58.70	128.84
(ii) पुनःउपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**58.70**	128.84
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: ई-कचरा (बी)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)			
(i) रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii) पुन:उपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) भूमि में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा(डी)			
(i) रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii) पुन:उपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा(डी)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	144.89	69.00
कुल	**एमटी**	**144.89**	**69.00**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: बैटरी कचरा (ई)			
(i) रिसाइकल	एमटी	86.86	90.62
(ii) पुन:उपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**86.86**	**90.62**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: बैटरी कचरा (ई)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: रेडियोएक्टिव कचरा (एफ)			
(i) रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii) पुन:उपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: रेडियोएक्टिव कचरा (एफ)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: अन्य खतरनाक कचरा (जी)			
(i) रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii) पुनःउपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: अन्य खतरनाक कचरा (जी)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: अन्य गैर-खतरनाक कचरा (एच)			
(i) रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii) पुनःउपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: अन्य गैर-खतरनाक कचरा (एच)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	301.37	206.57
कुल	**एमटी**	**301.37**	**206.57**

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - वित्तीय वर्ष 2025-26 के अपशिष्ट संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय, आईसीबीएफ तथा चयनित अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों/शाखाओं में उत्पन्न अपशिष्ट को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के ई-कचरे और बैटरी कचरे के आंकड़े पूरे भारत के रिपोर्ट किए गये हैं. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना हेतु परिचालनों से राजस्व, ब्याज आय एवं अन्य आय का योग है, जिसमें भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/(हानि) (निवल), जैसा एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, को शामिल नहीं किया गया है. आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रूपांतरण फैक्टर 20.34/अमरीकी डॉलर (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अप्रैल 2026) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) का उपयोग क्रय शक्ति समता (पीपीपी) समायोजित तीव्रता की गणना के लिए प्रयुक्त किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीव्रता का प्रकटन भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) के आधार पर किया गया है.

10. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई कचरा प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें. अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें.

वित्तीय सेवा संस्थान होने के नाते, बैंक द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरनाक कचरे की प्राथमिक श्रेणी ई-कचरा है. ई-कचरे के सतत समाधान हेतु, बैंक ने सभी कार्यालयों और शाखाओं में लागू एक व्यापक ई-कचरा प्रबंधन नीति तैयार की है. बैंक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा निर्धारित निपटान दिशानिर्देशों का पालन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी ई-कचरा उत्पन्न होने के 180 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाए. निपटान केवल प्राधिकृत और पंजीकृत रिसाइकिलकर्ताओं के माध्यम से ही किया जाता है, और नियामक अनुपालन एवं जिम्मेदार कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ई-कचरे के उत्पादन और निपटान को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है. इसके अतिरिक्त, बैटरियों का प्रबंधन विक्रेता बायबैक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है, जिससे जिम्मेदार रिसाइक्लिंग और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा मिलता है. कार्यालयों और शाखाओं से उत्पन्न अन्य प्रकार का कचरा, जिनका रिसाइकल या पुनः उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें लागू विनियमों के अनुसार स्थानीय निकायों या उपयुक्त वैकल्पिक तंत्रों के माध्यम से जिम्मेदारीपूर्वक निपटाया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने "माई ऑफिस माई प्राइड" अभियान के तहत पुराने अभिलेखों और फाइलों का वीडींग आउट अभियान चलाया. इस पहल के अंतर्गत, 14,550 किलोग्राम पुराने और अनुपयोगी कागज एवं फाइलें का निपटान किया गया, जिससे स्वच्छ कार्यक्षेत्र और अधिक टिकाऊ कार्य वातावरण बनाने में योगदान मिला. कागज का उपयोग और कम करने के लिए, प्रधान कार्यालय, मुंबई में प्रमुख स्थानों पर डिजिटल सूचना पैनल स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में विंग पैसेज, क्रॉस पैसेज और लिफ्ट लॉबी की सफाई करवाई है ताकि निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके और आपातकालीन या संकट की स्थितियों में मानव जीवन को होने वाले जोखिमों को कम किया जा सके. इस प्रक्रिया के दौरान, बैंक ने पुरानी अलमारी (17 संख्या), साइड रैक (26 संख्या) और दराज (18 संख्या) सहित कबाड़ सामग्री का निपटान किया. कबाड़ सामग्री की बिक्री से कुल ₹ 7,76,241 की राशि प्राप्त हुई. सभी शाखाओं को अनुपयोगी और बेकार पड़ी सामग्रियों का आवधिक आधार पर निपटान करने और पुराने फर्नीचर को यथासंभव रिसाईकल करने की सलाह दी गई. समग्र तौर पर, बैंक सांविधिक आवश्यकताओं और स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और कचरा प्रबंधन पद्धतियों का पालन करने का अनुसरण करता है.

11. यदि संस्था के परिचालन /कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे नैशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल रिज़र्व, झीलों, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में या उसके आसपास स्थित हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी आवश्यक है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम सं.	परिचालनों/कार्यालयों का स्थान	परिचालनों का प्रकार	क्या पर्यावरण संबंधी अनुमोदन /मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो उसका विवरण दें.

हालांकि बैंक की वित्तीय सेवाओं के परिचालन की प्रकृति के कारण यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है, फिर भी बैंक अपने जिम्मेदार कारोबार दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में स्थायी प्रथाओं को अपनाना जारी रखता है और लागू पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है.

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू क़ानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या.	दिनांक	क्या यह किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया था (हाँ / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए गए (हाँ / नहीं)	संबंधित वेब लिंक
लागू नहीं					

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु, (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम (हाँ /नहीं). यदि नहीं, तो ऐसे सभी अननुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानूनों/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे कि जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम.

क्रम सं.	उस कानून / विनियम / दिशानिर्देश का उल्लेख करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया था	अननुपालन का ब्योरा प्रस्तुत करें	विनियामक एजेंसियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अदालतों द्वारा लगाया गया दंड/ जुर्माना/ की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई,यदि कोई हो
वर्ष के दौरान अननुपालन का ऐसा कोई मामला न तो देखा गया और न ही रिपोर्ट किया गया.				

नेतृत्व संकेतक

1. 'जल संकट' वाले क्षेत्रों में जल निकासी, उपभोग और निर्वहन (किलो लीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) परिचालन की प्रकृति

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, उपभोग और छोड़ना :

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
स्रोत द्वारा जल निकासी			
(i) सतही जल	केएल	-	-
(ii) भू-जल	केएल	-	-
(iii) अन्य पक्ष जल	केएल	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	केएल	-	-
(v) अन्य	केएल	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (i+ ii+ iii+ iv+ v)	केएल	-	-
जल उपभोग की कुल मात्रा	केएल	-	-
प्रति रुपया टर्नओवर के लिए जल तीव्रता (कुल जल उपभोग/ परिचालनों से राजस्व)	केएल प्रति करोड़ भारतीय रुपया	-	-
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर के प्रति जल तीव्रता (कुल जल उपभोग /पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	केएल प्रति मिलियन यूएसडी	-	-
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल तीव्रता (जल का कुल उपभोग/ पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	केएल प्रति एफटीई	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मैट्रिक संस्था द्वारा चुना जा सकता है	-	-	-

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
गंतव्य और उपचार स्तर के आधार पर छोड़ा गया जल			
(i) सतही जल में			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
(ii) भू-जल में			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
(iii) समुद्री जल में			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
(iv) अन्य-पक्षों को भेजा गया			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
(v) अन्य			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
छोड़ा गया कुल जल (किलोलीटर में)		-	-

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन एवं इसकी तीव्रता का ब्योरा प्रस्तुत करें :

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कुल क्षेत्र 3 का उत्सर्जन@ (सीओ2 का जीएचजी, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 का अलग अलग विवरण प्रस्तुत करें, यदि उपलब्ध है)	एमटीसीओ2ई	1,365.91	1,573.92
प्रति एक रुपया टर्नओवर पर कुल क्षेत्र 3 की उत्सर्जन तीव्रता	एमटीसीओ2ई प्रति भारतीय रुपया	0.04	0.05
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) (कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन / पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	एमटीसीओ2ई प्रति एफ़टीई	0.04	0.05

@ - क्षेत्र 3 उत्सर्जन की गणना व्यावसायिक यात्रा श्रेणी (केवल हवाई यात्रा शामिल) के लिए व्यय आधार पर की जाती है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालनों से प्राप्त राजस्व, भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) को छोड़कर (निवल) ब्याज आय और अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीव्रता को पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) के आधार पर भौतिक उत्पादन के रूप में प्रकट किया है.

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट की गई पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ जैव-विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का ब्योरा प्रदान करें.

वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है. तथापि, बैंक सतत संचालन और लागू पर्यावरणीय कानूनों एवं विनियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है.

4. यदि संस्था ने संसाधनों की दक्षता में सुधार लाने, अथवा उत्सर्जन/प्रवाह निर्वहन / उत्पन्न कचरे के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल अथवा किसी अभिनव प्रोद्यौगिकी या समाधान का उपयोग किया है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इन पहलों के विवरण और परिणामों की जानकारी प्रदान करें:

क्रम सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, तो सारांश के साथ प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम

बैंक ऊर्जा दक्षता और संसाधन अनुकूलन पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी पर्यावरण प्रबंधन पद्धतियों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था, उपस्थिति-आधारित सेंसर प्रणालियों और प्राकृतिक प्रकाश पर अधिक निर्भरता को अपनाकर, बैंक स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हुए बिजली की खपत को सक्रिय रूप से कम कर रहा है. इन प्रयासों को कर्मचारियों के लिए निरंतर जागरूकता पहलों द्वारा समर्थित किया जाता है जो ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देती हैं.

नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में 40 किलोवाट-पीक (केडब्लयुपी) और कोल्हापुर क्षेत्रीय कार्यालय में 20 केडब्लयुपी क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है. नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए, अहमदाबाद अंचल कार्यालय में 40 केडब्लयुपी का सौर ऊर्जा संयंत्र वर्ष के अंत तक पूरा होने के करीब था. इसके अतिरिक्त, हैदराबाद और चंडीगढ़ कार्यालयों में क्रमशः 65 केडब्लयुपी और 60 केडब्लयुपी के सौर संयंत्रों का निर्माण भी जल्द ही पूरा होने वाला है. बैंक तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर अन्य स्थानों पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है.

नवीकरणीय ऊर्जा की पहलों के अलावा, बैंक ने समग्र संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं. अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए पुराने फर्नीचरों को नया रूप देकर उसका पुनः उपयोग किया जाता है. बैंक के प्रधान कार्यालय, बेलापुर और आईसीबीएफ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से प्राप्त रिसाइकल जल का उपयोग एयर कंडीशनिंग कंडेंसर के परिचालन और बागवानी के लिए किया जाता है, जिससे ताजे पानी का उपभोग कम होता है.

सर्वोत्तम परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत संबंधी मरम्मत का काम तुरंत किया जाता है और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का नियमित निवारक रखरखाव किया जाता है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने हाल ही में प्रधान कार्यालय में दो एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) से सुसज्जित यूनिटों से बदल दिया है, और निकट भविष्य में छह अतिरिक्त एएचयू को बदलने की योजना है. समग्र तौर पर, ये सभी पहलें ऊर्जा संरक्षण, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण के प्रति जागरूक परिचालनों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

संधारणीयता परिचालन और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, बैंक ने अपशिष्ट को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के उद्देश्य से कई पहलें की हैं. ऐसी ही एक पहल में एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक की बोतलों को पुनःउपयोग योग्य कांच की बोतलों से बदलना शामिल है, जिससे प्लास्टिक की खपत कम हो और दीर्घकालिक अपशिष्ट न्यूनीकरण में सहायता मिले. इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने डाइनिंग लाउंज में खाद्य अपशिष्ट मापन तंत्र स्थापित किए हैं, जिससे खाद्य उपभोग के पैटर्न की निगरानी करना और अनावश्यक अपशिष्ट को कम करने के अवसरों की पहचान करना संभव हो पाता है. यह सुनियोजित दृष्टिकोण न केवल संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि कर्मचारियों में जिम्मेदार उपभोग के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है.

5. क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में ब्योरा / वेब लिंक प्रदान करें.

मानव जीवन की सुरक्षा करने और व्यवधान या आपदाओं के दौरान बैंकिंग सेवाओं में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक व्यापक व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचा तैयार किया है. सभी महत्वपूर्ण विभागों के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) दस्तावेजों में व्यावसायिक व्यवधानों या आपदाओं से निपटने की प्रक्रियाओं के साथ-साथ पुनर्प्राप्ति रणनीतियाँ और योजनाएं भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, आपातकाल के दौरान मानव जीवन की सुरक्षा और मूल्यवान आस्तियों को कम नुकसान होने के लिए प्रमुख स्थानों पर एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) लागू की गई है. विभिन्न व्यवधान परिदृश्यों के तहत इन योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन बीसीपी परीक्षण अभ्यासों, आपदा रिकवरी अभ्यासों और महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के लिए समग्र अभ्यासों के साथ-साथ बैंक की सुविधाओं पर मॉक निकासी अभ्यासों के माध्यम से किया जाता है. बैंक की व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301:2019 के अनुरूप है. कृपया अधिक जानकारी के लिए देखें: (https://www.idbibank.in/pdf/basel/BCM-Disclosure.pdf).

6. **संस्था की मूल्य श्रृंखला से पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को प्रकट करें. इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं.**

   वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की सूचना प्राप्त नहीं हुई है. बैंक निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी उभरते जोखिम की शीघ्र पहचान करने के लिए साझेदारों के परिचालनों पर कड़ी निगरानी रखता है. पर्यावरण पर बैंक के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, यह पहचाने गए मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखेगा ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और उनके परिचालनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके.

7. **मूल्य श्रृंखला के भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया.**

   बैंक अपने मूल्य श्रृंखला के भागीदारों द्वारा पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुपालन के मूल्यांकन हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बैंक ने 134 विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से लागू पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए स्व-घोषणाएँ प्राप्त कीं. यह पर्यावरणीय सम्यक तत्परता को मजबूत करने और बैंक की मूल्य श्रृंखला की स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

8. **कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या प्राप्त किए गए हैं:**

   अ. सूचीबद्ध संस्था द्वारा

   शून्य

   आ. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के आधार पर) मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा

   शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हो तो उन्हें ऐसा जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. **क. व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्धता की संख्या**

   बैंक विभिन्न व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों से संबद्ध है. प्रमुख संबद्धताओं का विवरण निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर में दिया गया है.

   ख. संस्था जिन उद्योग मंडलों/ संघों के साथ संबद्ध/सदस्य है, ऐसे 10 शीर्ष उद्योग मंडलों/संघों (ऐसी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित) की सूची.

क्रम सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम@	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल(एसोचेम)	राष्ट्रीय
2.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
3.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ(फिक्की)	राष्ट्रीय
4.	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल)	राष्ट्रीय
5.	भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिमडा)	राष्ट्रीय
6.	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई)	राष्ट्रीय
7.	भारतीय विदेशी मुद्रा संघ (एफएआई)	राष्ट्रीय
8.	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	राष्ट्रीय
9	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़)	राष्ट्रीय
10.	भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)	राष्ट्रीय

@ - *नामों की सूची सांकेतिक है संपूर्ण नहीं.*

2. **विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था के गैर-प्रतिस्पर्धा आचरण से संबंधित मुद्दों के बारे में की गयी अथवा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी प्रदान करें.**

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त सार	की गयी सुधारात्मक कार्रवाई
	लागू नहीं	

नेतृत्व संकेतक

1. **संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीतिगत स्थितियों का विवरण:**

क्रम सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका	क्या इसकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है ? (हाँ / नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

बैंक जिम्मेदारी और नैतिक तरीके से जनहित में कार्य करता है. यह सरकारों, विनियामकों, नीति निर्माताओं और उद्योग संघों के साथ परामर्श और चर्चाओं में भाग लेता है, जो इसके परिचालनों और बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हैं, साथ ही, पारदर्शिता बनाए रखता है और मौजूदा तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के साथ-साथ आंतरिक नीतियों का पालन सुनिश्चित करता है.

सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में, लागू कानूनों के आधार पर, संस्था द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन(एसआईए) का विवरण

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या यह किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है? (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक रूप से सूचित किए गए (हाँ/नहीं)	संबंधित वेब-लिंक

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार, ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन, ऐसे परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख के एक वर्ष बाद किया जाना आवश्यक है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के एकल आवंटन वाली तीन एक-बारगी सीएसआर परियोजनाएँ, पूर्ण होने की तिथि से निर्धारित अनिवार्य एक वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी हैं. लागू सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक ने इन परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का कार्य करने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी की पहचान करने और उसे नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रभाव आकलन अध्ययन आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने का प्रस्ताव है.

2. **अपनी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एवं आर) के लिए चलाई जा रही परियोजना (ओं) से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें**

क्रं. स.	उस परियोजना का नाम जिसके लिए आर एवं आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ़) की संख्या	आर एवं आर के अंतर्गत शामिल पीएएफ़ का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष में पीएएफ़ को प्रदत्त राशि (भारतीय रुपये में)
			लागू नहीं.			

3. **समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके समाधान के लिए तंत्र का वर्णन कीजिए.**

बैंक अपनी सीएसआर नीति के मार्गदर्शन में, अपनी प्रतिबद्धता के अनुरुप सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करता है, ताकि इसकी सीएसआर पहलों के लाभों का निष्पक्ष, समानतापूर्ण एवं पारदर्शी वितरण सभी लक्षित लाभार्थी समूहों में सुनिश्चित किया जा सके. इस प्रतिबद्धता को लागू करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके तहत सीएसआर परियोजनाओं के लिए

कार्यान्वयन एजेंसियों को प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत या परिवाद की सूचना बैंक को देना अनिवार्य है. सीएसआर कार्य की देखरेख करने वाले महाप्रबंधक ऐसी शिकायतों की समीक्षा करने और समाधान करने के लिए जिम्मेदार हैं. इसके अलावा, शिकायतों और की गई उपचारात्मक कार्रवाई पर एक रिपोर्ट सीएसआर, ईएसजी और प्रचार से संबंधित प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती है. शिकायत निवारण प्रक्रिया बैंक की सीएसआर नीति में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप लागू की जाती है.

4. आपूर्तिकर्ताओं से जुटाई गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के हिसाब से कुल इनपुट की तुलना में इनपुट)

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
एमएसएमई /छोटे उत्पादकों से सीधे तौर पर जुटाए गई	5.30%	बैंक लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप खरीद के लिए निर्धारित निविदा प्रक्रिया का पालन करता है. बैंक स्टेशनरी जैसी सामग्री, जो कि प्राथमिक इनपुट सामग्रियों में से एक है को स्थानीय विक्रेताओं से खरीदता है. बैंक विशेष रूप से एमएसएमई तथा स्थानीय विक्रेताओं से प्राप्त इनपुट सामग्रियों के प्रतिशत को संकलित एवं गणना करने हेतु प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया में है.
भारत के भीतर सीधे तौर पर	97.46%	

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई मजदूरी प्रकट करें

स्थान @	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
ग्रामीण	5.90%	6.14%
अर्ध शहरी	13.50%	13.65%
शहरी	23.13%	22.60%
महानगर	57.48%	57.61%

@ - स्थान को रिजर्व बैंक की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार ग्रामीण/अर्ध-शहरी /शहरी /महानगरीय में वर्गीकृत किया गया है.

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्योरा दें. (संदर्भ: उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न सं 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
यह प्रश्न लागू नहीं होता, क्योंकि बैंक आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 1 में उल्लिखित तीन सीएसआर परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है.	

2. सरकारी निकायों द्वारा अभिनिर्धारित निर्दिष्ट महत्वाकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा प्रारंभ की गयी सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

क्रम	राज्य	महत्वाकांक्षी जिला	खर्च की गयी राशि भारतीय रुपयों में
1	बिहार	कटिहार	9,64,595.65
2	झारखंड	रांची	46,67,342.00
3	केरल	वायनाड	21,75,784.00
4	ओडिशा	रायगड़ा	3,76,420.00
5	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर	2,84,420.00
6	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	5,00,000.00

3. क) क्या आपके पास अधिमानी खरीद नीति मौजूद है जिसमें आप उपेक्षित /कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां/ नहीं)

एमएसएमई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं समावेशी खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बैंक भारत सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) विक्रेताओं तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) में पंजीकृत संस्थाओं के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी) की आवश्यकता से छूट पर विचार करता है.

ख) किन उपेक्षित /कमजोर समूहों से आप खरीद करते हैं?

एमएसएमई विक्रेताओं के अंतर्गत, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उनके सीमित पैमाने एवं संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत अधिक कमजोर माना जा सकता है.

ग) यह कुल खरीद (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है?

बैंक ने अपनी कुल खरीद मूल्य का 4.86% सूक्ष्म एवं लघु विक्रेताओं से प्राप्त किया.

4. आपकी संस्था द्वारा पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्तीय वर्ष में) अपनी स्वामित्व वाली या अधिगृहीत बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

क्रम संख्या	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व वाली / अधिगृहीत (हाँ /नहीं)	साझा किये गये लाभ (हाँ / नहीं)	साझा लाभ की गणना का आधार
लागू नहीं				

5. बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है.

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. सीएसआर परियोजना के लाभार्थियों का ब्योरा

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कमजोर समूहों के लाभार्थियों की संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों के लाभार्थियों का %
1.	पशु कल्याण	0	0	0.00%
2.	सशस्त्र बल	10,000	0	0.00%
3.	आपदा प्रबंधन	0	0	0.00%
4.	शिक्षा	66,787	32,220	48.24%
5.	पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना	1,17,980	22,930	19.44%
6.	लैंगिक समानता	695	695	100.00%
7.	स्वास्थ्य देखभाल	33,49,168	5,07,206	15.14%
8.	खेलों को बढ़ावा देना	1,150	650	56.52%
9.	राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	2,50,000	0	0.00%
10.	सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालय / आईआईटी	300	0	0.00%
11.	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	0	0	0.00%

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता से शिकायतें और फीडबैक प्राप्त करने के लिए तथा उनका उत्तर देने के लिए तंत्र का वर्णन करें.

बैंक के पास एक सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र है, जिसका उद्देश्य ग्राहक शिकायतों का समय पर, पारदर्शी तथा उचित समाधान सुनिश्चित करना है. एक केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, जो सभी माध्यमों से प्राप्त ग्राहक शिकायतों के पंजीकरण, आवंटन एवं उनके समाधान की सुविधा प्रदान करती है तथा इन्हें पूर्व-निर्धारित निपटान अवधि के भीतर निष्पादित करना सुनिश्चित करती है. प्रणाली में एक अंतर्निर्मित वृद्धि ढांचा शामिल है, जो शिकायतों के त्वरित एवं समय पर समाधान को सुनिश्चित करता है. पंजीकृत सभी शिकायतों का, उनके अंतिम समाधान अथवा अस्वीकृति तक की गई सभी कार्यवाहियों सहित, प्रणाली में पूर्ण रिकार्ड रखा जाता है, जिससे जवाबदेही, पता लगाने की क्षमता एवं विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित होता है.

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, उत्पादों और / सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है:

प्रकार	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	**लागू नहीं**
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	ग्राहक संरक्षण एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत, बैंक नियमित रूप से ग्राहक जागरूकता पहल आयोजित करता है, जिनका उद्देश्य उत्तरदायी बैंकिंग व्यवहार को बढ़ावा देना तथा साइबर एवं डिजिटल धोखाधड़ी से उत्पन्न जोखिमों से सुरक्षा करना है. संचार के लिए एक बहु-माध्यम दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके तहत जानकारी एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया अभियानों, बैंक की वेबसाइट, एटीएम, 'गो मोबाइल+' एप्लिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, शाखाओं के भीतर संचार के साथ-साथ स्थानीय जन-संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित की जाती है. ग्राहकों को व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) केंद्रों पर आधार सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस) के सुरक्षित उपयोग के संबंध में भी जागरुक किया जाता है, जहाँ महत्वपूर्ण सुरक्षा दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं. सुरक्षित लेनदेन व्यवहार के संबंध में नियमित परामर्श डिजिटल चैनलों के माध्यम से समय-समय पर जारी किए जाते हैं तथा इन्हें ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले आवश्यक संचार, वेलकम किट सहित, में शामिल किया जाता है.
री-साइक्लिंग और / अथवा सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26		टिप्पणियाँ	वित्तीय वर्ष 2024-25		टिप्पणियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	20	शून्य	-	4	शून्य	-
विज्ञापन	7	शून्य	-	1	शून्य	-
साइबर सुरक्षा	5,517	46	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें	4,505	14	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	1,127	10	डिलिवरेबल अर्थात एटीएम कार्ड, आई-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें	766	2	डिलिवरेबल अर्थात एटीएम कार्ड, आई-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26		टिप्पणियाँ	वित्तीय वर्ष 2024-25		टिप्पणियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	1	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अनुचित व्यापार प्रथाएं	12	शून्य	-	2	शून्य	-
अन्य- (उपभोक्ता शिकायतें)	59,854	739	उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों को छोड़कर सभी शिकायतें	44,230	138	उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों को छोड़कर सभी शिकायतें

4. सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पाद को वापस लेने की घटनाओं का ब्योरा :

	संख्या	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
स्वैच्छिक वापसी	लागू नहीं	
जबरन वापसी		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के लिए कोई ढांचा / नीति मौजूद है? (हाँ /नहीं). यदि उपलब्ध है, तो नीति का वेब लिंक उपलब्ध कराएं. यदि हाँ, तो ढांचे/नीति का वेब लिंक तथा उसका संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराएं.

हां, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा नीतियां लागू की हैं जो साइबर जोखिमों का प्रबंध करने और कम करने के लिए एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान करती हैं. ये नीतियां अनधिकृत पहुंच को रोकने, सूचना आस्तियों की गोपनीयता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार की गई हैं और अधिकृत उपयोगकर्ताओं को आईटी प्रणालियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं. बैंक ने सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) और साइबर सुरक्षा नीति (सीएसपी) लागू की है जिन्हें कार्यबल के बीच व्यापक प्रसार के लिए बैंक के इंट्रानेट पर प्रकाशित किया जाता है. इन नीतियों की समय-समय पर या जब भी कोई महत्वपूर्ण तकनीकी या विनियामक परिवर्तन होता है, तब समीक्षा की जाती है.

ग्राहकों के डेटा और खाता संबंधी जानकारी की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, बैंक ने सुरक्षा नियंत्रणों की कई परतें लागू की हैं और अपने डिजिटल सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक अपने ग्राहकों को स्पष्ट सूचना सुरक्षा दिशानिर्देश प्रदान करता है और व्यावहारिक 'क्या करें' और 'क्या न करें' अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराता है, ताकि वे अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रख सकें. ये संसाधन निम्नलिखित लिंक (https://www.idbi.bank.in/information-security.aspx और https://www.idbi.bank.in/dos-donts-banking.aspx) पर बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, बैंक नियमित रूप से अपने कर्मचारियों, बैंक के सूचना सिस्टम तक पहुँच रखने वाले अधिकृत वेंडर कर्मियों और ग्राहकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है. इन कार्यक्रमों में उभरते साइबर खतरों और सूचना संपत्तियों को बदलते जोखिमों से मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पादों को वापस लेने के उदाहरणों की पुनरावृत्ति से संबंधित मुद्दों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई और उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड लगाने / की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार की सुधारात्मक कार्रवाई का कोई उदाहरण दर्ज नहीं किया गया. बैंक ने अब तक साइबर सुरक्षा उल्लंघन अथवा ग्राहक डेटा गोपनीयता से संबंधित किसी भी घटना को दर्ज नहीं किया है, जो इसकी वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा की प्रभावशीलता को दर्शाता है. ऐसी कोई भी घटना होने पर स्थापित प्रोटोकॉल एवं विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप तत्परता से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. आईटी से संबन्धित सभी प्रमुख घटनाओं तथा आईटी सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से एस्केलेट किया जाता है तथा बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससीबी) को रिपोर्ट किया जाता है, जिससे सुदृढ़ अभिशासन तथा निरंतर निगरानी सुनिश्चित होती है.

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें

(क) डेटा उल्लंघन के मामलों की संख्या	शून्य
(ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत	शून्य
(ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल / प्लैटफॉर्म जहां पर संस्था की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध हैं, तो वेब लिंक प्रदान करें).

पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रकटीकरण सुनिश्चित करने और साथ ही हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक अपनी वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/) पर अपने उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है. बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/) को एक एकल संदर्भ बिंदु के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें जमा और ऋण उत्पादों, डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं, ब्याज दरों, शुल्क एवं प्रभारों, पात्रता आवश्यकताओं तथा लागू निबंधन एवं शर्तों से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी का समेकन किया गया है. इसके अतिरिक्त, वेबसाइट पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे सांविधिक एवं विनियामकीय प्रकटीकरण, नीतिगत दस्तावेज, ग्राहक सेवा मानक, शिकायत निवारण तंत्र तथा सार्वजनिक सूचनाओं की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. बैंक फेसबुक (IDBI Bank), एक्स (@IDBI_Bank), इंस्टाग्राम (@idbibankofficial), लिंक्डइन (IDBI Bank) तथा यूट्यूब (IDBIBANK) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति का उपयोग करते हुए अपनी वर्तमान पेशकशों, नव-प्रवर्तित योजनाओं एवं सेवाओं, प्रचार अभियानों, वित्तीय साक्षरता पहलों, ग्राहक जागरूकता अभियानों, कॉरपोरेट घोषणाओं, ग्राहक परामर्शों तथा महत्वपूर्ण परिचालन अद्यतनों से संबंधित जानकारी का प्रसार भी करता है.

2. योजनाओं और/अथवा सेवाओं का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करने के बारे में उपभोक्ताओं को सूचना और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम.

बैंक सतत जागरूकता एवं शिक्षा संबंधी पहलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और ग्राहक सशक्तिकरण को निरंतर सुदृढ़ करता रहता है. बैंक सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा धोखाधड़ी और साइबर अपराध के जोखिमों से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया, अन्य जनसंचार माध्यम जैसे ओओएच एवं डिजिटल, बैंक की वेबसाइट, एटीएम, गो मोबाइल+, इंटरनेट बैंकिंग, शाखा बैठकों तथा स्थानीय ग्राहक कार्यक्रमों सहित विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करता है. डिजिटल एवं सहायक बैंकिंग सेवाओं, जैसे व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध आधार सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस) के सुरक्षित उपयोग के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इन केंद्रों पर ग्राहकों को सुरक्षित रूप से लेनदेन करने में सहायता हेतु 'क्या करें और क्या न करें' के रूप में स्पष्ट निर्देश प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं. इसके अतिरिक्त, सुरक्षित लेनदेन प्रथाओं से संबंधित जानकारी को नियमित अलर्ट और ग्राहक संचार के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है तथा इसे खाता खोलने, डिजिटल एवं वैकल्पिक चैनल पंजीकरण तथा ऋण स्वीकृति के समय जारी किए जाने वाले प्रमुख ग्राहक-संबंधी दस्तावेजों में समाहित किया जाता है.

सूचित वित्तीय निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने आवधिक ऋण विवरणों में अधिक विस्तृत प्रकटीकरण शुरू किए हैं. ग्राहकों को उनके ऋण खातों पर लागू वर्तमान ब्याज दर के साथ-साथ ऋण की शेष अवधि के संबंध में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है. जहाँ बेंचमार्क दरों में संशोधन के कारण ऋण दरों में वृद्धि होती है, ऐसे मामलों में ग्राहकों को इसके प्रभाव को प्रबंधित करने हेतु उपलब्ध विकल्पों के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी दी जाती है. इन विकल्पों में वर्तमान समान मासिक किस्त (ईएमआई) को बनाए रखने के लिए आंशिक पूर्वभुगतान करना, मूल पुनर्भुगतान समय-सीमा को जारी रखने हेतु ईएमआई बढ़ाना, अनुमत सीमाओं के भीतर ऋण अवधि बढ़ाना, अथवा जहाँ लागू हो, स्थिर ब्याज दर का विकल्प चुनना शामिल हैं. ग्राहक ऋण खातों को प्रभावित करने वाली ब्याज दरों या सेवा शुल्कों में किसी भी संशोधन को बैंक की वेबसाइट पर पारदर्शी रूप से प्रदर्शित किया जाता है तथा अन्य डिजिटल और भौतिक संपर्क चैनलों के माध्यम से भी इसकी जानकारी ग्राहकों को दी जाती है.

3. आवश्यक सेवाओं में किसी व्यवधान/अनिरन्तरता की कोई जोखिम होने पर ग्राहकों को जानकारी देने के लिए उपलब्ध तंत्र.

बैंक अपने किसी भी उत्पाद या सेवाओं में किसी प्रकार के व्यवधान अथवा बंद किए जाने की स्थिति में ग्राहकों को समय पर सूचना सुनिश्चित करता है, जिसके लिए ईमेल, बैंक की वेबसाइट पर नोटिस, मोबाइल एप्लीकेशन नोटिफिकेशन, एसएमएस अलर्ट तथा फोन कॉल सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है. अप्रत्याशित व्यवधानों से अपने परिचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, बैंक ने सभी स्थानों पर अपने परिचालनों के लिए एक

सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू की है. गंभीर परिस्थितियों के कारण किसी भी स्थान पर परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में, ग्राहकों को उनके लेनदेन को निर्बाध रूप से करने हेतु निकटतम संचालित शाखा या सेवा केन्द्र पर सहायता प्रदान की जाती है.

4. **क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां / नहीं / लागू नहीं). यदि हां, तो संक्षिप्त में विवरण प्रदान करें. क्या आपकी संस्था ने अपने प्रमुख योजनाओं /सेवाओं, या संस्था के परिचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण संस्था के बारे में उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां / नहीं)**

बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विस्तृत प्रासंगिक जानकारी को पारदर्शी रूप से विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रकट करता है, जिनमें बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/) के साथ-साथ अन्य ग्राहक संपर्क बिंदु जैसे शाखाएँ, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग आदि शामिल हैं. विनियामक मानदंडों के अनुसार, बैंक की शाखाओं और एटीएम में प्रमुख सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं जिनमें दी जाने वाली सेवाओं, लागू शुल्कों, प्रचलित ब्याज दरों, शिकायत निवारण प्रक्रियाओं आदि के बारे में जानकारी दी जाती है. इसके अलावा, बैंक ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनबोर्डिंग के समय लागू प्रभार, ब्याज दरों, निबंधन एवं शर्तों जैसी विस्तृत जानकारी सरल और आसानी से समझने योग्य भाषा में साझा करता है. बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जानकारी देता है

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक सेवा स्तरों, संपर्क बिंदुओं पर ग्राहक अनुभव तथा उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष ग्राहक संतुष्टि (सी-सैट) सर्वेक्षण करता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सी-सैट सर्वेक्षण वर्तमान में प्रगति पर है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सर्वेक्षण फरवरी-मार्च 2025 के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें कंप्यूटर-सहायक टेलीफोन साक्षात्कार (सीएटीआई) कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया जिसमें बैंक के 16 अंचलों के 3,200 उत्तरदाताओं के विविध नमूनों को शामिल किया गया, जिससे व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके. बैंक ने इस सर्वेक्षण के माध्यम से समग्र ग्राहक संतुष्टि को मापने के लिए नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) को प्राथमिक मेट्रिक के रूप में अपनाया है. सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों को प्रभावी अभिशासन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक समिति, अर्थात् ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) तथा बोर्ड स्तर की बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) को प्रस्तुत किया गया है.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (‘बैंक’) में निर्धारित संधारणीयता सूचना पर स्वतंत्र व्यवसायी की उचित आश्वासन रिपोर्ट, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का निदेशक मंडल,

1. हमने दिनांक 12 दिसंबर 2025 के नियुक्ति पत्र के द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक") के लिए नीचे सूचीबद्ध सहमत संधारणीयता सूचना ("निर्धारित संधारणीयता सूचना" या "बीआरएसआर कोर संकेतक") के संबंध में नीचे पैराग्राफ 4 में बताए गए मानदंडों के अनुसार एक उचित आश्वासन देने का कार्य किया है. यह संधारणीयता सूचना 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट ("बीआरएसआर" या "रिपोर्ट") में शामिल है, जिसे प्रबंधन द्वारा दिनांक 10 मई 2021 के सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120, दिनांक 20 दिसंबर 2024 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 और 28 मार्च 2025 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/42 के अनुसार तैयार किया गया है. यह कार्य एश्योरेंस प्रैक्टिशनर्स की एक टीम के द्वारा किया गया था.

आश्वासन का दायरा

2. हमारे उचित आश्वासन के दायरे में हमारी रिपोर्ट के अनुलग्नक अ में सूचीबद्ध निर्धारित संधारणीयता सूचना (‘‘आईएसआई’’) शामिल है. रिपोर्ट की रिपोर्टिंग सीमा खंड अ : बीआरएसआर का सामान्य प्रकटीकरण के प्रश्न 13 में प्रकट की गई है, इसमें अपवाद, जहां लागू हैं, को बीआरएसआर के संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत नोट के रूप में प्रकट किया गया है.

3. हमारा उचित आश्वासन कार्य केवल 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष की जानकारी के संबंध में ही था और हमने पहले की अवधियों या बीआरएसआर में शामिल किसी भी अन्य तत्व के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है और इसलिए, उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं.

रिपोर्टिंग मानदंड

4. निर्धारित संधारणीयता जानकारी तैयार करने के लिए बैंक द्वारा प्रयुक्त रिपोर्टिंग मानदंड का सारांश नीचे दिया गया है:

   क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (सेबी एलओडीआर), 2015 के विनियम 34(2)(एफ) यथा संशोधित;

   ख. सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 10 मई 2021 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120, 12 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122, दिनांक 20 दिसंबर 2024 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफ़डी/सीएफ़डी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 और 28 मार्च 2025 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/42 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग आवश्यकताएं.

   ग. सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शी नोट.

   घ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट पर रखे अनुसार कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कोर के बारे में उद्योग मानक नोट.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. बैंक प्रबंधन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग सीमा सहित संधारणीयता सूचना तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंडों का चयन या स्थापना करने, संधारणीयता सूचना पर रिपोर्टिंग से संबंधित लागू कानूनों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, विषयवस्तु, मानदंडों के अनुसार संधारणीयता सूचना की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है.

6. इस जिम्मेदारी में बीआरएसआर की तैयारी और संधारणीयता सूचना के मापन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार के तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त है.

अंतर्निहित सीमाएँ

7. गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित अभ्यास के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति अलग-अलग, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और माप तकनीकों की अनुमति देती है और संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है.

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

8. हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और पुष्टि करते हैं कि हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') और सेबी के परिपत्र दिनांक 10 मई 2021 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120, 12 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122, दिनांक 20 दिसंबर 2024 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 और 28 मार्च 2025 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/42 द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं और उसके स्पष्टीकरणों को पूरा करते हैं और इस आश्वासन कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव रखते हैं.

9. हम गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, ''ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण'' लागू करते हैं, और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली बनाए रखते हैं.

हमारी जिम्मेदारी

10. हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुलग्नक-अ में सूचीबद्ध निर्धारित संधारणीयता जानकारी पर एक उचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करें.

11. हमने अपना कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (''एसआरएसबी'') द्वारा जारी संधारणीयता आश्वासन कार्य मानक (एसएसएई) 3000, "संधारणीयता जानकारी पर आश्वासन कार्य'' और आश्वासन कार्य मानक (एसएई) 3410 ग्रीनहाउस गैस विवरणों पर आश्वासन कार्य (सामूहिक रूप से "मानक"), दोनों के अनुसार किया है.

12. इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी कार्य योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या **अनुलग्नक अ** में सूचीबद्ध और रिपोर्ट में शामिल निर्धारित संधारणीयता जानकारी, सभी तात्विक मामलों में, ऊपर पैराग्राफ 4 के तहत बताए गए रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार तैयार की गई है.

13. मानकों के अनुरूप उचित आश्वासन कार्य के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा संपूर्ण कार्य के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं.

14. एक उचित आश्वासन कार्य में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण निर्धारित संधारणीयता जानकारी के तात्विक मिथ्यावर्णन के जोखिमों का आकलन करना, परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार मूल्यांकित जोखिमों का जवाब देना शामिल है.

15. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमति या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था.

16. उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रक्रियाओं के निष्पादन में, कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए, हमः

    क. निर्धारित संधारणीयता जानकारी और संबंधित प्रकटनों की समझ प्राप्त की ;

    ख. बैंक के प्रबंधन और रिपोर्ट तैयार करने के जिम्मेदारी वाले बैंक के संबंधित विभागों से पूछताछ की गई.

    ग. नमूने के आधार पर अंतर्निहित अभिलेखों के साथ निर्धारित संधारणीयता जानकारी को सहमत या समन्वित कर संधारणीयता जानकारी को एकत्रित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया.

    घ. निर्धारित संधारणीयता संकेतकों के नमूने के आधार पर मूल परीक्षण किया गया ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि डेटा को रिकॉर्ड अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ संकलित और रिपोर्ट कर उचित रूप से मापा गया था. इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण करना शामिल था.

ङ. कतिपय निर्धारित संधारणीयता जानकारी की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाओं, नियंत्रणों की समझ प्राप्त की, जिसके लिए वास्तविक डेटा पर विचार किया गया था अर्थात रिपोर्टिंग सीमा के अंतर्गत प्रधान कार्यालय और अन्य स्थान तथा सभी 16 अंचल कार्यालयों, हैदराबाद में प्रशिक्षण कॉलेज और मुंबई में प्रधान कार्यालय के समेकन का परीक्षण किया ताकि रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके. इसमें प्रबंधन प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल नहीं था.

च. ऐतिहासिक डेटा में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं तथा तदनुसार चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए डेटा की तर्कसंगतता का पता लगाया गया.

छ. निर्धारित संधारणीयता जानकारी की तैयारी में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों और निर्णयों की तर्कसंगतता और उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया. इसके अतिरिक्त, 20 दिसंबर 2024 के सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 के अनुपालन में कुछ संकेतकों के लिए 2244 शाखाओं और 283 कार्यालयों के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की उपयुक्तता का भी सत्यापन किया गया.

ज. बैंक के प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए.

हमारा यह मानना है कि हमने जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं वह हमारे उचित आश्वासन निष्कर्ष के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

अपवर्जन

17. हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं और इसलिए हम इन पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं:

- "आश्वासन के दायरे" में उल्लिखित के अलावा बैंक के परिचालन.
- निर्धारित संधारणीयता जानकारी के अलावा बीआरएसआर और डेटा/जानकारी (गुणात्मक या मात्रात्मक) के पहलू.
- बीआरएसआर रिपोर्ट के नेतृत्व संकेतक खंड या किसी अन्य स्वैच्छिक ईएसजी प्रकटीकरण के तहत किए गए प्रकटन;
- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, एकीकृत रिपोर्ट, कॉरपोरेट वेबसाइट या अन्य सार्वजनिक फाइलिंग में शामिल डेटा या कथन, जब तक कि बीआरएसआर प्रमुख आवश्यक संकेतकों के तहत स्पष्ट रूप से संदर्भित न हों;
- निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 से बाहर का डेटा और जानकारी.
- बैंक द्वारा प्रदान किए गए विवरण जो अभिमत, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य अथवा भविष्य के इरादों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं.

18. हमारा निष्कर्ष इस कार्य के दायरे में स्पष्ट रूप से परिभाषित विषय-वस्तु और समयावधि से परे किसी अन्य डेटा या जानकारी से संबंधित नहीं है, या उस आश्वासन प्रदान नहीं करता है.

अन्य जानकारी

19. अन्य जानकारी के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में निर्धारित संधारणीयता जानकारी और उस पर 16 जून 2026 की हमारी स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट के अलावा, बीआरएसआर और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है.

20. निर्धारित संधारणीयता जानकारी पर हमारे निष्कर्ष में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं.

21. निर्धारित संधारणीयता जानकारी के बारे में हमारे आश्वासन के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी निर्धारित संधारणीयता जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है.

22. यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है. इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है.

विशेष ध्यान वाले मुद्दे

23. बीआरएसबार खंड ग की टिप्पणियों के अनुसार ''सिद्धांत 6 : कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा और पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए'' - आवश्यक संकेतक 4 ''पानी छोड़ने से संबंधित विवरण'' के तहत, बैंक ने बताया है कि प्रधान कार्यालय के अलावा बैंक के अन्य कार्यालयों/शाखाओं में फ्लो मीटर न होने के कारण पानी छोड़ने को मापा नहीं जाता है. साथ ही, पानी छोड़ने का अनुमान लगाने के लिए कोई मानक दिशानिर्देश न होने के कारण, बैंक पानी छोड़ने का अनुमान लगाने में असमर्थ है.

ऊपर बताई गई बातों के संबंध में हमारे आश्वासन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

अभिमत

24. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारा यह मत है कि अनुबंध-अ में उल्लिखित निर्धारित संधारणीयता जानकारी, सभी तात्विक पहलुओं में, ऊपर पैराग्राफ 4 में उल्लिखित रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार उचित रूप से प्रस्तुत की गई है.

उपयोग पर प्रतिबंध:

25. इस रिपोर्ट के संबंध में हमारे दायित्व बैंक के लेखा परीक्षकों के रूप में या किसी अन्य रूप में हमारी किसी भी अन्य भूमिका से पूरी तरह से अलग हैं तथा हमारी जिम्मेदारी और देयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है. इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं और न ही इस रिपोर्ट के विषय में सेवाओं के संबंध में कही या कार्य के दौरान की गई या उसके संबंध में कोई बात, बैंक के लेखा परीक्षकों के रूप में हमारी क्षमता में सावधानी बरतने के किसी कर्तव्य को आगे बढ़ाएगी.

26. बैंक के अनुरोध पर, हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट बनाई गई है और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है जो केवल बैंक को बैंक के संधारणीय प्रदर्शन और गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सहायता के लिए है. तद्नुसार, बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिए या हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं की जानी चाहिए. हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्षकार के प्रति, जिसे हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारी रिपोर्ट दिखाई जाती है या जिसके हाथों में यह रिपोर्ट पहुंचती है, किसी भी प्रकार की देखभाल या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं.

कृते **चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन- 101872W/ W100045

हार्दिक यम्पट
साझेदार
सदस्य संख्या: 194467
यूडीआईएन: 26194467HPDWAG9789

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 जून 2026

सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन- 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्य संख्या: 223118
यूडीआईएन: 26223118KLSCLJ1957

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 जून 2026

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') में निर्धारित संधारणीयता सूचना पर स्वतंत्र व्यवसायी की उचित आश्वासन रिपोर्ट, कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट का अनुबंध अ

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 6 : कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा और पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए		
विशेषता 1: ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट		
पी6 क्यू7	प्रश्न 7: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) का विवरण और इसकी तीव्रता:	उचित आश्वासन
	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन	
	कुल स्कोप 2 उत्सर्जन	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के रूप में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
विशेषता 2: जल फुटप्रिंट		
पी6 क्यू3	जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटनों का विवरण:	उचित आश्वासन
	स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)	
	जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर में जल तीव्रता (कुल जल खपत परिचालनों से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर जल तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के रूप में जल तीव्रता	
पी6 क्यू4	जल छोड़ने से संबंधित विवरण :	उचित आश्वासन. रिपोर्ट का पैराग्राफ 23 भी देखें
	गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल छोड़ना (किलोलीटर में)	
	कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
	विशेषता 3: ऊर्जा फुटप्रिंट	
पी6 क्यू1	कुल ऊर्जा खपत (जूल अथवा गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:	उचित आश्वासन
	नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	
	गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालनों से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के रूप में ऊर्जा तीव्रता	
	विशेषता 4: चक्रीयता को अपनाना - संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण	
पी6 क्यू9	संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:	उचित आश्वासन
	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालनों से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता	
	भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के रूप में अपशिष्ट तीव्रता	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य रिकवरी परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	विशेषता 5: कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा को बढ़ाना	
पी3 क्यू1 (सी)	कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और अस्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय: कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याण उपायों पर उपगत लागत	उचित आश्वासन
पी3 क्यू11	कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	
	खोया समय क्षति आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे कार्य)	
	कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	
	मृतकों की संख्या	
	उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 5: कारोबारों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए		
	विशेषता 6: कारोबार में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	
पी5 क्यू3 (बी)	संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी	उचित आश्वासन
पी5 क्यू7	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतें	उचित आश्वासन
	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	
	महिला कर्मचारियों/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पॉश शिकायतें	
	पॉश शिकायतें सही पाई गई	
सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए		
	विशेषता 7: समावेशी विकास को सक्षम बनाना	
पी8 क्यू4	आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इन्पुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इन्पुट में इन्पुट) : क. एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त ख. भारत के भीतर से सीधे	उचित आश्वासन
पी8 क्यू5	छोटे शहरों में रोजगार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी, कुल मजदूरी लागत के % के रूप में बताएं.	उचित आश्वासन
सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए		
	विशेषता 8: ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता	
पी9 क्यू7	डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो	उचित आश्वासन

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 1: कारोबार को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद का संचालन और नियंत्रण करना चाहिए.		
विशेषता 9: कारोबार में खुलापन		
पी1 क्यू8	देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/ सेवाओं की लागत)	उचित आश्वासन
पी1 क्यू9	संबद्ध पक्षकारों को ऋण और अग्रिम एवं निवेश के साथ-साथ ट्रेडिंग घरानों, डीलरों, और संबद्ध पक्षकारों से खरीद और बिक्री संकेन्द्रण का विवरण	उचित आश्वासन
	खरीद संकेन्द्रण	
	बिक्री संकेन्द्रण	
	निम्न में आरपीटी का हिस्साः	
	क. खरीद (संबद्ध पक्षकारों से खरीद / कुल खरीद) ख. बिक्री (संबद्ध पक्षकारों को बिक्री / कुल बिक्री) ग. ऋण एवं अग्रिम (संबद्ध पक्षकारों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण एवं अग्रिम) घ. निवेश (संबंधित पक्षकारों में निवेश / किया गया कुल निवेश)	

कृते **चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन- 101872W/ W100045

हार्दिक यम्पट
साझेदार
सदस्य संख्याः 194467
यूडीआईएनः 26194467HPDWAG9789

स्थानः मुंबई
दिनांकः 16 जून 2026

सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन- 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्य संख्याः 223118
यूडीआईएनः 26223118KLSCLJ1957

स्थानः मुंबई
दिनांकः 16 जून 2026